खण्ड-167, अंक-2
मंगलवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(6 मार्च, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 167 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

धिधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०४)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़ , श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय श्री
केशवराम, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री

जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली , श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री

पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद, शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री

महमूदअली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
रामअधीन सिंह, यादव
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा

ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में गंगा के कटाव में आये ग्राम-वासियों को सहायता

*१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के तहसील करछना में कई गांव गंगा के कटाव से कट कर बह गये हैं? यदि हां, तो उन गांवों के किसानों के रहने का कोई प्रबन्ध किया गया है? यदि हां, तो क्या?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी हां, इलाहाबाद जिले की तहसील करछना के पांच गांवों पर गंगा के कटाव का प्रभाव पड़ा है। इन गाँवों के निवासियों को उचित आर्थिक सहायता दी गई है। रहने का प्रबन्ध उन्होंने स्वयं कर लिया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इन पांच गांवों में कितने मकान नष्ट हुए और कितने प्राणियों को दूसरी जगह स्थान मिला ?

श्री चरणसिंह—यह पूरी तादाद तो मेरे पास नहीं है। वह तो कटते जा रहे हैं। इसलिये तादाद का बताना मुश्किल है। आज मैं बताऊं कल को मेरा वह बयान गलत हो सकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनको किस प्रकार की सहायता दी गयी ?

श्री चरणसिंह—सत्तरह परिवारों को पचास-पचास फी कस और ३ हजार ५ सौ ५८ रु० ४ आना की मालगुजारी में छूट दी गयी। २ हजार ९ सौ ५० रु० की तकाबी बांटी गयी और जरूरतमन्दों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के विचाराधीन हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो स्थान कट रहा है उस स्थान पर से लोग सरकार के द्वारा हटाये गये या नहीं ?

श्री चरणसिंह—वह तो खुद ही हट गये। गंगा माता ने उनको हटा दिया। सरकार के द्वारा थोड़े ही हटाये गये। हमारी तरफ से उनसे यह भी कहा गया कि अगर गवर्नमेंट एस्टेट्स, तराई में वह आबाद होना चाहें तो उनको जमीन दे दी जायगी। लेकिन गांव वाले वहां जाना ही नहीं चाहते।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों के निवासियों के सम्बन्ध में पिछले वर्ष बजट अधिवेशन के दौरान में एक पूर्ण विवरण, उनके नुक्सान का उस क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा उन्हें मिला था ?

श्री चरणसिंह—जी हां, माननीय बहुगुणा द्वारा मिला था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जो लगान में छूट मिली है वह प्रति वर्ष जैसे-जैसे कटाव होता है। वह सब जमीन पर मिलती जा रही है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—पहले यानी १९५४ से पहले यह कायदा नहीं था कि जमीन कट जाय तो उस समय उसकी मालगुजारी में छूट दी जाय। पंचसाला बन्दोबस्त होता था अगर जमीन बढ़ जाती थी तो मालगुजारी बढ़ती नहीं थी और जमीन कट जाती थी तो माल-गुजारी घटती नहीं थी। लेकिन १९५४ में गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि अगर जमीन कट जाती है तो मालगुजारी उसी कदर उनकी कम कर दी जायगी। और तकावी पांच साल के लिये मुल्तवी कर दी जायगी। अगर पांच साल के बाद जमीन फिर आ जाय तो तकावी तो उनको देनी होगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार ने उन लोगों को मुआविजे में कुछ जमीन दे दी है जिससे वह अपने मकान बना सकें ?

श्री चरणसिंह—इस सिलसिले में लफ्ज मुआविजा का इस्तेमाल करना मुना-सिब नहीं होगा। वह खुद ही दूसरी जगह आबाद हो गये अपने खेतों में या गांव समाज की जमीन में ?

श्री शिवनाथ काटजू—मुआविजे से मेरा मतलब यह है कि उनको जो जमीन का नुकसान हुआ है उसके बदले में उनको कोई स्थान दिया गया जिसमें वह अपने मकान बना सकें ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जबाबे दिया जा चुका हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या हाल ही में उस गांव की ओर से फिर माननीय मंत्री जी के पास कोई प्रतिवेदन इस संबंध में आया है और क्या सरकार उस पर विचार करने का बचन दे चुकी है ?

श्री चरणसिंह—जी, एक प्रतिवेदन आया था और उस पर विचार किया जा रहा है। वैसे भी मुझसे माननीय बहुगुणा जी के एक प्रतिनिधि ने बातें की थीं, उस वक्त जो शिकायतें माननीय बहुगुणा जी के प्रतिनिधि की ओर से हुई थीं वह शिकायतें तो निराधार थीं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उनको बसाने के लिये सहायता दी गयी है वह कितनी और किस हिसाब से दी गई ?

श्री अध्यक्ष—यह तो अभी बता दिया गया है।

तारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिलान्तर्गत टोंस नदी की बाढ़ से बचाने के लिए गांवों का ऊंचा किया जाना

*१—**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के जहूराबाद और डेहभा कानूनगो गांव सर्किल में टोंस नदी की बाढ़ से बचाने के लिये कितने गांव ऊंचे किये गये हैं और कितने गांव ऊंचे करने को बाक़ी हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—गाजीपुर जिले के जहूराबाद कानूनगो सर्किल में दस तथा डेहभा कानूनगो सर्किल में पांच ग्रामों को टोंस नदी की बाढ़ से बचाने के लिये ऊंचा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जहूराबाद कानूनगो सर्किल में पाँच और ग्रामों को ऊंचा करना है।

*२—**श्री शिवपूजन राय**—क्या सरकार उनकी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ग्रामों की सूची निम्नालिखित है :—

जहूराबाद कानूनगो सर्किल

ग्राम जो ऊंचे किये जा रहे हैं

१—सिधागर (कुंडराह)
२—बहादुरगंज
३—रेंगा
४—फतेहसराय
५—सरवट
६—बहरार
७—बेरुकाही
८—मसीरपुर
९—फरीदनपुर
१०—शेवरा मरोली

ग्राम जो उंचे करने को शेष हैं

१—सहदीवारा

२—चकडीहा

३—रामगढ

४—पाली

५—ओराकोल

डेहभा कानूनगो सर्किल

ग्राम जो ऊंचे किये जा रहे हैं

१—नीपुरा

२—असावर

३—मुबारकपुर जुगनू

४—पांव पट्टी

५—सैमरी

श्री अध्यक्ष—(सिंचाई मंत्री से) मैं जानना चाहता हूं कि सूची में १० वें नम्बर पर शेरवा मरोली है या शेखा मरोली ?

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बतायेगी कि जो गांव बचे हैं ऊंचे करने को वे कब ऊंचे हो जायंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है काम उस पर चल रहा है और सम्भवतः बरसात से पहले हो जाने चाहिये ।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो गांव ऊंचे किये जा चुके हैं उन पर कितना खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निश्चित तौर से बताने के लिये तो नोटिस चाहिये कि हर गांव पर कितना खर्च हुआ । लेकिन अन्दाजा हमारा ऐसा है कि करीब ८ हजार से १० हजार के बीच में गांव पर खर्च होता है । मुमकिन है कहीं कम होता हो । अगर किसी खास गांव का माननीय सदस्य चाहते हों तो नोटिस दें फिर बता दिया जायगा ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन गांवों को ऊंचा करने के लिये सरकार सहायता देती है या उनको ऊंचा करने का काम अपने हाथ में लेती है तो उन गांवों का चुनाव किस आधार पर होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो बाढ़ के बाद कलेक्टर्स और एम० एल० एज की मीटिंग होती है और हमारा डिपार्टमेंट भी सर्वे करता है और लिस्ट बनाता है । उस मीटिंग में भी जो कुछ राय मश्विरा हो उसको भी लेकर, तब निश्चित रूप से तय किया जाता है ।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या यह सही है कि गांव जो ऊंचे किये जाते हैं उनकी संख्या बाढग्रस्त गांवों की संख्या से बहुत ही कम है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कम तो है ही। मेरा ख्याल है शायद ३५ सौ तक गांव ऊंचे किये जा रहे हैं और गांव तो बाढ़ ग्रस्त बहुत हुए। जो गांव ऊंचे हुये हैं वही गांव हैं जो नदियों के किनारे या उनके पेटे में बसे हुए हैं जिनमें थोड़ी सी बाढ़ आजाने से पानी घुस जाता है। उनको ऊंचा कर रहे हैं। धीरे-धीरे यह बढ़ता चलेगा।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार गाजीपुर के गांवों की दशा को देखते हुए उनकी संख्या बढाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आवश्यकतानुसार काम तो बढ़ता ही चल रहा है।

गाजीपुर जिले की कृषि-योग्य सिंचित भूमि

*३---**श्री शिवपूजन राय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में कितने भूमि पर खेती होती है और उसमें कितने क्षेत्र पर सिंचाई विभाग द्वारा सिचाई का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में इस समय लगभग १,६१,५५० एकड़ भूमि पर खेती होती है, जिसमें से २८,३०२ एकड़ भूमि के लिए सिंचाई का प्रबन्ध सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है।

श्री शिवपूजन राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सिंचाई का प्रबन्ध हुआ है और जो बाकी रह गया है उस बकीया के लिए सरकार क्या करने जारही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---योजनायें चल ही रही हैं इसी वास्ते कि बाकी जमीन में भी उसका इन्तजाम हो।

*४-५---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)---[२० मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---[९ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---[१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*८---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*९-११---**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)---[३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए पी० डब्ल्यू डी० द्वारा निर्मित-ग्रह

*१२---**श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी** (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये मकान बनवाने की योजना के अन्तर्गत कई नगरों में पी० डब्ल्यू० डी० ने कुछ मकान बनवाये हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने और कहा-कहां ?

निर्माण उप मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---देहरादून में २०, मेरठ में ३०, इलाहाबाद में २०, और लखनऊ में १४९ मकान बन चुके हैं।

*१३---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन मकानों को एलाट करने के लिये कुछ नियम बनाये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---केवल लखनऊ के लिये यह निश्चय हुआ है कि ५० प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को और शेष आम जनता को एलाट किये जायेंगे और शहरों में मकानों को एलाट करने के नियम सरकार के विचारधीन हैं ।

* १४---**श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वित्तीय वर्ष में केंन्द्रीय सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह योजना प्रदेशीय सरकार की है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन मकानों को बने कितना समय हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कुछ तो बन रहे हैं और कुछ को बने हुये अभी महीना डेढ़ महीना का अर्सा हुआ और भी कुछ बन चुके हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मकान बन चुके हैं पूरी तरह पर उनको अभी तक किराये पर नहीं उठाया गया है और यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---लखनऊ में तो प्रायः प्रत्येक मकान ही एलाट कर दिया गया है और-और स्थानों पर जहां बन कर तैयार हुये हैं क्योंकि वहां प्रगति कुछ बाकी है इसलिये वहां उनके सम्बन्ध में नियम बन रहे हैं कि किस प्रकार उन्हें एलाट करें। जब वह नियम बन जायेंगे तो उनको भी एलाट कर दिया जायगा।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो मकान बने हैं उनकी कुछ बिक्री भी की गयी है और की गई है तो किस कीमत पर ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कोई मकान इनमें से बिक्री नहीं किया गया है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किराया निर्धारण का क्या सिद्धांत बनाया गया है ।

श्री अध्यक्ष---यह किराये का सवाल इसमें नहीं है, बनवाने का सवाल है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---कहा गया है कि कुछ अफसरों के लिये छोड़कर बाकी लोगों को किराये पर दिये जायेंगे, तो किराया का जो रेट निश्चित किया जायगा वह किस आधार पर निश्चित किया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रायः लागत पर ६ १/४ प्रतिशत सूद वसूल हो जाय इस दृष्टि से किराया लिया जायगा ।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)---क्या इलाहाबाद में जो मकान बने हैं वह मेहतरों के लिये बने हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मध्यवर्ती आम जनता के लिये बने हैं, उसमें यदि मेहतर भाई भी हों, तो कोई अनुचित तो नहीं है ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना का प्रसार छोटे-छोटे नगरों जैसे रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर आदि में भी किया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अभी इसके सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है ।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कि इस योजना के अनुकूल बनारस जिले में भी मकान बनाने का सरकार का इरादा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—अगर हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वहां पर भूमि न मिलने के कारण नहीं बनाये गये अन्यथा अब तक बना दिये गये होते। भूमि मिलते ही बना दिये जायेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना का लक्ष्य क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मध्यवर्ती व्यक्तियों को सस्ते किराये पर मकान मिल सकें और अच्छे वैज्ञानिक ढंग के मकान मिल सकें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे यह नियम कब तक बन जायेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो बनाये जा रहे हैं और बहुत शीघ्र बन जायेंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन मध्यवर्तियों को ये मकान दिये जायेंगे उनकी आय कितनी होगी जिनको कि मध्यवर्ती गिना जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रायः ५०० रुपया मासिक तक के व्यक्ति को मध्यवर्ती में ख्याल किया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—कम से कम कितनी तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ये मकान एलाट किये गये हैं ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इसमें यह ख्याल रखना पड़ता है कि सरकार बिल्कुल मुफ्त किराये पर न दे दे। जिन लेने वालों की आमदनी इतनी है कि जो उसका किराया रखा जाता है वह करीब-करीब दे सकें, उन्हीं को दिये जायेंगे और ज्यादा जिनका वेतन है उनको भी नहीं दिये जायेंगे ताकि उससे उनको आमदनी हो जाय और किराये में बचत हो जाय, इसलिये उनकी लागत का ख्याल रखकर जो उसमें आ जाते हैं उन्हीं को दिये जा सकेंगे।

श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि सरकार ने संबंधित अधिकारियों को एलाटमेंट के सम्बन्ध में ये आदेश दिये हैं कि अधिकतर मकान उन्हीं को दिये जायेंगे जो सरकारी कर्मचारी हों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसा कोई आदेश नहीं है।

*१५-१६—**श्री देवदत्त मिश्र**—[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में बाढ ग्रस्त गांवों को ऊंचा करने की योजना

*१७—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितने बाढ़ ग्रस्त गांवों को ऊंचा करने की योजना है और उनमें से कितने ऊंचे किये जा चुके हैं तथा कितनों में काम लगा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जौनपुर जिले में २५० बाढ़ ग्रस्त गांवों को ऊंचा करने की योजना है। उनमें से १५ गांवों को ऊंचा किया जा चुका है और १३४ गांवों में काम प्रगति पर है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री महोदय उन १५ गांवों की सूची पढ़ देने की कृपा करेंगे जो ऊंचे किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनकी सूची तो इस समय हमारे पास नहीं है। नोटिस मिलने पर पेश कर दी जायगी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल एक सवाल के जवाब में उत्तर मिला था कि ३ गांव ऊंचे किये हैं, आज १५ गांव ऊंचे होने का जवाब मिल चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये किस विभाग द्वारा ऊंचे किये जा रहे हैं और कौन कर्मचारी ऊंचे कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---विभाग सिंचाई का है। कर्मचारियों के लिये कोई तालिका नहीं है और मान्यवर जब-जब प्रश्न किये जायेंगे तो संख्या बढ़ती ही जायगी। कल तीन थी, आज १५ है और फिर कुछ दिनों के बाद १५० हो जायगी ।

*१८-२०-**श्री व्रजभूषण मिश्र**---[१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१---**श्री नाराणदत्त तिवारी**---[२० मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

राज्य में शहीद स्मारकों की रुप रेखा

*२२---**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)---क्या शहीद स्मारकों की रूप रेखा कि कहां-कहां किस-किस रूप में सरकार के पास विचारार्थ आ गयी है? यदि हां, तो वह क्या है?

सूचना मंत्री के सभा-सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)---शहीद स्मारक समिति ने ११ सितम्बर, १९५५ की बैठक में यह निश्चय किया कि १८५७ की स्वतंत्रता क्रांति का स्मारक मेरठ में तथा सन् १९२१ और १९४२ के बीच हुये ज्ञाताज्ञात शहीदों का स्मारक लखनऊ में विजय स्तम्भ के रूप में बनाया जायं। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी महारानी लक्ष्मी बाई नाना साहब, तांतिया टोपे, महाराजा चेत सिंह और चन्द्र शेषर आजाद के स्मारक क्रमशः झांसी बिठूर, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद में मूर्ति स्थापित कर बनाये जायं। शासन ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

श्री झारखंडे राय---क्या सूचना मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह योजना कब तक प्रारम्भ होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अगले वर्ष में इसका प्राविधान कर दिया गया है और सन् १९५७ में इसे पूरा कर दिया जायगा ।

श्री झारखंडे राय---क्या सूचना मंत्री जी बतायेंगे कि शहीद स्मारक समिति के सन्मुख ऐसा भी कोई प्रस्ताव आया था कि रामप्रसाद बिस्मिल का स्मारक गोरखपुर अथवा शाहजहां में बनाया जाय ? यदि हां, तो उसकी अस्वीकृति के क्या कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे ऐसे किसी सुझाव का स्मरण नहीं है। मुमकिन है आया हो, और ऐसे बहुत से सुझाव आये हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि मुख्य-मुख्य स्मारक बना लिये हैं और विजय स्तम्भ स्थापित हो ही रहा है जो कि समस्त शहीदों की स्मृति में बनाने का आयोजन है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या राजा चेत सिंह का स्मारक मिर्जापुर की विजयगढ़ पहाड़ी पर बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, चेतसिंह बनारस के थे, वहीं उनका स्मारक होगा ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी सन् १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम के भारतीय प्रसिद्ध वाले शहीदों के अतिरिक्त स्थानीय शहीदों के स्मारक भी बनायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो स्थानीय लोगों का काम है। वे अवश्य बनायेंगे। हमने भी अपने जिले में ऐसे स्थानीय शहीदों के स्मारक बनाये हैं, परन्तु यह जो समिति बनी है और जो स्मारक बन रहे हैं उनके सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण किया जा चुका है कि किनके सम्बन्ध में बन रहे हैं ।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १८५७ के प्रसिद्ध सेनानी राणा बेनीमाधो का स्मारक बनाने के लिये तालिका में उनका नाम है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तालिका में जो नाम हैं वे तो बता ही दिये हैं।

श्री गुप्तार सिंह---क्या सरकार राणा बेनी माधो की कहानी को याद करके और सन् ५७ में उनके त्याग को देखते हुये उनका भी स्मारक बनाने के लिये तालिका में उनका नाम सम्मिलित करेगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि सन् ५७ में और सन् १९२१ से लेकर १९४२ तक जो हमारे स्वाधीनता के संग्राम हुये उनमें एक नहीं अनेक वीर सेनानी हुये, वीर पुरुष और त्यागी पुरुष हुये, एक नहीं अनेक जिलों से। तो अगर सबके स्मारक बनाये जा सकें तो बड़ी खुशी की बात है और हम को प्रसन्नता होगी, लेकिन सब बातों को देखते हुये चुनना ही पड़ता है कि कुछ खास लोगों को ले लिया जाय जो सार्वभौम हों और प्रदेश में ही नहीं सारे देश में जिनका नाम है। थोड़े से ही लोगों को चुनना पड़ता है। तो जहां तक सन् १९५७ की बात है एक विजय स्तम्भ बनेगा जिसमें सारे अन्य शहीदों का स्मारक होगा। जो भी इतिहास पढ़ता है वह महाराणी लक्ष्मीबाई को जानता है। नानासाहब और तांतिया टोपी से वह भली भांति परिचित होगा। ये नाम प्रतीक के तरीके से चुन लिये गये हैं। और भी जो लोग हैं उनके स्मारक स्थानीय तरीके से होने चाहिये और बनाने की कोशिश करनी चाहिये और सम्भव है कि आगे चलकर सरकार भी उसमें कुछ सहायता कर सके और यह उसके लिये खुशी की बात होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को कतिपय इतिहासकारों में से एक का यह बयान मालूम है कि नानासाहब अभी तक जीवित हैं और नैपाल में छिपे हुये हैं ? तो सरकार की इस सम्बन्ध में अधिकृत सूचना क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई सूचना दे दें तो हम भी उनका दर्शन करके धन्य हो जायं।

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)---क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले नवम्बर को हमारे जिले में यह आश्वासन दिया था जबकि बेनी माधो के जन्मस्थान का वह निरीक्षन कर रहे थे कि यदि स्थानीय तौर पर कोई स्मारक उनके लिये बनाया गया तो सरकार उसमें सहायता देने की कोशिश करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो मैंने उस वक्त कहा था, उसको मैं अब भी कहता हूं। स्थानीय तरीके पर स्मारक बनाये जायं और यदि सम्भव हुआ तो सरकार उनके लिये सहायता देने की कोशिश करेगी ।

श्री झारखन्डे राय---क्या माननीय सूचना मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५७ की क्रांति में अजीमुल्ला खां के त्याग को देख कर उनका भी नाम इसमें शामिल करने की कपा की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने पूर्णतः स्पष्टीकरण कर दिया। अब उससे अधिक और क्या कहा जाय ।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि अन्य प्रान्तीय सरकारें भी झांसी में महाराणी लक्ष्मी बाई की मूर्ति स्थापित करने जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी अपने प्रान्त की तरफ से भी आवश्यक समझते हैं कि वहां महाराणी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित की जाय ।

श्री अध्यक्ष---वह सूची तो पढ़ कर सुना दी ।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हिन्दू-मुस्लिम के प्रतीक अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी जिनके बलिदान से उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ है, उनका स्मारक बनाने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री गणेशशंकर विद्यार्थी हममें से बहुत से लोगों के मित्र और सहयोगी रहे हैं। उनका एक स्मारक बनना चाहिये। परन्तु इस सिलसिले में वे नहीं आते हैं। यह सिलसिला तो उन लोगों के लिये है जो कि ब्रिटिश सरकार से लड़ने वाले थे और ब्रिटिश सरकार से लड़ने में ही जिनके प्राण गये। गणेश शंकरजी के प्राण दूसरे सिलसिले में गये। उनके लिये अगर अलग स्मारक बनाने की योजना हो, कानपुर में या कहीं, तो उस पर हम बहुत सहानुभूति के साथ विचार करेंगे ।

*२३-२५---**श्री यमुना सिंह**---[२० मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

सचिवालय के सूचना विभाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश पत्रिका का प्रसार

*२७---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि "यू० पी० इंफार्मेशन" पत्रिका के कितने ग्राहक बने हैं और कितनों को वह मुफ्त दी जाती है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---यू० पी० इन्फार्मेशन का नाम बदल कर अब "उत्तर प्रदेश" हो गया है। इस पत्रिका के इस समय ६५८ ग्राहक हैं। इसकी २,२६२ प्रतियां निःशुल्क बितरित की जाती हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष "उत्तर प्रदेश पत्रिका" की ग्राहक संख्या घटी है या बढ़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं कह सकता, इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई घटी नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किस श्रेणी के व्यक्तियों को यह पत्रिका निःशुल्क दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह पार्लियामेंट के मेम्बर्स जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको, लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स, लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर्स, यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटी होस्टल में, स्टेट डायरेक्टर्स इन्फार्मेशन और पब्लिसिटी, कुछ फारेन रेप्रेजेन्टेटिव्ज, हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स इन उत्तर प्रदेश, बहुत सी लायब्रेरीज, कुछ चुने हुये न्यूजपेपर्स और पीरियाडिकल्स तमाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कुछ एडवर्टाइजिंग एजेन्सीज, बार एसोसियेशन हेडक्वार्टर्स पर और कुछ और मिस्लेनियस, इन लोगों को दी जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सरकार को इस पत्रिका के संचालन में कितना वार्षिक घाटा उठाना पड़ता है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, यह ऐसा प्रश्न है जिसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी, डिटेल में तभी बताया जा सकता है ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी इस पत्रिका का शुल्क घटाने पर विचार करेंगे जिससे इसका अधिक प्रसार हो सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---शुल्क तो नाममात्र का ही है । अधिकतर तो इसका वितरण आप देखेंगे निःशुल्क ही होता है ।

*२८---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

मानिकपुर जिला बांदा के बांध से गुरौला ग्राम को पानी देने की मांग

*२९---**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा)---क्या सिंचाई मंत्री जी को ज्ञात है कि मानिकपुर जिला बांदा में एक बांध है जो कई ग्रामों की सिंचाई के साथ ही साथ रेलवे को भी नल द्वारा पानी पहुंचाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां ।

*३०---**श्री जगपति सिंह**---क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम गुरौला जो बांध के एक फर्लांग से भी करीब है उस गांव को बिल्कुल पानी नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, गुरौला ग्राम मानिकपुर तालाब से निकाली हुई मानिकपुर माइनर के कमांड के बाहर एक नाले के बाद स्थित है । मानिकपुर तालाब में पानी का परिमाण इतना नहीं है कि उस कमांड के बाहर सिंचाई कर सके ।

*३१---**श्री जगपति सिंह**---क्या सरकार पास ही में स्थित नाले में पुल बना कर उनसे ग्राम को पानी देने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

श्री जगपति सिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस तालाब के आस-पास के गांवों में सिंचाई की बढ़ती हुयी मांग को देखते हुये रेलवे विभाग को पानी की व्यवस्था अलग से करने के लिये लिखने की कृपा करेंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, किसी को पानी दिया जा रहा है तो यह लिखना कि हम पानी नहीं देंगे अच्छा नहीं होगा । जिस एरिया में पानी न हो वहां पानी पहुंचाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री जगपति सिंह---क्या मंत्री जी इंजीनियरों द्वारा विचार करायेंगे और इस मौजे में जो पानी बेकार जाता है उसको रोक दिया जाय तो वही पानी काफी हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---यह सूचना है, आप इसको मंत्री जी के पास भिजवा देने की कृपा करें ।

फतेहपुर जिले में नलकूप निर्माण-कार्य में शिथिलता

*३२---**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में राज्य सरकार द्वारा जो नल-कूप खोले जा रहे हैं उनकी क्या प्रगति है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला फतेहपुर में राज्य सरकार द्वारा तीन नलकूप खोदे गये जिनमें से केवल एक ही नलकूप सफल हुआ ।

*३३---**श्री अनन्त स्वरूप सिंह**---क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला फतेहपुर की फतेहपुर एवं खागा तहसील में नल-कूप लगाने की कोई योजना विचाराधीन है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला फतेहपुर में भूमि का स्ट्रेटा नलकूपों के लिये उपयुक्त न होने के कारण वहां नल-कूप लगाने की कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री अनन्त स्वरूप सिंह---क्या जिला फतेहपुर से उनका मतलब खंडवा तहसील से है जहां तीन नल-कूप खोले गये हैं और उनमें एक सफल हुआ या उनका मतलब पूरे जिले से है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---फतेहपुर जिले में हमारी कुछ नहरें हैं और यह जो रामगंगा डैम योजना है इससे बहुत सा क्षेत्र अगले साल सिंचन के अधीन आ जायगा क्योंकि इसके बाद हमारी फतेहपुर की नहरों का विस्तार होगा । उस क्षेत्र में हमने कुयें खुदाने की चेष्टा की जो रामगंगा के अधीन नहीं होगा और पहले से सिंचित नहीं रहा उसमें हमने कुयें खुदवाकर स्ट्राटा देखने की कोशिश की और खेद है कि हमें उपयुक्त स्ट्राटा नहीं मिला ।

श्री अनन्त स्वरूप सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में खागा तहसील और फतेहपुर तहसील में स्ट्राटा देखने की कोशिश की गयी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसका सुझाव आया था और वह सरकार के विचाराधीन है ।

यू० पी० रोडवेज साइड लैन्ड कन्ट्रोल ऐक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत जमीन लेना

*३४---**श्री झारखन्डे राय**---क्या यह सही है कि गोरखपुर जिले में प्रादेशिक सड़कों के दोनों ओर २२०-२२० फुट जमीन और ज्यादा ली जा रही है ? यदि हां तो क्यों तथा किस निमित्त ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं, ऐसी कोई जमीन नहीं ली जा रही है ।

श्री झारखन्डे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कोई स्कीम सरकार के सामने आयी थी और बाद में छोड़ दी गयी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सम्भवतः मेरे मित्र का प्रश्न इससे संबंधित है कि यू०पी० रोडवेज साइड लैन्ड कंट्रोल ऐक्ट की धारा (३) के अन्तर्गत कुछ स्थानों पर सड़क के दोनों तरफ २२० फीट जमीन डिक्लेअर की जाती है और शायद उसी में यह भी डिक्लेअर की गयी है लेकिन वह जमीन ली नहीं जाती है ।

*३५-३६---**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)---[२० मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ जिले में महोला गढ़वल बांध तथा घाघरा नदी के बीच वाले गांवों के रक्षार्थ कार्य

*३७---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिला आजमगढ़ के उत्तरी हिस्से के महुआ गड़वल बांध के कारण नदी की तलहटी में कितने गांव पड़ रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---महोला गढ़वल बांध तथा घाघरा नदी के बीच लगभग १५० गांव पड़ते हैं ।

*३८--श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)--क्या सरकार ऐसे गांवों को बसाने तथा कृषि निमित्त कोई जमीन देने पर विचार कर रही है, जो इस बांध के कारण बिना घर तथा जमीन के हो जायेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--महोला गढ़वल बांध तथा घाघरा नदी के बीच में पड़ने वाले गांवों के रक्षार्थ उनकी सतह ऊंची की जा रही है या रिंग बांध बनाये जा रहे हैं। पानी की सतह की ऊंचाई २"-३" से अधिक होने की आशा नहीं है। इससे इन गांवों को किसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं है। अतः इन गांवों की आबादी को अन्यत्र बसाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बरसात आने के पहले ये सब गांव ऊंचे किये जा सकेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह मैं नहीं कह सकता कि तमाम काम पूरा हो जायगा या नहीं। चेष्टा हमारी यह है कि बरसात के पहले काम पूरा हो जाय। इस बांध पर भी काम लगा हुआ है। अगर किसी वजह से यह काम पूरा नहीं हुआ तो बांध में से कुछ पानी के लिये आने जाने का रास्ता भी छोड़े जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन लोगों की जमीन और घर बांध के कारण ले लिये गये हैं, क्या उनके बसाने की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जो जमीन व मकान किसी सार्वजनिक कार्य के लिये लिये जाते हैं उनके लिये उसको कानूनन मुआविजा दिया जाता है। जहां तक नीचे गांवों का ताल्लुक है उनको ऊंचा किया जा रहा है और उनके चारों ओर अंगूठिका बांध बना रहे हैं जिनको बड़े भारी बांध से जोड़ दिया जायगा। आने जाने के मार्गों की सुविधा यथासंभव कर दी जायगी और ऐसी आशा की जाती है कि बाढ़ों के कारण कोई क्षति न होने पायेगी।

*३९-४०--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले के लिये नलकूप-निर्माण योजना

*४१--श्री कमला सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के खानपुर और बहरियाबाद परगने में कितने नल-कूप लगे हैं और कितने नल-कूप कहां-कहां लगाने की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के खानपुर और बहरियाबाद परगने में अभी तक कोई नल-कूप नहीं बना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खानपुर परगने में ६ नल-कूप निम्नलिखित गांवों में बनाये जायेंगे :

१--बिझवाल
२--तिलखरा खुर्द
३--बहदिया
४--इछवाल
५--खानपुर
६--भाभुरा

बहरियाबाद परगने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ नल-कूप बनान का प्रस्ताव है।

नोट--तारांकित प्रश्न ३७-३८ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

*४२—श्री कमला सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जिन स्थानों पर नलकूप लगाने की योजना नहीं है वहां सिंचाई का क्या प्रबन्ध सरकार करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहरियाबाद परगने में गंगी तथा उदन्ती नदियों के दोआब में टांडा नहर को बढ़ाने की योजना है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खानपुर और बहरियाबाद के कितने क्षेत्र को सिंचाई के लिये नलकूप लगाने की योजना है और वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खानपुर परगने में ६ नलकूप बनाने की बात निवेदन की और बहरियाबाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन कुछ नलकूप बनेंगे , जिनका वितरण अभी नहीं हुआ है। हो जाने पर सूचना दी जायगी।

गाजीपुर जिले में चालू रेडियो सेट

*४३—श्री कमलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने रेडियो सैट सरकार द्वारा लगाये गये हैं और उनमें कितने चालू हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—गाजीपुर जिले में ४० रेडियो सेट दिये गये हैं। इनमें से ३३ रेडियो सेट चालू हैं। ७ रेडियो सेटों के संरक्षकों ने जिला सूचना अधिकारी कार्यालय, गाजीपुर से पुरानी बैट्रियों के स्थान पर नई बैट्रियां सम्भवतः अभी नहीं ली हैं। बैट्रियां बदल जाने पर सेट चालू हो जायंगे।

श्री कमलासिंह—क्या यह सही है कि गाजीपुर में जो बैट्रियां दी गई हैं वह मुश्किल से एक सप्ताह या दो सप्ताह तक चल पातीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। यह संभव है। ऐसी कुछ खराब बैट्रियां आ गई थीं, जिनसे काम नहीं चल सका। इसलिये वह बदली जा रही हैं।

श्री कमला सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बैट्रियां कहां से खरीदी गई थीं और कितने रुपयों में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बैट्रियां पश्चिमी बंगाल सरकार से खरीदी गई थीं और यह खराब साबित हुईं इसलिये इन बैट्रियों को उन्हें वापस किया गया और उनको कोई दाम नहीं दिये गये और दूसरी बैट्रियां ली जा रही हैं।

श्री कमलासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि गाजीपुर जिले में कब तक नयी बैट्रियां पहुंच जायंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि अब तक वहां पहुंच गई होंगी, ५, ६ जो बाकी रह गई थीं उनमें से केवल २ बाक़ी रह गई हैं, जो उनके पास नहीं पहुंची हैं और बाक़ी पहुंच गई हैं।

हरद्वार पहाड़ पर पग-मार्ग-निर्माण

*४४—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार का विचार हरद्वार में पहाड़ पर बाई पास बनाने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं। यातायात के घनत्व को देखते हुए बाई पास की आवश्यकता अभी नहीं प्रतीत होती है किन्तु मेले में पैदल यात्रियों की सुविधा तथा मेला यात्रियों की भीढ़-भाड़ कम करने के लिये सरकार एक पैदल का रास्ता हरद्वार पहाड़ पर बना रही है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मेले के दिनों में हरिद्वार में पैदल यात्रियों पर कोई पाबन्दी नहीं लगती, अपितु यातायात के साधनों में मोटर, बस आदि पर पाबन्दी लगा करती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सभी मेलों में ऐसा होता है लेकिन मैं इसको स्पष्टतः समझ नहीं पाया कि पैदल यात्रियों पर किस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि जो बाईपास पहाड़ पर बनाया जा रहा है वह शहर से दूर जंगल में है और उससे पैदल यात्री मेले में कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसा तो सही नहीं है। यह शहर के निकट ही है और पैदल यात्री उससे निकल कर बहुत नजदीक, प्रायः साढ़े तीन मील का ही यह बाईपास है, दूसरी तरफ उतर सकेंगे और उससे बहुत लाभ मेले को होगा, ऐसी हम लोगों को आशा है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि यह बाईपास १० फुट चौड़ा बनाया जा रहा है और शहर से इतनी दूर है कि वहां तक कोई यात्री जा नहीं सकता सिवाय उसके कि जिसके पास मोटर की सुविधा हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, इसमें यह जो बाईपास बनाया गया है यह वहां के मेला आफिसर और तमाम वहां के लोगों की राय से बनाया गया है। जब वहां पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जायगा तो इधर से आने जाने वाले लोगों को डाइवर्ट किया जायगा उससे हर की पौड़ी के सामने जो भीड़ भाड़ होती थी उसमें काफी सहायता पहुंच जायगी। यह काम बहुत तेजी के साथ वहां पर किया जा रहा है ताकि वह समय के अन्दर पूरा किया जा सके।

डोईवाला–ऋषिकेश मार्ग में सोंग नदी पर पुल बनवाने का आश्वासन

*४५—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या सरकार का विचार डोईवाला-ऋषिकेश मार्ग पर सोंग नदी पर पुल बनवाने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, इस पुल का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायगा।

*४६—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या सरकार का विचार हरद्वार से नजीबादाद तक पक्की सड़क बनाने का है ? यद हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय इस सड़क के निर्माण के लिये सरकार का कोई विचार नहीं है।

*४७—४८—**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर)—[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४९—५१—**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती)—[१४ मार्च, १९५६ के लिये प्रश्न ३९–४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५२—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—[१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३–५५—**श्री रामसुभग वर्मा**—[२ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न संख्या १०–१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रावर्ट्सगंज जिला मिर्जापुर की अस्थायी पी० डब्ल्यू डी० कालोनी पर व्यय

*५६—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि रावर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर की अस्थायी पी० डब्ल्यू० डी० कालोनी पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—५२,६०० रुपये।

*५७—श्री रामस्वरूप—क्या सरकार यह बतायेगी कि कितना रुपया निर्माण में व्यय हुआ और कितना धन अब तक मरम्मत में व्यय हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—निर्माण में ४०,६०० रुपये और मरम्मत में १२,०००रु०।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्थायी पी० डब्ल्यू० डी० कालोनी को बने कितना अरसा हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१९५१ में यह बनायी गई थी।

श्री रामस्वरूप—तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन ३,४ सालों के बाद ही १२ हजार रुपया मरम्मत पर क्यों खर्च किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यहां एक प्रकार से कच्ची ईंटों के कुछ क्वार्टर बनाये गये थे जिसमें २० क्वार्टर कच्ची ईंट की दीवार वाले थे जिन पर जी० सी० शीट लगी थी। इसके अतिरिक्त ६ क्वार्टर बांस की टट्टी के बने थे। यह इस दृष्टि से बनाये गये थे कि तीन साल बाद इनको हटा दिया जायगा किन्तु उसके बाद रिहन्ड डाम का काम शुरू हो गया। इसके बाद यह सोचा गया कि इनको काम में लाया जाय और तब इन पर १२ हजार रुपया खर्च कर के इनकी मरम्मत की गयी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बतायेगी कि अभी इस कालोनी के और कितने दिनों तक वहां रहने की आज्ञा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी आज्ञा की जाती है कि रिहन्ड डाम के अन्त तक यह कालोनी वहां रहेगी।

*५८—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी) —[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५९—श्री लक्ष्मण राव कदम—[१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*६०—श्री लक्ष्मण राव कदम—[२० मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*६१-६२—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

फैजाबाद जिले में सिंचाई की व्यवस्था

*६३—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले की चारों तहसीलों में सिंचाई के लिये अलग-अलग अब तक सरकार की तरफ से क्या-क्या व्यवस्थायें की गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फैजाबाद जिले की चारों तहसीलों में सिंचाई के लिये मार्च, १९५६ तक की गई व्यवस्था के ब्योरा की एक तालिका माननीय सदस्य के मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी आगे पृष्ठ १४५ पर)

*६४—श्री रामनारायण त्रिपाठी—सन् १९५६ तक इसके अतिरिक्त सरकार और क्या-क्या प्रगति करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन योजनाओं के अतिरिक्त अकबरपुर तहसील में टांडा नहर प्रणाली के अन्तर्गत १२ मील की माइनर बनाई जायेगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि टांडा नहर में पानी कब से चालू किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय सदस्य जानते हैं कि उसमें काम लगा हुआ है, वह पम्पिंग कैनाल है। इसलिये वहां पर पम्प पहुंचना है और बिजली का जनरेटर लगना है, जिसमे कुछ थोड़ा समय लग सकता है। काम वहां पर चल रहा है। कोशिश हमारी यह है कि हम जल्द से जल्द इस नहर से पानी दें।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि टांडा नहर के लिये जो लोहा रखा गया था वह वहां से उठा कर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन ऐसा होता होगा। जहां पर जरूरत है वहां चला जाता होगा और फिर जब यहां पर जरूरत होगी फिर आ जायगा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर में कुछ और ट्यूबवेल बनाये जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब जो क्षेत्र इसमें बच जायेंगे उनके लिये ट्यूबवेल जरूर दिया जायगा क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना सरकार की नीति है। इसलिये ही यह नहर निकाली गयी है और टांडा नहर निकाली जा रही है उससे बहुत बड़ा रकबा सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने वाला है।

*६५—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में कोइलडांड बांध की मरम्मत तथा राप्ती नदी पर बिलसरा से रिगौली बाजार तक बांध निर्माण का विचार

*६६—श्री गौरीराम गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील के कोइलडांड, बनदेइया बांध और राप्ती नदी के बांयें किनारे पर बेलसड़ से रिगौली तक का बांध बनवाने का काम कब से शुरू होने जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोइलडांड बांध की आवश्यक मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा घोंघी नाले पर बनदैया बांध बनाने की योजना तैयार की जा चुकी है। राप्ती नदी पर बिलसरा से रिगौली बाजार तक बांध बनाने का प्रश्न विचाराधीन है, क्योंकि सोचा यह जा रहा है कि नदी के ऊपरी भाग में बाढ़ अवरोधक जलाशयों द्वारा राप्ती नदी की बाढ़ पर रोक हो जाय तब नीचे के हिस्सों में बांध बनाया जाय।

नोट—तारांकित प्रश्न ६६ श्री केशव पांडेय ने पूछा।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि राप्ती के ऊपरी हिस्से में जो रिजरवायर बनने वाला है वह कब तक कम्प्लीट हो जायगा, और वह अभी तक शुरू हुआ या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, चार बांध शुरू हुये हैं। २ बहराइच में और २ गोंडा में। इसके अतिरिक्त राप्ती के ऊपर के हिस्से में २५ बांध और बनने की गुंजाइश है। इनके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से रुपया मांगा गया है अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ है इसलिये यह कहना मुश्किल है कि कब तक समाप्त हो जायगा।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब तक नदी के ऊपर रिजरवायर नहीं बन जाते तब तक के लिये नीचे की ओर छोटे मोटे बांध बना कर बाढ़ से रक्षा करने का क्या उपाय हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसा उपाय हो रहा है। लेकिन राप्ती एक ऐसी नदी है जिस पर नीचे बांध बना कर बाढ़ रोकने का प्रयास करना काफी खतरे की बात है लेकिन जहां तक हानि की गुंजाइश नहीं है यह भी किया जा रहा है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि घाघरा नदी में जिस प्रकार से बंडल बांध कर कटाव को रोकने की चेष्टा की जा रही है वैसी ही चेष्टा राप्ती के लिये भी की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसा विचार किया जा रहा है।

भदोही जिला बनारस के बिजली घर पर व्यय

*६७—श्री बेचन राम गुप्त (जिला बनारस)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भदोही नगर, जिला बनारस में जो बिजली घर बन रहा है, उस पर कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बनारस जिले के भदोही बिजलीघर पर लगभग १५ लाख रुपये व्यय होंगे।

*६८—श्री बेचन राम गुप्त—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस बिजली घर पर ३१ मार्च, १९५४ तक कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३१ मार्च, १९५४ तक इस बिजली घर पर कोई खर्चा नहीं हुआ।

श्री बेचन राम गुप्त—क्या माननीय मन्त्री जी बतावेंगे कि ३१ मार्च, १९५५ तक कितना पैसा खर्च हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि जुलाई, १९५५ से तो काम ही शुरू हुआ है, लिहाजा ३१ मार्च, १९५५ तक खर्चा होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

नैनीताल जिले के मतरोंजखान—बेतवाघाट मोटर रोड के निर्माण की मांग

*६९—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि नैनी ताल जिले के मतरोंजखान-बेतवाघाट मोटर रोड के निर्माण हेतु नियोजन समिति द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित धन का उपयोग बहुत काल बीत जाने पर भी नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य——यह सड़क जिला बोर्ड की है। नवम्बर, १९५५ के अन्तिम सप्ताह में जिला नियोजन अधिकारी ने इस सड़क के निर्माण की सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रार्थना की और १०,००० रुपये भी विभाग को दिया। इस के उपरान्त सड़क का सर्वे किया गया और उसके बाद विस्तृत प्राक्कलन बनकर जिला नियोजन अधिकारी की स्वीकृति के लिए भेजा गया, वह अभी उन्होंने स्वीकृत नहीं किया है। प्राक्कलन की स्वीकृति और अनुमानित व्यय की पूरी रकम प्राप्त होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग इस सड़क पर कार्य प्रारम्भ करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस सड़क को ३ मील तक चौड़ा करने का खर्चा १० हजार रुपये में पूरा हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उसके निर्माण के शीघ्र आदेश जारी करने की कृपा करेगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—३ मील में पुलिया बनने में ही केवल ३६,८५० रुपये का खर्चा है, यह प्रश्न हमने नियोजन अधिकारी के पास भेजा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस सड़क के बारे में टेन्डर हो चुके हैं और उनके अनुसार १० हजार रुपये में ही ३ मील का कार्य पूरा हो जाता है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*७०—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)——[१३ मार्च, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

*७१—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)——[१३ मार्च, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

*७२—श्री ब्रजभूषण मिश्र——[१३ मार्च, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

घाघरा नदी के कटाव से बचने के लिये आजमगढ जिले से प्रार्थना-पत्र

*७३—श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या सिंचाई मन्त्री के पास आजमगढ़ जिले के गाजियापुर, चौहानपुर, कुंवरपुरवा, बरोहा, मोलनापुर आदि गांवों के लगभग ५०० व्यक्तियों का आवेदन-पत्र अगस्त और सितम्बर, सन् ५५ में घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिए ठोकर एवं बन्डाल बांधने के लिए आया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी——जी, गाजियापुर, चौहानपुर, मूसाडोही इत्यादि ग्रामों के ग्रामीणों का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था।

*७४—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कटाव का प्रश्न बड़ा व्यापक है जो सरकार के विचाराधीन है। कटाव को रोकने के लिए नदी के दोनों किनारों पर लगातार ठोकर या बन्डाल बनाने पड़ेंगे, जिसमें करीब एक करोड़ रुपया प्रति मील व्यय पड़ेगा। व्यय बहुत अधिक होने के कारण वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के समय में ठोकर या बन्डाल बनाना सम्भव नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यदि भारत सरकार से प्रदेश को वह आर्थिक सहायता मिली, जो मांगी गयी है, तो ऐसे मामलों का प्रबन्ध करने की चेष्टा की जा सकेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कटाव रोकने के लिए सरकार ने कितने का तखमीना बनाया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिन स्थानों पर कटाव होता है, उनका तत्काल प्रबन्ध करने के लिए एक योजना बहुत व्यापक है, जिसमें करीब २०० करोड़ रुपया खर्च होगा, क्योंकि घाघरा में फैजाबाद से लेकर बलिया तक और राप्ती में जहां वह निकलती है, दोनों तरफ ठोकर आवश्यक हैं, तो यह मिला कर कई सौ मील हो जाता है। करीब २०० करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन हमने ऐसा प्रबन्ध किया है कि जहां नदियों का प्रहार होता है, और कटाव होता है, वहीं ठोकरें बनाई जावें, तो शायद कुछ बचाव हो जाय। वह योजना भी लगभग २० करोड़ रुपये की है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस काम के लिए कितने रुपये की मांग की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक अच्छी सीमा तक हम तमाम बाढ़ की सुरक्षा कर सकें, इसके लिए हमने उनसे लगभग ५० करोड़ रुपये की मांग की है।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—क्या इस नदी के कटाव को रोकने के लिए कुछ ठोकर या बन्डाल बनाने की आज्ञा प्रदान की गयी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कई स्थानों में मैं इस चीज को दिखवा रहा हूं। आज्ञा प्रदान कर दी है, यह तो कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन यह आज्ञा अवश्य प्रदान कर दी है कि सस्ते में यह प्रयोग किया जाय और सस्ते ढंग से भी क्या हम कुछ कटाव को रोक सकते हैं। एक जो आरम्भिक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार बाढ़ में टिकने वाली ठोकर बनाने में १५ लाख रुपये से कम खर्च नहीं होगा। उस पर और जांच पड़ताल कराने की कोशिश हो रही है।

श्री रामदास रविदास—इस बचाव के लिए रुड़की कालेज में कुंवें बन कर प्रयोग हो रहा है, वह होकर कब तक टांडा के बचाव का प्रबन्ध हो सकेगा, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है, तथापि माननीय मन्त्री जी चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—हां, मुझे स्मरण है, उत्तर दे दूं। केवल टांडा ही नहीं कई ऐसे शहर हैं, जिनके लिए बाढ़ से क्षति पहुंचने का खतरा है। उनमें टांडा भी है जिन्हें बचाने के लिए शीघ्र प्रबन्ध करना है। हमारी प्रयोगशाला में प्रयोग भी हो रहा है कि किस प्रकार से इन शहरों को बचाया जाय। मैं यह भी सूचना दे दूं कि उन शहरों की एक तालिका हमने बना रक्खी है और उनको बचाने के लिए आवश्यक धन की मांग भी हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कर रखी है। यह सारा प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। वहां से इसका स्पष्टीकरण होने पर कुछ काम आगे बढ़ेगा।

*७५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[१३ मार्च, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली १९५४ में कृत संशोधन

मुख्य मंत्री (डाक्टर संपूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ (५) के अनुसार माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५५०४/१(अ)—५११–५५, दिनांक २५ जनवरी, १९५६, जिससे*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*नियम छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रुल्स ,१९४० मे कृत संशोधन

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर वेहिकिल्स अधिनियम, १९३९ की धारा १३३(३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या २५२५—टी० पी०/३०—१२६९ टी०—१९५२, दिनांक ३० सितम्बर, १९५५ तथा संख्या ४९३४—टी० (एम०) (३०)—११५७(३)—टी०—५५, दिनांक, ३० दिसम्बर, १९५५, जिनसे *उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० संशोधित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, इन पर विवाद के लिए दिन नियत होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—यह पहले ही निश्चय हो चुका है कि जिस दिन यह सदन की मेज पर रक्खे जायं, उससे १४ दिन के अन्दर माननीय सदस्यों को संशोधन भेज देना चाहिए। फिर मैं सरकार को लिखकर पूछ लूंगा। इससे बार-बार आप लोगों को दिक्कत न होगी।

१९५६ –५७ के आय–व्ययक अनुदानों पर विवादार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिए आय-व्ययक में अनुदानों के लिए प्रस्ताव—इन अनुदानों में कौन से आज लिये जायं, और कितना-कितना समय उनमें दिया जाय —इसके लिए सुझाव क्या है ?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, अनुदान संख्या १६—जेल, अनुदान संख्या १७—पुलिस और अनुदान संख्या ३५—प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें ये तीनों अनुदान आज ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—एक साथ ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—एक साथ नहीं। पहले पुलिस तीन घंटे और बाकी दोनों अनुदान आध-आध घंटे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, १६ और १७ ये दोनों एक साथ लिये जायं, और तीसरे में आधा घंटा कर दिया जाय या १५ मिनट।

श्री अध्यक्ष (श्री जगन्नाथ मल्ल से)—आप को तो कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—पुलिस और जेल एक साथ लेने से कोई मतलब तो हल होता नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो यह अनुदान अलग ही लिये जायेंगे। लेकिन ये अनुदान तारीख ६, ७ और ८ तीन दिन के ग्रूप में हैं, तो बाकी को कल और परसों लिया जाय ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—कल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर्स वाला अनुदान लिया जाय और परसों शिक्षा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

---

*नियम छापे नहीं गये।

१९५६–५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १७–लेखा शीर्षक २९–पुलिस

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७ पुलिस, (लेखा शीर्षक २९—पुलिस) के अन्तर्गत, ८,१९,९१,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस एक ऐसा विभाग है जो कि विकास सम्बन्धी विभागों में तो गिना नहीं जा सकता, इसलिए यह जाहिर सी बात है कि पुलिस विभाग का बजट पेश करते हुए उस किस्म की कोई स्कीमें उस प्रकार की किसी योजनाओं को पेश नहीं किया जा सकता जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य या उद्योग जैसे विभागों में पेश किया जा सकता है। फिर भी पुलिस विभाग की इतनी तो महत्ता है ही कि यदि यह विभाग ठिकाने से काम करे तब तो विकास के सारे काम हो सकते हैं, और यदि इसका काम खराब है, तो विकास के सारे काम बिगड़ जाते हैं। एक साधारण सी कहावत है "शस्त्रेण रक्षिते राज्य शास्त्र चर्चा प्रवर्तते"। मैं बहुत ज्यादा समय इस माननीय सदन का नहीं लेना चाहता। कुल जमा तीन घंटे समय हमारे पास है। यदि आवश्यकता हुई तो अन्त में कुछ निवेदन करने का यत्न करूंगा फिर भी दो एक बातों का जिक्र करना चाहता हूं।

सब से पहले तो मैं कुछ थोड़ी सी चर्चा उस मामले की करना चाहता हूं जिस से कि मुझको ऐसा मालूम हुआ कि हमारे कुछ माननीय सदस्य बहुत क्षुब्ध थे। बाराबंकी के एक मामले की तरफ मैं संकेत कर रहा हूं। उस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि ऐसे मामलों पर गौर करते समय हम लोगों को अपने मस्तिष्क के संतुलन को तो कायम रखना ही होगा। कोई भी दुर्घटना हो, किसी को उसमें चोट लगे या किसी की जान जाय, वह बुरी चीज है, मगर सभी घटनायें जिन में किसी के चोट लगती है या किसी की जान जाती है, एक सी नहीं होतीं, एक प्रकार की नहीं होतीं। हर घटना को राजनैतिक रूप नहीं दिया जा सकता, हर घटना राजनैतिक होती भी नहीं। यह दुर्भाग्य की बात जरूर है लेकिन मेरा निवेदन है कि चाहे कोई भी सरकार हो, आगे दो चार सौ बरस बाद क्या होगा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए तो मैं कह ही सकता हूं कि जैसी दुर्घटना यह बाराबंकी में हुई वह बारा बंकी में भी या और जिलों में भी सम्भव है, बहुत कोशिश करें तो न हो, लेकिन वह हो सकती है। यह घटना जिसका मैंने जिक्र किया बाराबंकी जिले के एक गांव उसमानपुर की घटना है, वहां पर अभी हाल में पंचायतों के चुनाव हुए, उसके कारण वहां आपस में काफी तनातनी हो गयी। उस गांव में काफी संख्या में ठाकुर लोग रहते हैं जो पहले जमींदार थे। दूसरी तरफ उसी गांव में कुछ और लोग रहते हैं जिन में अच्छी खासी संख्या कुरमी, पासी और चमारों की है। हम जानते हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन वहां तनातनी पुराने वक्त से आपस में चली आती है, और दुर्भाग्य से अपने यहां जाति और बिरादरी के संघर्ष पहले से भी थे और वह महज कहने से या संविधान बनाने से या कानून बना देने से ही दूर नहीं होते, वह अभी दुर्भाग्य से चले आते हैं और कोशिश हमारी तरफ से उनको दूर करने की जरूर होती रहती है। अभी तक वहां सरपंच ठाकुर थे, लेकिन इस वर्ष वहां एक कुरमी सरपंच हो गये हैं, इस वजह से वहां तनातनी और बढ़ी और काफी बढ़ी और दोनों पक्षों के खिलाफ दफा १०७ और दफा १७० की कार्यवाही करने की जरूरत पैदा हुई। एक मार्च को एक कोल्हू के पास दोनों दलों के लोग जमा हुए और आपस में लड़ाई हुई ऐसी रिपोर्ट है, पहले वहां कौन पहुंचा और बाद में कौन पहुंचा इस पर मुकदमे पर असर पड़ सकता है, इसलिए उस ब्योरे में न जाकर मैं केवल इतना कहूंगा कि वहां दोनों दल जमा हुए, उनमें लाठी चली, और उसमें एक कुरमी मारा गया और ३ घायल हुये, और दूसरी तरफ से एक ठाकुर बहुत बुरी तरह घायल हुए, उनकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हालत खराब है और वह अस्पताल में पड़े हैं। ऐसी फौजदारी की घटनायें होती रहती हैं, न हों तो जरूर अच्छा है लेकिन उनको किसी तरह का राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसी फौजदारी करते हैं, चाहे वह किसी दल के हों, बहुत दुर्भाग्य की बात है और ऐसी घटनायें न हों तो अच्छा है। इस सिलसिले में मेरी इत्तिला यह है कि अभी तक ९ आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उन में से ६ आदमी ठाकुर पक्ष के हैं और ३ कुरमी पक्ष के हैं और आगे अभी तफतीश हो रही है। मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि इसका कोई राजनैतिक रूप नहीं है, और जैसा कि मैं ने अभी कहा कि फौजदारियां होती हैं, और आगे भी होती रहेंगी, हालांकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वह आगे न हों।

मैं एक चीज का जिक्र और करना चाहता हूं और जिसका जिक्र हमेशा आता है, सम्भव है कि इस बार भी वह जिक्र आये, वह विषय है भ्रष्टाचार आदि का। इस सम्बन्ध में मैं अपनी ओर से माननीय मदन मोहन उपाध्याय को धन्यवाद देता हूं और खास तौर से उन बातों के सम्बन्ध में जो कि उन्होंने माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर बोलते हुए और यहां जब बजट के जनरल वाद-विवाद के समय जो कुछ कहा था, मैं समझता हूं उन्होंने उस सब में जो रुख अख्तियार किया था, यदि हम सब उसी रुख को अख्तियार करें, तो निश्चय ही बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। खराबियां हैं, कोई शख्स हम में से किसी राजनीतिक विचार का हो, सदन में उस तरफ बैठता हो या इस तरफ बैठता हो, हम में से किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं हो सकती कि हमारे यहां खराबियां रहें। पुलिस या किसी दूसरे मुहकमे में जो खराबी है, उसकी तरफ से आंख बन्द कर लेना गलत बात है। लेकिन जो व्यावहारिक बात है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यह देखना चाहिए कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, और कितनी जल्दी हो सकता है ? दो कदम इस सम्बन्ध में उठाये गये और जैसा कि उस दिन माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी ने कहा हमको थोड़े दिनों तक इस प्रयोग को अमल में लाने का मौका देना चाहिए। देखना चाहिए कि इस प्रयोग से कहां तक सफलता होती है, कहां तक नहीं होती है। एक कदम उठाया गया, अगर उसमें कोई कमी है तो अनुभव के आधार पर परामर्श के आधार पर बदलने, तरमीम करने और सुधारने की हम कोशिश करें, वे दो कदम ये हैं। ऐंटी करप्शन कमेटियां हर जगह हैं। इस सदन में इस बात का इसरार हुआ कि ऐंटी करप्शन कमेटियों का चेयरमैन नानआफिशियल हो, वह चीज कर दी गयी है। जहां तक मुझे याद पड़ता है एक फर्रुखाबाद जिले को छोड़कर शायद हर जिले में ऐंटी करप्शन कमेटी के चेयरमैन नामजद हो चुके हैं। देखा जाय इससे कहां तक काम होता है, कहां तक इस मामले में सफलता मिलती है।

दूसरी चीज जो कि बिलकुल ही नया प्रयोग है, कमेटियां तो पहले भी थीं, वह यह है कि हर जिले में एक-एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस, कम्प्लेंट्स मुकर्रर किया गया है। शायद पहले भी स्पष्ट हो चुका है, न हुआ हो तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा लफ्ज है जो हमको बार-बार मुंह से निकालना अच्छा नहीं लगता। कम्प्लेंट्स का लफ्ज रखा गया है। जो अफसर, कम्प्लेंट्स के लिए नियुक्त किये गये हैं, उनके सिपुर्द तीन तरह के काम हैं। एक काम यह है कि जिसको भ्रष्टाचार कहा जाता है, रिश्वत इत्यादिक का काम, न कि केवल पुलिस मुहकमे का बल्कि और मुहकमों का भी। लेकिन चूंकि पुलिस की बाबत शिकायत खास तौर से है, कुछ हद तक है भी, इसलिए खास तौर पर उसका जिक्र करता हूं। दूसरी चीज यह है, जो सोलह आने गलत हो ऐसा नहीं, कभी-कभी तफतीश के सिलसिले में मारपीट हो जाती है, शायद लोगों को ज्यादा तकलीफ दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। कुछ ऐसे केसेज हुए भी हैं, हमारी इत्तला में आये हैं, वह भी इस अफसर के सुपुर्द किये गये हैं। तीसरे यह भी शिकायत होती है कि किसी आदमी से कहा गया कि गवाही दो, उसने गवाही नहीं दी, या किसी आदमी ने शिकायत कर दी तो उसके खिलाफ बदला लेने की प्रवृत्ति हो

आती है। इस किस्म की चीज भी इस अफसर के सुपुर्द की गयी है। अभी मुश्किल से एक महीने काम सम्हाले हुए हुआ है, पहली तारीख को काम सम्हाला है। यह मुझ से बताया गया कि कई जिलों में इनकी नियुक्ति का ही चाहे असर पड़ा हो, कई लोग जो कि गलत काम इस किस्म के किया करते थे वह इस वक्त काफी सशंक हो गये हैं। एक और चीज रखी गयी है यह जो अफसर काम करेंगे, यह जिलों के अफसरों के पास अपनी रिपोर्ट करेंगे, जिस किस्म की बात होगी वह रिपोर्ट करेंगे। बाज वक्त यह शिकायत होती है कि अगर पकड़ा भी जाता है तो कोई कार्यवाही नहीं होती। इसीलिए एक खास डी० आई० जी० मुकर्रर किये गये हैं। उनका यह काम है कि यह जो अफसर होंगे, एक तरफ वह नीचे रिपोर्ट करेंगे कि फलां-फलां आदमी के खिलाफ शिकायत पायी गयी और उस रिपोर्ट की एक प्रति वह उस स्पेशल डी० आई० जी० के पास भेज देंगे ताकि एक मियाद देखने के बाद उस मुहकमे के अधिकारी से जवाब तलब कर सकें कि आपके पास हमारे डी० वाई० एस० पी० ने यह शिकायत की थी आपने उस पर क्या कार्यवाही की? जहां तक हो सकता है, चेक और काउंटरचेक का प्रबन्ध किया गया है और हमें आशा है कि इससे सफलता होगी। इन अफसरों को काम सम्हालने के पहले मैंने उनको यहां बुलाया था। मैंने उनसे कहा कि किसी मुहकमे की बाबत बदनामी होना शोभा की बात नहीं है। आप चाहे कितना हाथ बचा कर काम करें, लेकिन जब तक लोगों का विश्वास प्राप्त न करें, लोगों के विश्वासपात्र न बनें तब तक आपकी सारी अच्छाई बेकार हो जाती है। यह एक नया प्रयोग किया जा रहा है। आप लोगों के परिश्रम, ईमानदारी और लगन पर निर्भर करता है कि हमारा यह प्रयोग कहां तक सफल होगा और जो कलंक लग गया है वह कितनी जल्दी मिट सकेगा। जैसा मैंने कहा मुझको भरोसा है कि लोग लगन के साथ काम करेंगे। जो मेरे पास पिछली फोर्टनाइट की रिपोर्ट आयी है उससे मालूम होता है कि थोड़े ही दिनों के अन्दर इन्होंने कई अच्छे काम किये हैं, कई गिरफ्तारियां की हैं, अपने मुहकमें में भी और दूसरे महकमें के लोगों की भी। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस प्रयोग को एक बार चलने दिया जाय, देखें इससे कहां तक सफलता होती है और चीजों के सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही और कहूंगा कि इस सदन में कई बार यह सवाल उठा कि जहां पुलिस वाले कुछ गलती निकालते हैं, वहां पुलिस के लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है और यह ठीक बात भी है। कई बार इस बात का प्रस्ताव आया कि उनकी तनख्वाहें बढ़ें और ठीक बात है कि किसी से हम काम लेते हैं तो अगर अच्छा काम करता है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिये। अभी मैं हाथरस में गया जो मथुरा और अलीगढ़ जिले में कई डाकुओं के दल थे उनको खत्म किया गया। वहां एक जलसा था उसमें लोगों को उत्साह देखने लायक था इसके लिये मैं अपनी तरफ से पुलिस के मुहकमे की तरफ से धन्यवाद देता हूं। हम तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो कई तरह की दिक्कतें पड़ती हैं, इच्छा होते हुए भी इस काम को नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल जो इस सदन ने मन्जूर किया था उसका अच्छा प्रभाव हुआ। मसलन ४ रुपया जो खाने के लिये दिये गये थे। हम अभी तक मकान नहीं दे पाये हैं, गिरते हुए मकानों में अपने खानदानों से बहुत दूर रहते हैं। पारसाल जो यह मन्जूर किया गया कि साल में एक बार सरकारी खर्चे से सिपाही लोग घर जा सकते हैं, इसका काफी अच्छा असर पड़ा है। जहां तक दवाओं का सम्बन्ध है तो छोटे आदमियों को मंहगी दवा नहीं मिलती थी, उन्हीं के लिये खास तौर से प्रबन्ध किया गया है और इन चीजों का बहुत अच्छा असर पड़ा है। और मैं समझता हूं कि पुलिस के आदमियों को इस बात का विश्वास है जहां हमारी आलोचना की जाती है वहां हमारे ऊपर भरोसा भी है। हमारी जितनी आमदनी है सारी की सारी सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में लगेगी और हम बराबर कोशिश करते रहे हैं और हमें ऐसी आशा है कि केन्द्र में भी यह बात समझी जाने लगी है कि और चाहे कुछ हो या न हो पुलिस के लोगों को मकान अवश्य मिलने चाहिये। हमको आशा है

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

केन्द्रीय सरकार पुलिस वालों के लिये मकानों के लिये रुपया देगी । कर्ज के रूप में रुपया मिलेगा आधा केन्द्रीय सरकार देगी आधार हम देंगे, हमने उसको मन्जूर कर लिया। ३,४ वर्ष में देगी जिससे पुलिस में रहने वालों के लिये मकान बना दिये जायं तथा पुरानों की मरम्मत की जाय। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस की बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो सकेगी। मैं इससे अधिक कह कर इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और आशा करता हूं कि जो मांग मैंने पेश की है वह सदन की तरफ से मन्जूर की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। श्रीमन्, यह बात सही है कि इस प्रदेश में अगर पुलिस अच्छी हो जाय तो जितने विकास के काम हैं वह अच्छे हो सकते हैं। हमको यह कसौटी रखनी है कि प्रदेश में जो इस वक्त पुलिस है उसने प्रदेश की जनता की शांति, अमन और सुरक्षा कायम करने में कितनी सफलता प्राप्त की है। इस कसौटी पर जब हम इस प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को कसते हैं तो श्रीमन्, यह कहने में मुझे संकोच नहीं होता है कि देहात के रहने वाले जो ग्रामीण हैं वे भी शहर में रहना अधिक पसन्द करने लगे हैं। इनका एक ही कारण है कि देहात और शहर की जो पुलिस है वह अकर्मण्य प्रमाणित हुयी है। जनता की सुरक्षा और कानून कायदे की पाबन्दी करने और कराने में पुलिस विफल हुयी है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाराबंकी की घटना का जिक्र किया है। श्रीमन्, बाराबंकी की घटनायें तो अकथनीय घटनायें हुयी हैं और उस तरह की प्रदेश में घटनायें घटें यह कोई ताज्जुब नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि बाराबंकी व आगरा के अलावा कई जिले प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर लोग यह समझते हैं कि पुलिस के रहते हुये हमारी रक्षा नहीं हो सकती है। श्रीमन्, जिस प्रदेश में विधायक लोग भी यह न महसूस करें, राजनीतिक पार्टियों के लोग यह न महसूस करें कि हम निर्विघ्नतापूर्वक घूमकर के गांवों में अपने मत का प्रचार कर सकेंगे, उस प्रदेश की पुलिस के लिये यह कलंक की बात होगी। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की पुलिस ने हमारे प्रदेश के जिलों के अन्दर जो घटनायें घटी हैं, विधायक लोगों की हत्यायें हुयीं, लोगों को रास्ता चलते मार डालने की घटनायें घटीं, पुलिस के लोगों ने श्रीमन्, डकैतियों और चोरियों में हिस्सा लिया है, इसके प्रमाण सदन में आये हैं, और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इसको कहना चाहिये था। जहां की पुलिस इन कामों में खुद हाथ बटाती हो वहां की पुलिस के लिये यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिये कि पुलिस निष्कलंक नहीं कही जा सकती है। हमारे प्रदेश में अभी कल की घटना है श्रीमन्, बाराबंकी में सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ से कुछ आदमी मुकदमे की पैरवी करने कार से जा रहे थे। कार रोक कर लोगों को मारा गया और कई आदमियों को दिन दहाड़े ले जाकर के गायब कर दिया गया। इस तरह की घटनायें इस प्रदेश में घट रही हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा श्रीमन्, यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बदले की भावना आदि का खात्मा करने के लिये हमने एक विभाग ऐसा प्रदेश के सारे जिलों में स्थापित कर दिया है जो इसका उन्मूलन करने में सफल होगा। श्रीमन्, मैं यह भी जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जो डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट इस काम के लिये रखे गये हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो सर्किल इंस्पेक्टर रहे हैं और सर्किल इंस्पेक्टर के पद से वे इस जगह पर नियुक्त किये गये हैं। मेरा विश्वास है श्रीमन्, और माननीय मुख्य मंत्री जी को इसकी जानकारी भी है कि पुलिस स्थायी कमेटी ने बार-बार यह आग्रह किया सरकार से कि सर्किल इंस्पेक्टर का जो पद है वह बहुत कलंकित पद है और सर्किल इंस्पेक्टर ही ऐसा होता है जो थानेदार को, कांस्टेबुल को मजबूर करता है घूसखोरी के लिये और मुकदमे में जाल करने के लिये। मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह के प्रमाण जब मिल चुके हैं तो इस स्थान पर जो स्थान कि सारे जिले में फैलाया गया है, घूसखोरी खत्म करने के लिये कितने सर्किल इंस्पेक्टर रखे गये हैं? मेरा विश्वास है श्रीमन्, अन्दाज से मैं कहता हूं

कि अधिक से अधिक सर्किल इंस्पेक्टर इस पद पर नियुक्त किये गये हैं। आज तक उनके जो कारनामे रहे हैं, अगर वह कारनामे सही हैं और अगर वही ज्यादा तादाद में इन स्थानों पर सुशोभित हुये हैं तो मेरा ख्याल है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और बदले की भावना में शायद कमी न हो। हां, यह हो सकता है कि कुछ जहां डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस अच्छे रहे और वह इस पद पर नियुक्त कर दिये गये हों तो वहां ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छा काम हो जाय। लेकिन जहां पर सर्किल इंस्पेक्टर इस पद पर नियुक्त हुये हैं वहां पर मैं नहीं समझता हूं कि वहां कोई कामयाबी मिल सकेगी। साथ-साथ श्रीमन्, यह भी है कि डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस सुपरिन्टेंडेंट पुलिस की राय से ही काम करेगा। मैं समझता हूं कि आज तक जो यह सदन की परिपाटी है और मुख्य मंत्री जी की जो आज तक की आदत है वह एक ही आदत है श्रीमन्, सदन के इधर के बैठने वाले या उधर के बैठने वाले कोई भी माननीय सदस्य हों, पुलिस के खिलाफ वह चाहे जो भी कुछ कहेंगे माननीय मुख्य मंत्री जी उसी का समर्थन करेंगे जो पुलिस सुपरिन्टेंडेंट जिले से लिख-कर दे देगा। उसके खिलाफ माननीय सदस्य कोईभी बात कहें वह मानी नहीं जा सकती है। अतः मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो विभाग खोला गया है इस काम के लिये वह विभाग इस कसौटी पर खरा निकलेगा और पुलिस सुपरिन्टेंडेंट जो आज के हैं, जिनकी वजह से श्रीमन्, इस प्रदेश के जिलों में जो घटनायें घटती चली जा रही हैं, वह दूर हो सकेंगी इसमें मुझे ताज्जुब है। श्रीमन्, एक बात और कहना चाहूंगा तनख्वाहों के सम्बन्ध में। मैं इस पक्ष का समर्थक हूं कि पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट डी० आई० जी० और आई० जी० की आप तनख्वाह बढ़ावें, उनके भत्ते में बढ़ोत्तरी करें, उनको सुविधायें प्रदान करें, लेकिन नीचे के जो असली काम करने वाले लोग हैं, चौकीदार हैं, कांस्टेबिल और थानेदार उसकी तरफ आप खयाल न करें तो आप यह बिल्कुल खयाल छोड़ दीजिये कि पुलिस सुपरिन्टेंडेंट और आई० जी० और डी० आई० जी गांव में जाकर जनता की रक्षा कर सकेंगे। श्रीमन्, आप जानते हैं और मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि आज का जो भत्ता और वेतन का क्रम है वह इस प्रकार है--थानेदार का वेतन १२० रुपये से शुरुआत होती है और ३० रुपया मंहगाई का दिया जाता है। जब थानेदार थानेदारी पर नियुक्त होता है तो उसको एक बार वर्दी दी जाती है। थानेदार थाने से १५ मील की दूरी तक खुद सफर करेगा और उससे अधिक दूर अगर जायगा तो उसको भत्ता मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा डेढ़ रुपया रोजाना उसको भत्ता मिल सकेगा। इसके अलावा श्रीमन्, उसको घोड़े के लिये ३०० रुपया और एस० पी० के घोड़े के लिये ८०० रुपया। भत्ता उसको ४०-४५ रुपया मिलता है। रेल से यदि जायगा तो सेकेंड क्लास का किराया और बस का लोअर क्लास का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई थानेदार ऐसा मिलता है जो लोअर क्लास में चलता हो। वह तो सभी अपर में चलते हैं। इन तनख्वाह, भत्ते और किराये में यह विश्वास मत कीजिये कि वह थानेदार रिश्वत नहीं लेगा और वह ठीक प्रकार से आपके हुक्म की पाबन्दी करेगा। यह नामुमकिन है। श्रीमन्, आगे देखिये कांस्टेबिल की तनख्वाह ३० रुपये से शुरू होती है और २० रुपया मंहगाई उसे मिलती है। शहर के जो रहने वाले हैं उनको तो १७ रुपया कम से कम माहवारी भोजन में और खाने पीने में दे देना पड़ता है। बड़े जिले में रहने वाले को १२ आने रोज भत्ता मिलेगा, छोटे जिले मेंतो ६ आना रोज भत्ता मिलता है। हेड कांसटेबिल को ६ रुपया मासिक मकान किराया मिलता है यह हालत कांसटेबिल की है। चौकीदार के बारे में कहना ही नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी चौकीदारी का खात्मा करके ग्राम पुलिस रखने वाले हैं। कुछ ज्यादा तनख्वाह लेने वालो उनकी जगह पर पुलिस नियत हो जायगी, लेकिन क्या वे काम अच्छा कर सकेंगे यह तो भविष्य बतायेगा। जहां तक चौकीदार का सम्बन्ध है उसको ५ रुपया तनख्वाह मिलती है। अच्छा काम करेगा तो ८ आने महीना और मिलेगा। थाने के बाहर वह जायगा तो दो आने रोजाना मिलेगा। श्रीमन्, इससे बढ़ कर बगारी क्या हो सकती है कि चौकीदार को १२ घंटे की मजदूरी दो आने मिलेगी। आज गांव में बेगारी प्रथा के लिये कानून है कि न ली जाय, लेकिन थानेदार, चौकीदार को थाने के बाहर भेजेगा तो उसको केवल दो आना मिलेगा। वह महीने पर दो बार थाने आयेगा यदि उसके हल्के

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

में कोई घटना न हो तो। यदि इलाके में रोज घटना होती है तो रोजाना उसको आना पड़ेगा। यह जो भत्ता, रेलवे का किराया और वेतन का तरीका है उससे पुलिस का सुधार नहीं होने वाला है। असली जो जड़ है उसको आप तुष्ट नहीं करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं और जब हम वहां देखते हैं कि थानेदार की तनख्वाह में एक पैसे की बढ़ोत्तरी नहीं, चौकीदार के दो आने के भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी नहीं और जब डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का वेतन ढाई सौ के बदले तीन सौ हो जाता है तो यह कोई समाजवादी ढांचा नहीं है और जब मुख्यमंत्री जी डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट की बात सोचें तो साथ ही उनको चौकीदार, कांस्टेबिल और थानेदार की बात भी सोचनी चाहिये।

दूसरी बात आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ जहां शांति सुरक्षा कायम करने के लिये हमारे प्रदेश में डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का वेतन बढ़ाया जाता है, हमारे प्रदेश में पुलिस में भर्ती होती चली जा रही है, हमारे प्रदेश में चौकियों की स्थापना होती चली जा रही है। शहर और देहात में हत्याओं और चोरियों की भरमार होती जा रही है। सरकार की तरफ से सन् ५५ की जो रिपोर्ट छपी है मैं उसमें से पढ़ देना चाहता हूं कि सन् ५३ में सेंध के १८,५२८ केस हुये और सन् ५४ में १८,९८१ हुये और सन् १९५५ में आप देखें तो १,६०,५९० सेंध लगाये गये। इतनी घटनायें हमारे प्रदेश में सेंध लगाने की हुयीं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से बड़ी पाबन्दी की गयी है कि सही-सही थानों में रिपोर्ट होनी चाहिये। जो घटना घटती हो उसका मुकदमा होना चाहिये। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुशासन के चाबुक को हटा करके अगर सदन के सदस्य स्वीकार करेंगे कि जो घटनायें गांव में घटती हैं वह हूबहू रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है तो उससे मालूम होगा कि सरकार को कितनी सफलता इसमें मिली है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि घटनायें घटती हैं, वे बढ़ी हैं और इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं और हत्या और सेंध के केस इतने बढ़ रहे हैं कि जिसका ठिकाना नहीं और पुलिस जो है वह इसीलिये नाकामयाब हो रही है कि वह ग्रामीणों के साथ संयुक्त मोर्चा बना कर इन बुराइयों को दूर करना नहीं चाहती है।

सी० आई० डी० पुलिस के बारे में एक शब्द ही कहना चाहूंगा कि जब हम लोग अंग्रेजी राज्य से लड़ाई लड़ रहे थे तो इस विभाग को पूरी जानकारी रहती थी। श्रीमन् आप आजमगढ़ जा रहे हैं या इलाहाबाद, इसका रिकार्ड वह रखते थे और आपके जाने के पहले सारी तैयारी होती थी। आज कत्ल हो जाता है, लोग उठा लिये जाते हैं और सी० आई० डी० को पता भी नहीं मिलता है कि प्रदेश में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है ?

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, आज मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बाराबंकी में जो आज तक होता आया है वह निन्दनीय है और हमारे लिये एक लज्जा की चीज है। उसी बाराबंकी में इस माननीय भवन के दो सदस्यों की हत्या की गयी और कल भी एक दुर्घटना हुई। मैं उस दुर्घटना के बारे में केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री से मैं उस दुर्घटना से सहमत हो सकता हूं। उसका कारण यह है कि कहीं भी हो, यह माननीय दुर्बलता है, फौजदारियां रोकी नहीं जा सकतीं। यकायक जो फौजदारियां होती हैं उनके रोकने के लिये किसी भी सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यह हो सकता है कि पहले से उसकी सूचना थाने में रही हो या जिले के अधिकारीगण उस बात से भलीभांति परिचित रहे हों, जिससे विस्फोट हो सकता है, हत्या हो सकती है और उस समय यदि अधिकारियों ने कोई उचित कदम न उठाया हो तो यह सर्वथा इस योग्य है कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। यह ठीक है कि हम उन्नति कर रहे हैं, हम कुछ लक्ष्यों और आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से दोष जो इस भारतवर्ष में थे वे शनैः शनैः हट सकते हैं, यकायक उनका हटाना सम्भव नहीं है। आज जो कुछ उस पक्ष से बराबंकी के सम्बन्ध में कहा गया उससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया कि वास्तव में जो हत्या कल हुई उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण था या केवल एक रोष का विस्फोट हो कर दो दलों में लाठी चली या फौजदारी हुई जिसके फलस्वरूप एक की हत्या हुई। श्रीमन्, इस पर अब मैं अधिक समय न देकर इस विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

इसमें कोई शक नहीं और इस सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकतीं कि पुलिस में भ्रष्टाचार है उसके निवारण हेतु जो माननीय मुख्य मंत्री ने कदम उठाया है, जिलों में ऐंटी करेप्शन कमेटीज बनायी गयीं है, वह एक ऐसा कदम है जो भविष्य में चल कर लाभदायक हो सकता है, यदि सुचारु रूप से उसका काम चलाया गया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐंटी-करप्शन कमेटीज बन तो चुकीं लेकिन उनके क्या कर्त्तव्य और अधिकार हैं इस सम्बन्ध में आज तक जिलों में कोई सूचना नहीं पहुंची। इन दिनों पहुंच गई हो तो मैं कह नहीं सकता। जब डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स आप जिले में रखते हैं और उसका कोई सम्बन्ध उस डिस्ट्रिक्ट ऐंटी-करप्शन कमेटी से नहीं रखते हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि उस कमेटी से क्या लाभ होगा ? यह ठीक है कि नान-आफिशल चेयरमैन कर दिया गया लेकिन उसका परिणाम तो यह है कि डी० एम० और एस० पी० जब-जब उसके आफिशल्स रहा करते थे तो बहुत सी बातें उनके दबाव, प्रभाव से, उनकी वजह से हुआ करती थीं। लेकिन आज जब आप नान-आफिशल चेयरमैन करते हैं और उसको कोई अधिकार नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका रहना निरर्थक होगा। पुलिस का भ्रष्टाचार, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतने दिन होने के उपरान्त आज भी वही रवैया और रफ्तार है। श्रीमन्, यह हुआ है कि एक व्हाइट ब्यूरोक्रेसी की जगह पर ब्लैक ब्यूरोक्रेसी को लाद दिया गया है.....

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—प्वाइंट आफ आर्डर सर, श्रीमन्, ब्लैक शब्द आपत्तिजनक है।

श्री अध्यक्ष—अगर वह ब्राउन कह देते तो आप पसन्द करते ?

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, ब्लैक शब्द से हम आपत्ति करते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, मुझे अपने को ब्लैक कहने में कोई आपत्ति नहीं है इसीलिये मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ब्लैक शब्द कहने से आपका मतलब इस प्रकार का नहीं था यानी काले कारनामे वालों से नहीं था बल्कि उनको रंग से मतलब था और काला रंग तो भगवान कृष्ण का भी था।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—अभी तक उनका ढांचा वह नहीं हो पाया है जिसके लिये हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी सतत प्रयत्न करते आये हैं। उनका रवैया जो है, उनकी मनोवृत्ति जो है, उनकी टेंडेंसी जो है और उनकी मेंटेलिटी जो है वह इसी बात की द्योतक है कि वह अभी तक अपने को जनता का मालिक समझते हैं और घूस, भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार आदि कर्म के साथ-साथ उनका एक कर्म और यह है कि वह इनको भलीभांति कर सकते हैं और कोई रोक टोक नहीं है। श्रीमन्, गुनाह केवल पुलिस वालों का ही नहीं है बल्कि नेतागण तथा हम लोगों का भी कसूर है।

आज तक श्रीमन्, जहां वह दूसरे तरीकों से घूस लिया करते थे आज नेता लोग उन के पीछे घुसे रहते हैं और श्रीमन्, हम भी उनके पीछे हैं। जब तक हम अपने को सुधारने के लिये तैयार नहीं होते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता है और केवल दोषारोपण करना ठीक नहीं है।

एक सदस्य—यह ताल्लुकेदारों की मेहरबानी है

श्री अवधेश प्रताप सिंह—भूल जाइये, ताल्लुकेदार तो गये अब तो हम भी जनता हैं। श्रीमन्, आज मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यदि उनकी अवधि में, यदि उनके समय में इस विभाग में उन्नति नहीं हुई तो कदाचित् एक मिनिस्ट्री तो क्या दो चार मिनिस्ट्री आती जाती रहेंगी और इस विभाग में कोई परिवर्तन नहीं हो पायेगा। यह मैं मानता हूं और विरोध विरोध के लिये मैं नहीं करता हूं। शासन को आपने दूसरा रूप दे रखा है। उनके साथ सख्ती हो सकती है। जहां आप चाहें कि उनकी तनख्वाह में वृद्धि हो उसके लिये मैं सबसे पहले तैयार हूं कि उनका वेतन बढ़ाया जाय। लेकिन आज आप सोशलिस्टिक, कम्यूनिस्टिक आदि चीजों के फंदे में फंस कर आप अपना सही रूप भूल गये हैं। इन सब चीजों की बात न करते हुये कि आपकी स्टेट कैसी होगी, समाजवादी होगी साम्यवादी होगी। आप यह देखें कि कोई भी नागरिक कैसे सुखी हो सकता है और यदि हमारे नागरिक सुखी हो जायं तो हमारे लिये बड़े हर्ष और सम्मान की बात होगी श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा कि आप इनमें "कन्फ्यूजन वर्स कनफाउन्डेड" में पड़ गये हैं। उनको कुछ न कहते हुए आप उनकी तनख्वाह में वृद्धि कीजिये, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारिये, सम्भव है इससे उनके रवैये में कुछ तब्दीली हो। हम यह नहीं चाहते हैं कि वह किसी तरह का ऐसा कोई कर्म हो जो वांछनीय न होकर अवांछनीय हो। इसके साथ ही साथ जो हमारे अधिकार हैं वह भी सुरक्षित रहें। किसी रूप में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जो इस प्रदेश के लिये निन्दनीय हो।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है और उसके समर्थन में जो उन्होंने तर्क किये उनको ध्यानपूर्वक मैंने सुनने की कोशिश की। मंत्री जी को हमेशा शिकायत रहती है कि सोशलिस्ट पार्टी का विरोधी दल जो सरकार की गतिविधि की टीका-टिप्पणी किया करता है वह शायद कुछ अनियंत्रित रहता है। मैं आपके द्वारा आज माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ब्रिटिश जमाने में जो पुलिस फोर्स का संगठन था आज उसमें किस माने में परिवर्तन किया गया है। क्या आई० जी० पुलिस ब्रिटिश जमाने में नहीं था? एस० पी० ब्रिटिश जमाने में नहीं था? पुलिस का जो ढांचा और जो संगठन आज है जिसको कि माननीय मुख्य मंत्री जी शायद सोशलिस्ट पैटर्न कहते हैं, इस ढांचे में और ब्रिटिश जमाने की पुलिस के ढांचे में क्या फर्क है? इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारे अफसरों पर विश्वास रखो तो इसमें अफसरों पर विश्वास और अविश्वास की बात नहीं है और न किसी की ईमानदारी और बेइमानी की बात है, यह तो ढांचे की बात है। क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जान सकता हूं कि जैसे वह राम राज्य की कल्पना करते हैं, उस हिसाब से क्या वह किसी एक-तंत्रीय राजा की प्रतिष्ठा आज, इस जनतांत्रिक प्रणाली के शासन में करने को तैयार हैं? राम-राज्य की जो कल्पना करते हैं वे मानते हैं कि "दैहिक, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहिं व्यापा।" तब, उस समय रामराज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, लेकिन आज हम उस समय की शासन प्रणाली को कभी पसंद नहीं करते। एकाधिकारी, डिक्टेटर बढ़िया से बढ़िया काम कर सकता है, लेकिन क्या हम उसको पसंद करते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उसको पसन्द करेंगे? मैं इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने ढांचे की ओर क्यों नहीं देखते? जब हम यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधक समितियां जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी जायं, हम जब कहते हैं कि उन पर सरकार का नियंत्रण न हो, तो वह उन बातों की ओर ध्यान नहीं देते और वह इन बातों को इधर-उधर की बातों में उड़ाना पसंद करते हैं और उसके बाद इस सदन में दूसरे प्रकार की परिस्थिति रखने की कोशिश की जाती है। तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसे डेमोक्रेसी कहेंगे वह इसे सोशलिस्टिक पैटर्न कहें या सोशलिस्ट पैटर्न। मगर वह पहले अपने ढांचे की तरफ देखें कि इस ढांचे में किसी एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ करने की ताकत न चली

आय । जिस ढांचे में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित होगी वह ढांचा जनतांत्रिक ढांचा नहीं कहा जा सकता । वह ढांचा तानाशाही ढांचा कहा जा सकता है । तो इसलिये मेरा कहना है कि क्यों नहीं आज पुलिस फोर्स डेमोक्रेटिक ढंग पर संगठित किया जाता । हमारे यहां की पुलिस ग्राम पंचायतों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्यूनिसिपल बोर्डों के हाथ में क्यों नहीं दी जाती । क्यों नहीं जो न्याय पंचायतें बन रही हैं उनके नियंत्रण में सादी पुलिस काम करे ? माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि आप मुकदमा लड़िये, मगर आप देख लीजिये । १५१ का मुकदमा होता है, उसमें क्यों न गांव पंचायतों को यह अधिकार दिया जाय कि जो मुकदमा १५१ का उनके क्षेत्र का हो उसको वह भी देखें, मैं समझता हूं कि यह उचित है । उनको बताया जाय कि सरकार उनके बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ? इन बातों को जब कहा जायगा पारा गरम हो जायगा माननीय मुख्य मंत्री जी का, और वह कहने लगते हैं श्रीमन्, जहां तक मेरा ताल्लुक है वह मैं कहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—वह बहुत शांत रहेंगे ।

श्री राजनारायण—ऐसा है तो बहुत अच्छा, मैं समझा रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आशा रखी होगी कि राजनारायण नामक व्यक्ति उनके पदचिन्हों पर चलेगा, मगर जब वह बिलकुल गलत धारा पर चलने लगे तो उनके पद चिन्हों पर कैसे चलता ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझको ऐसी दुराशा कभी नहीं थी ।

श्री राजनारायण—ऐसी निराशा उनको हुई होगी क्योंकि वह बराबर कहा करते हैं "गुड मैन गान रांग" । वह कई बार अपने प्रोफेसर को कोट करते रहे हैं कि उन्होंने कई बार उनके बारे में ऐसा कहा था, इसलिये मैं भी ऐसा राजनारायण के बारे में कहता हूं । मैं पूछना चाहता हूं कि किस माने में वह श्रेय लेना चाहते हैं ? मैं श्रीमन्, पूरी लिस्ट पढ़ कर सुना दूं, वैसे मैं कहूंगा नहीं , क्योंकि मेरे यहां सम्मानित सदन के सदस्य श्री रामसेवक जी बैठे है, बाराबंकी के बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है । मैं एक शब्द में इतना कहता हूं कि मुख्य मंत्री को जो सूचना मिली है वह असत्य है । न वहां कुरमी ठाकुरों की लड़ाई थी और न जो व्यक्ति मारा गया वह कुरमी था और न कोई कुरमी सभापति था, मगर माननीय मुख्य मंत्री जी को नहीं मालूम कैसे सूचना मिल जाया करती है । श्री राम सेवक जी सारी रिपोर्टें आपके सामने पेश करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाराबंकी के कत्ल का जवाब दिया जा सकता है ? लखनऊ के कत्ल का जबाव दिया जा सकता है ? लखनऊ में जो लड़का मारा गया क्या उसका जवाब दिया जा सकता है ? वह दो, तीन फर्लांग दौड़ता हुआ एक पान की दूकान पर आया और मेले का दिन था, पुलिस वहां खड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वह मारा गया । अभी अभी दो, तीन कत्ल लखनऊ में हुए हैं, क्या यह कत्ल नहीं हुए हैं ?

मिर्जापुर के बारे में मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर जा कर देखें कि क्या हो रहा है ? अदलहट थाने पर एक मुसहर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और थाने पर ले जाकर उसको मारती है और जब वह मर जाता है तब उसके ऊपर मुकदमा गढ़ने की कोशिश की जाती है कि वहां पर फौजदारी हो गयी थी और सेल्फ डिफेन्स में उसको चोट आ गयी थी । अब इस घटना का माननीय मुख्य मंत्री जी कितने ही सुन्दर शब्दों में अपनी विद्वता से भाष्य करें मगर जनता नहीं समझेगी कि यह ठीक कह रहे हैं । यही आज कारण है कि जनता में अविश्वास की भावना बढ़ती जा रही है सरकार की ओर से । प्रतिदिन १ कालम में, २ कालम में और ३ कालम में बराबर पब्लिसिटी समाचार-पत्रों में निकला करती है मगर उसको कौन पढ़ता है । इसी सूबे में बांदा जिले में यह हुआ है कि एक इक्के पर स्त्री बैठी चली जा रही है और जब वह इक्का थाने के पास पहुंचता है तो जबरदस्ती उस स्त्री

[श्री राजनारायण]

को उतार लिया जाता है और थाने के लोग इस तरह से उतार लेते हैं। अगर इन घटनाओं को देखा जाय तो यह मालूम होगा कि यह घटनायें खुद ही बोल रही हैं। चाहे माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी ओर से बिलकुल यह कहें कि उनकी यह इच्छा अच्छी है लेकिन इस सुन्दर इच्छा को लेकर समाज क्या करेगा जब कि वह बरबाद होता चला जा रहा है। श्रीमन्, मैं यह नहीं कहना चाहता कि जितने पुलिस के अधिकारी हैं और जितने सरकारी कर्मचारी हैं वह सब बेइमान है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि बहुत मन्त्रियों को मैं जानता हूं और सफाई देने के लिये तैयार हूं कि उनसे बहुत से सरकारी कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। और ईमान्दार हैं। मगर यह दोष किसका है। दोष सरकार की नीति का है जो वह बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ बरत रही है। जो आज बड़े बड़े अफसर हैं, आई० जी० की नियुक्ति करने की बात पर नहीं जाना चाहता हालाकि वह भी एक विषय है कि किस प्रकार से उनकी नियुक्ति हुई ? चाहे माननीय मुख्य मंत्री जी उसके लिये अपनी सफाई दें मगर उनकी ईमानदारी और सफाई के बावजूद भी पुलिस विभाग में इससे बड़ा भारी असंतोष है। मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूं मैं तो केवल सारी बात पुलिस के ढांचे के लिये कहता हूं। जब ढांचा ऐसा है तो उसमें इस तरह के दोष आने स्वाभाविक है। वह ढांचा ऐसा बनना चाहिये कि जिस ढांचे में अगर कोई व्यक्ति बेइमानी करना चाहे तो उसके बेईमानी करने के काम पर अंकुश लगे। अगर सरकार यह चाहती है कि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कहा न जाय बल्कि भ्रष्टाचार का काम किया जाय तो यह क्या उचित कहा जा सकता है ? सरकार कहने में तो ऐतराज करती है मगर करने में उसको कोई एतराज नहीं है। कोई भ्रष्टाचार करता चला जाय, कत्ल करता चला जाय, चोरी और डाका करता चला जाय, तो इसमें सरकार को कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर सोशलिस्ट पार्टी इस बात के लिये चिल्लाती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है कत्ल हो रहा है, चोरबाजारी हो रही है तो उसके लिये कहा जाता है वह गलत कह रही है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इन आपत्तियों को अपनी निजी आपत्ति न समझा करें बल्कि सारे ढांचे के रूप में उसको देखा करें। हमारा बिल्कुल इस तरह से साफ निवेदन है कि पुलिस फोर्स को डिसेन्ट्रलाइज करना चाहिये। पुलिस के हाथ में आज इतनी ताकत दी गयी है कि उस ताकत को उससे छुड़ाना चाहिये और जितनी ब्रिटिश इम्पीरियलिस्टिक पावर थी उनको उनसे हटाना चाहिये और फिर उनको हटाकर नवीन ढांचा प्रदान करना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि तनख्वाहों के बारे में बड़े बड़े अफसरों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे कर एक क्लिक रूलिंग पार्टी की बनायी गयी है। यदि यह मनोवृत्ति नहीं होती जो बृटिश साम्राज्यवाद के जमाने की थी और जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि वह तानाशाही है जो उसके अनुसार ही अपने तदनुरुप शासन चलाने के लिये नौकरशाही को मजबूत करती है। उसमें एक श्रेणी रखी गयी है जिसको वह अपने द्वारा दबाने की चेष्टा करती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती रहती है। और उस दबाव से वह उनके अनुकूल चलती रहेगी। इसलिये हम यह आज आपसे कहना चाहते हैं कि आपने इस प्रकार से बड़े बड़े पुलिस आफीसरों को कायम करके अनार्की पैदा कर दी है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में व्यवस्था कायम करने के लिये जनतंत्र प्रणाली के ऊपर पुलिस का संगठन किया जाय।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं माननीय पुलिस मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुए आपके द्वारा उनसे पुलिस के संबंध में एक शिकायत करना चाहता हूं और वह शिकायत मैं आपके द्वारा उनकी सेवा में उपस्थित करता हूं। माननीय राजनारायण जी मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं और अपने व्याख्यानों में अक्सर मेरा जिक्र किया करते हैं लेकिन जब मैं बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो उठ कर चले जाते हैं। यह तो उनके साहस की बात है। खैर,लेकिन उनके ऊपर पुलिस द्वारा हमारा एक समन एक वर्ष से तामील नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष—क्या आप यह चाहते हैं कि जब वे जाने लगें तो उनको रोक लिया जाय।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं उनके साहस के संबंध में ही सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा था। उन्होंने, श्रीमन्, मेरे विषय में—सदन के एक सदस्य के विषय में एक बहुत ही अवांछनीय बात कहीं और मैंने उनके विरुद्ध, श्रीमन्, एक मुकदमा दायर किया है और उसको पूरा एक वर्ष हो गया और बराबर उनके ऊपर पुलिस द्वारा उनके ऊपर समन तामील कराये जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माननीय राजनारायण जी जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, पुलिस उनके ऊपर समन तामील नहीं कर पायी।

श्री अध्यक्ष—यह आप मजाक की बात कह रहे हैं या यह बात सही है ?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—श्रीमन्, मैंने इसी समन की तामील आपके जरिये से भी कराने की चेष्टा की थी लेकिन वह भी नहीं हुआ। मैं अब आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि अपनी पुलिस को इतनी हिदायत तो दे दें कि हम लोगों का ऐसा सही और न्याययुक्त काम तो हो सके।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइंट आफ इनफारमेशन। श्रीमन्, एक बार वह फिर कह दें कि वह क्या कह रहे थे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं यह कह रहा था कि आपके ऊपर समन की तामील नहीं हुई है। (व्यवधान) अगर आपने ४२० का काम किया होगा तो जरूर वही होगा।

श्री अध्यक्ष—आप वैयक्तिक बात न कहें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—तो मैं माननीय पुलिस मंत्री जी से यह निवेदन कर रहा था कि समन तामीली का ऐसा प्रबन्ध कर दें।

दूसरी बात माननीय राज नारायण जी ने यह कही कि पुलिस का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिये। मैं बड़े आदरपूर्वक उनसे कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेटाइजेशन की उनकी क्या व्याख्या है, उनके सोशलिज्म में क्या व्याख्या है। यह तो मैं जानता नहीं कि उन्होंने सोशलिज्म किस गुरू से सीखा और उसको उनसे क्या आशायें थीं और किन आशाओं को उन्होंने पूर्ण नहीं किया। लेकिन में उनसे इतना अवश्य पूछना चाहता हूं कि पुलिस के लिये उनका मापदंड क्या है ? क्या वह रूस की पुलिस को डेमोक्रेटिक पुलिस समझते हैं जिसके द्वारा वैसे ही कितने ही लोगों को जेल या मौत के घर भेज दिया जाता है और अगर वे इंग्लैंड की पुलिस को डेमोक्रेटिक समझते हैं तो वे वहां की पुलिस का भी खाका देखें। जहां तक पंचायतों के अधीन पुलिस को करने की बात है उनकी ही हानि उससे सबसे ज्यादा होगी। उनके गांव में पंचायत का जो चुनाव अभी हुआ उसकी हार की धमक अभी उनके ऊपर होगी। अगर वे अमेरिका की पुलिस को डेमोक्रेटिक समझते हैं तो उनको मालूम होना चाहिये कि अमेरिका की पुलिस कैसी है। मुझे पता नहीं कि अमेरिका के सोशलिस्टों की बात भी राजनारायण जी को याद है कि नहीं। अमेरिका की पुलिस के बारे में सबसे बड़ी बुराई यह है कि वह राजनैतिक शासन के साथ साथ बदलती रहती है। जिस जगह पुलिस राजनीति के अनुसार बदलती हो, पार्टी के बेसिस पर उसका काम होता हो, वहां की पुलिस कभी अच्छी नहीं कहीं जा सकती। न तो डिक्टेटरशिप की पुलिस अच्छी कही जा सकती है और न राजनैतिक दलों के आधार पर आधारित पुलिस अच्छी कही जा सकती है। हां, उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में एक बात जरूर है कि चाहे वैसे उसकी कोई कैसी ही आलोचना क्यों न करता हो लेकिन पार्टी के नाम उसकी कोई आलोचना नहीं की जाती, यह एक प्रसन्नता की बात है। चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कुछ न किया हो लेकिन उसने तटस्थता के साथ अवश्य

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

ही काम करने की चेष्टा की है। तो मैं श्रीमन्, आपका अधिक समय न लेकर केवल तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो डेमोक्रेटाइजेशन आफ पुलिस का नारा किसी इलेक्शन के चुनाव में थोथी व्याख्या करना है। वाकयात के यह बिलकुल खिलाफ है, बुद्धि के बिल्कुल विपरीत है और औचित्य के इतने विपरीत है कि कोई भी समाजवादी या किसी प्रकार के प्रजातंत्र में विश्वास करने वाला सदन के सम्मुख ऐसी बात नहीं कहेगा। वेदान्त की बात कही गई। वेदान्त की बात वह कहे जो वेदान्त जाने। मैं वेदान्त जानता नहीं। मैं व्यावहारिकता को जानता हूं और उसके नाते आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी प्रदेश की पुलिस का ऐसा नियंत्रण न होना चाहिये जिससे जनसम्पर्क के नाम पर उसे ऐसा कर दिया जाय कि पार्टी सम्पर्क हो जाय। प्रदेश की पुलिस का ऐसा संगठन नहीं होना चाहिये जिससे उसका किसी पार्टी से नाता जुड़ सके। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य के नाते ऐसा कहता हूं कि पुलिस ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उस पर ऐसा लांछन या अभियोग लगाया जा सके। मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जैसे लोगों के लिये अगर कुछ और न करा सकें तो कम से कम सम्मन तो तामील करवा ही दिया करें।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, जो सदन के सामने पुलिस का बजट है मुझे विशेष तौर से बाराबंकी के सम्बन्ध में कहना है। पुलिस का एक मात्र कार्य राज्य के अन्दर शान्ति व्यवस्था कायम करना है और वह इस तरह से कि जितनी घटने वाली घटनायें हैं उनको रोके और अगर घट जायं तो जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा दिलायें। इसी दो कार्यों के जरिये वह शांति व्यवस्था कायम कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस कसौटी पर पुलिस को कसें तो बाराबंकी अकेले की घटना को देख लें तो जाहिर हो जायगा कि पुलिस कहां तक अपने कर्त्तव्य पालन में सफल रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने आज बाराबंकी घटना के सम्बन्ध में बताया कि बाराबंकी में जो घटना हुई है वह ऐसे हुई जैसे ठाकुर और कुर्मी के सम्बन्ध में हुई हो, कुछ इसी तरह का आभास मिला? इस तरह की शायद गलत रिपोर्ट उन्हें मिली हो लेकिन मैं आपके जरिये सदन को बतलाना चाहता हूं इसलिये कि यह भी माननीय मुख्य मंत्री ने फरमाया था कि शायद कोई पोलिटिकल कलर हो लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि मैं उस घटना के ऊपर नहीं जाऊंगा कि उसके मेरिट्स क्या हैं, उसमें कौन पार्टी जिम्मेदार है, इसमें नहीं जाऊंगा। अगर आप घटनाओं की असलियत को देखें कि क्या वाकयात थे, किस एटमास्फियर में यह घटना हुई, इसमें दो रायें नहीं होंगी। पुलिस अगर चाहती तो वह हत्या को रोक सकती थी और मैं आपके जरिये सदन को बतलाना चाहूंगा कि वहां जो प्रधान को बताया गया वह कुर्मी नहीं था। वह लोहार जाति का था। दूसरी बात यह कि जो घटना हुई है उसमें उस गांव के ही व्यक्ति नहीं थे, उसमें नूरापुर गांव के बाहर से लठबंध लोग आये थे। यह भी इस सिलसिले में नहीं बताया गया। मैं इस सिलसिले में बताऊं कि बराबंकी जिले में सबसे पहली घटना भगवती प्रसाद शुक्ल जो इस सदन के एक माननीय सदस्य थे उनकी हत्या की हुई। कहा यह गया कि अचानक हो गई लेकिन उस घटना के पीछे षड़यंत्र था और उसका आज तक पता नहीं चला। नतीजा यह हुआ कि इसी सदन के दूसरे माननीय सदस्य साथी अवध शरण वर्मा की भी हत्या हुई। वहां के एस० पी० पुलिस ने कहा कि ऐसी यह घटना हो गई, फिर इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन फिर भी घटना हुई। उसमानपुर में घटना हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि ३१-१-५६ को गया प्रसाद बनिया जो प्रधान का समर्थक था हाल ही में उस पर अत्याचार किया गया, उसको घेरा गया। उसके बाद १०-२-५६ को जिसकी थाने में रिपोर्ट होती है और उसके बाद १३-२-५६ को गयाप्रसाद ने एक दरख्वास्त एस० डी० एम०

साहब के यहां ९-१० व्यक्तियों के खिलाफ दी। उसके बाद १४-२-५६ को उसमानपुर के बाजार में नूरापुर के जमींदारों ने जो लट्ठबंध थे मिलजुल कर वहां जो नया प्रधान चुना गया था उसके पुत्र को लगभग मारने की कोशिश की, लेकिन भाग्यवश वहां पर दो कांस्टेबिल थे, उन्होंने बीच बचाव किया और एक कांस्टेबिल ने बड़ी बहादुरी से काम लिया और किसी तरह से वह बच गया। इसके बाद २४-२-५६ को मैंने स्वयं अगर अध्यक्ष महोदय, इजाजत दें तो एक पत्र जो मैंने कप्तान महोदय को लिख कर दिया उसको पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—उसका खुलासा बतला दिया जाय।

श्री रामसेवक यादव—मैंने लिखा कि उस्मानपुर की हालत बहुत नाजुक है और हो सकता है कि बद्दूपुर जैसी घटना हो जाय और समय रहते आप कोई कार्यवाही करें। जब २४-२-५६ को पत्र लिखकर विद्या प्रकाश के हाथ भेजा तो उन्होंने कहा कि एक प्रार्थना-पत्र मुझको दो। एक प्रार्थनापत्र उनको भी दिया गया। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद २८-२-५६ की रात को उस पासी का खेत मशीन से सींच रहे थे और वहां पर खूब मारपीट हुई और तमाम लोगों के चोट आई और उसकी रिपोर्ट भी २९ तारीख को की गई, लेकिन उस पर भी पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई जब कि दफा १०७ की रिपोर्ट हो चुकी थी। फिर उसके बाद एक पत्र श्री विद्याप्रकाश की ओर से मुझको मिलता है और उसमें उन्होंने लिखा था कि उसमानपुर में झगड़े का अन्देशा है और अगर प्रबन्ध न हुआ तो बहुत गड़बड़ी हो सकती है। उस खतरे को पहले से नहीं रोका गया और उसका नतीजा यह हुआ कि बुधई पासी को एक कोल्हू के पास मार डाला गया और जो गांव के दूसरे भले लोग वहां बीच बचाव के लिए पहुंचे थे उनके भी काफी चोटें आईं और वह घायल हुए। मुझे निवेदन यह करना है कि इस तरह की घटना हो और उसका खतरा पहले से पुलिस को मालूम हो फिर भी पुलिस उसको रोकने की कार्यवाही न करे, वहां के मैजिस्ट्रेट ने, वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया और कोई कार्यवाही पहले से नहीं की। श्रीमन्, धारा १५१ फौजदारी की है उसके द्वारा किसी भी पार्टी के या दोनों पक्षों के कुछ सज्जन शान्ति भंग के अन्देशे के कारण से बन्द किए जा सकते थे और उस समय में हो सकता था कि दोनों दलों का आपस का मनमुटाव बहुत सीमा तक कम हो जाता और यह नौबत न आती, लेकिन पुलिस से सबकुछ जानकर भी कोई कार्यवाही नहीं की और यह जो एक आदमी मारा गया, ४-५ घायल हुए यह सब न होता और सदैव के लिए जो दुश्मनी की खाईं बन गई वह न बन पाती। यहां पर किसी की गलती या खता का सवाल नहीं है सवाल तो पुलिस के इस रवैये का है जिसके कारण अभी अभी सफेदाबाद में भी एक घटना हुई। वहां पर डिप्टी कमिश्नर के यहां चोरी होती है, वकीलों के यहां चोरी होती है, दरोगा तक के यहां भी चोरी होती है, और जब यह हालत है तो फिर जनता की इज्जत और आबरू शायद बच रहे, कोई सुरक्षा और बचाव आज जनता का नहीं हो पा रहा है। अपराधों की स्थिति और घटनाओं का क्रम बतलाता है कि सूचना पहले से होते हुए भी समय से कार्यवाही नहीं की जाती और इस तरह से पुलिस के नीचे के और ऊपर के अधिकारी अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं और यह पुलिस की ढिलाई और निकम्मापन है और यह इस बात का द्योतक है कि पुलिस में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है और इसी कारण से मैं चाहता हूं कि पुलिस का बजट पास न हो।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान सदनके सामने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह मानता हूं कि पुलिस विभागमें कुछ कमजोरियां हैं, हो सकता है और गालिबन वह हों, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा सूबा हो जहां की पुलिस इतनी अच्छी हो, यहां की पुलिस इतनी स्मार्ट और योग्य है जितनी और कहीं की नहीं है। मैं जब यह कह

[श्री शिवनाथ काटजू]

रहा हूं तो मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैंने पंजाब, राजस्थान, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की पुलिस को देखा है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी पुलिस अन्य प्रांतों की पुलिस से कहीं ऊपर और अच्छी है। यह सही है कि उसमें खामियां और कमजोरियां हैं लेकिन ये कमजोरियां हमारे शासन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि कुछ अंग्रेजों ने जो अपनी देन छोड़ी है उनकी वजह से है, कुछ युग परिवर्तन के कारण से और कुछ विश्व में जो अशान्ति हो रही है उसके जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल से मेम्बरान सदन और उस तरफ के लोगों को मुझसे ज्यादा ही जानकारी होगी, लेकिन हम उस जानकारी को रखते हुए उसे दूर करना चाहते हैं। मैं बहुत दुख के साथ कहूंगा अपने इलाहाबाद नगर के अनुभव से कि वहां एक विरोधी दल का अन्दोलन चल रहा है। लगातार छः सात दिन तक उन्होंने प्रचार किया कि पुलिस में बहुत भ्रष्टाचार है। पुलिस के सुधार से उनका मतलब नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उनका मतलब यह है कि सरकार को डिस्क्रेडिट करें। अगर उनका यह राजनीतिक उद्देश्य है तो ठीक है। वह करते रहें। लेकिन यह कहना कि हम पुलिस की कमजोरियों से आंख बन्द किये हुए हैं, शासन पुलिस की कमजोरियों को नहीं जानता है, वही जानते हैं, मेरे ख्याल में श्रीमन्, बड़ी सीमा तक गलत है। पुलिस के एक दल के रूप में पी० ए० सी० है। पी० ए० सी० की ५५ कम्पनियां हैं। उनमें १२ और बढ़ायी जा रही हैं और हमारा अनुभव यह है कि हमारी पी० ए० सी० की कंपनियों ने इस देश में ही नहीं देश की सरहद नैपाल और तिब्बत की सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के और प्रान्तों में विशेष रूप से बड़ी योग्यता से काम किया है जिसका हमको गर्व है। पी० ए० सी० के बारे में आप नहीं कह सकते कि उसमें भ्रष्टाचार है। वह भी एक पुलिस का अंग है। जितनी योग्यता से, जितनी लगन और अनुशासन के साथ हमारी पी० ए० सी० काम कर रही है वह प्रशंसा के योग्य है। जहां तक और पुलिस का सम्बन्ध है। पुलिस में कहीं कहीं कमजोरियां हैं। मैं खुद जानता हूं। मेरा अनुभव है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैं देखता हूं। उसका एक कारण श्रीमन्, यह है कि विभाजन के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद, हमारे प्रान्त में अनुभवी अफसरों की कमी हो गयी। आजकल जो सर्किल आफिसर हैं मेरे खयाल में कहीं कहीं ऐसे हैं जो दो तीन साल से आये हुए नवयुवक हैं, जिन्होंने अभी पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है और उनके ऊपर वह भार पड़ा। उनको सीखते सीखते समय लगेगा। मेरे खयाल में वही काम जो ज्यादा अनुभवी अफसर कर सकते थे, रोकथाम कर सकते थे, तजुरबा न होने की वजह से उनमें खामियां रह जाती हैं। लेकिन कोशिश हो रही है और सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, बराबर यही कोशिश हो रही है कि भ्रष्टाचार और खामियां दूर की जायं। अभी हमारे सामने एक नयी स्कीम आयी है। हर जिले के अन्दर ऐंटी करप्शन आफिसर मुकर्रर किये हैं। हर जिले में ऐंटी करप्शन कमेटियां मुकर्रर की हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ऐंटी करेप्शन कमेटी का चेयरमैन सब जगह एक नान आफिशियल रखा गया है। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इसमें जहां पुलिस वालों का दोष है वहां हमारे समाज का भी दोष आता है। बहुत सारी आपस की बातों का दोष है। तरह तरह की बातें आती हैं। मैं उस पर परदा नहीं डाल रहा हूं। मैं जानता हूं कि कहीं कहीं यह चीजें होती हैं। लेकिन उसको दूर करने की भी कोशिश की जाती है। मैं जानता हूं कि हमारे प्रान्त में आज कहीं कहीं अशान्ति है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अशान्ति से हम प्रसन्न हैं या शासन प्रसन्न है या अशान्ति को दूर करने की चेष्टा नहीं हो रही है। पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ आज ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अशान्ति फैला रहे हैं, जिनका यह ध्येय है, लक्ष्य है कि हमारे देश में अशान्ति हो जिसके द्वारा वह अपना कार्य सिद्ध कर सकें। जहां उनका यह लक्ष्य है, जहां वह तरह तरह के भुलावे लोगों को देते हैं, आपस में झगड़े करवाते हैं, द्रोह फैलाते हैं उसका फल भी यह होता है कि जितनी शान्ति होनी चाहिए उतनी हमारे यहां नहीं है। विशेषकर हमारे प्रान्त में। आप यह भी देखें, हमारे यहां पुलिस की प्रतिशत

संख्या उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। आज हमारे यहां क्या है ? एक लाख, डेढ़ लाख के ऊपर एक थाना पड़ेगा और एक थाने में १२, १५ और २० पुलिस के आदमी और सरकार का इकबाल है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाय जब तक सदर से वहां पुलिस न पहुंचे माकूल इंतजाम नहीं हो सकता। लेकिन हमारी आर्थिक दशा यह है कि हम पुलिस की संख्या को अभी नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए रुपयें का अभाव है। यह सब परिस्थितियां है और इन सबको देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि शासन कमियों को दूर करने की जितनी चेष्टा हो सकती है वह कर रहा है और करता जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लगभग ८ करोड़ रुपये का बजट पुलिस वालों के लिये है उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। आज प्रान्त में पुलिस पर हम काफी रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन शिकायत बहुत है लोगों को पुलिस की। मैं कहना चाहता हूं कि केवल पुलिस की ही शिकायत नहीं है आज पार्टीज की भी शिकायत है। जो लोग पुलिस वालों से नाजायज काम कराते हैं वह लोग भी जिम्मेदार हैं। केवल अगर पुलिस करप्ट होती और पब्लिक ठीक होती तो मैं समझता हूं कि करप्शन इतना न होता। मेरे पास आज भी बहुत से सब-इंसपेक्टर हैं जो ईमानदार हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं....

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---आपके घर के नौकर हैं क्या ?

श्री शिव नारायण---सुनते रहिये साहब, मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर मिसाल है पिछले गत दो वर्ष में वहां जो अराजकता थी उस पर श्री राज नारायण सिंह ने कन्ट्रोल कर लिया। लेकिन जो अच्छे सब-इंसपेक्टर है उनकी सुनवाई और उनका प्रोमोशन नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी पुलिस विभाग में या किसी विभाग में जब चुनाव हो तो ऐसा होना चाहिये कि जिसका सेलेक्शन हो उचित न्याय होना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सी० आई० डी० के जो कर्मचारी जिले में हैं उनका डाइरेक्ट अगर एस० पी० से सम्बन्ध न रखा जाय सीधे आई० जी० से सम्बन्ध हो तो उनका जो डामीनेशन है वह खत्म होता है। अभी हाल ही में हमारे यहां ५,६ दिन हुए मान्यवर, यह जो नया अप्वाइंन्टमेंट हुआ है डी० एस० पीज० का ऐन्टी करप्शन के उन्होंने ने एक सब-इंस्पेक्टर को पकड़ा है मुंडेरवा में जिस से पब्लिक में बड़ी सनसनी है। सरकार ने सुन्दर कदम उठाया है।

इसके बाद मान्यवर, कहना चाहता हूं कि हमारे कांस्टेबिल को जो भत्ता सरकार देती है, डेली एलाउन्स ६ आने, ८ आने मिलता है, डेढ़ रुपया मिलता है शहर के सब-इंसपेक्टर को और गांव में एक रुपया या सवा रुपया मिलता है जो बहुत कम है जिसमें उनका खाने पीने का खर्च नहीं चलता और जब आदमी का खर्च नहीं चलता तो वह नाना प्रकार के उपाय करता है पैसा कमाने का। तो मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इस तरफ ध्यान दे। मैं कहना चाहता हूं कि इनको मुनासिब वेजेज दिये जायं। एक सब-इंसपेक्टर को २०० रु० से कम नहीं मिलना चाहिये। हैड कांस्टेबिल को १२० पर अप्वाइन्ट-मेंट होना चाहिये और कांस्टेबिल का ८० रु० पर। हमने बहुत से पुलिस अफसरान से बात चीत की उन्होंने कहा कि हमको बहुत कम मिलता है। जब ६ आना उनको मिलता था तो देश में १६ सेर का गेहूं मिलता था। तो सरकार को चाहिये आज की परिस्थिति को देखते हुए जब कि ढाई सेर का गेहूं बिक रहा है उसी हिसाब से भत्ता दिया जाय, मेरा सुझाव है कि कम से कम चौगुना भत्ता दिया जाय। जो कांस्टेबुल और हैड कांस्टेबिल हैं उनके बच्चे को सुविधायें दी जायं। मुझसे कई सब-इंस्पेक्टरों से बातचीत हुई उन्होंने बताया कि हमारा ही डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है बल्कि हमसे ज्यादा

[श्री शिवनारायण]

सिविल सप्लाईज और पी० डब्ल्यू० डी० पुलिस से भी ज्यादा करेप्ट है, वहां तो हमसे ज्यादा करप्शन है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि पटवारी से तो अच्छे हैं। पटवारी तो दोनों पार्टियों से लेता है और यह मोरेलिटी हमारी गिरी हुई है। समाज को ऊंचा करें हमारे भाई ने उस वक्त कहा था कि ताल्लुकेदारों ने हाथ खींच लिया। तालुकेदार आज भी बसे हुए है, कोई उजड़ नहीं गए हैं। बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं वह नाना प्रकार की गलतियां कराते हैं। मेरे दोस्त बाराबंकी के माननीय सदस्य ने कहा कि दो कांस्टेबुलों ने बचाव किया। तो पुलिस तो उस वक्त आती है जब उनसे यह कहा जाय कि हमारे ऊपर यह जुल्म हो रहा है, मेरा बचाव करो। तो उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, हमारे समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि उनकी भी जरूरियात को देखा जाय और करप्शन का पता लगाया जाय कि क्यों करप्शन है। मैं एक दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार एलान करे कि अगर किसी के इलाके में कत्ल हुआ और वहां के दस आदमियों ने कहा कि इसने रिश्वत ली तो उसको फांसी दे दी जाय। फांसी से मेरा मतलब यह है कि उनको निकाल दिया जाय। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस पर ही सारा समाज डिपेंड करता है और सोशलिस्ट पैटर्न का जो यह नारा लगाते हैं यही लोग ज्यादा गाली देते हैं, हमको भी गाली देते हैं और पुलिस को भी गाली देते हैं और पुलिस से काम भी लेते हैं। सी० आई० डी० वालों से मैं जरूर कहना चाहता हूं कि नाना प्रकार की बातें जो होती रहती है उनसे वह सरकार अवगत करायें। अंग्रेजों के जमाने में अगर हम घर में चावल पकाते थे तो सरकार के पास खबर पहुंच जाती थी। तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और इनको ठीक करना चाहिए। बड़े-बड़े आफिसर्स को वर्दी का एलाउन्स आप देते हैं लेकिन सब-इंसपेक्टर को नहीं देते। तो सरकार को उनका भी ख्याल करना चाहिए और अगर हम उनकी तरफ थोड़ा भी कदम बढ़ायेंगे तो वह भी हमारे साथ पूरा सहयोग करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के लोग उस किताब को पढ़ लें—हू रूल्स इंग्लैंड। यहां के एग्जीक्यूटिव आफिसर्स जितने हैं उनको यह समझ लेना चाहिए कि आज हम यहां हैं तो कल को कोई दूसरा यहां आ सकता है लेकिन वह तो ५५,५६ वर्ष की उम्र तक यहां रहते हैं। तो यह उनकी ड्यूटी है कि मुल्क का शासन ठीक रहे ताकि आजादी जो हमारी मिली है बड़ी कुर्बानियों के बाद उसकी रक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—श्रीमान् जी, मैं आपके सामने पुलिस के सम्बन्ध में कुछ कहने को आया और कहने के साथ ही यह कहा जा रहा है कि एतराज करने को तो लोग चलते हैं लेकिन सुझाव कोई नहीं देता। सो सुझाव भी मैं दूंगा और अगर सरकार उनको मुनासिब समझे तो उन पर अमल करे। यह कहा गया कि हमारी पुलिस बहुत अच्छी है और जरायम की तादाद घटती जा रही है। जरायम की तादाद, घटे क्यों न जब रपटों का इन्दराज ही नहीं होता, तो घटना तो आसान ही है। जब रपटें लिखी ही नहीं जातीं तो जरायम की तादाद तो घट ही जायगी। बदायूं का एक चिट्ठा मेरे पास मौजूद है जो सवाल जवाब के मुताल्लिक आया था। बदायूं में १६ थाने है जिनमें तीन तो ऐसे है कि जहां आदमियों और जानवरों की चोरी हो जाती है और फेरे लेकर आदमी व जानवर बदले जाते है बैलों की चोरी हो जाती है और फेरे लेकर बदले जाते हैं और चोरियां थानों से मिलकर करायी जाती हैं। भैंसें थानेदार साहब के यहां बंधी है, दूध खा रहे हैं। जो शिकायत करता है उसके यहां चोरियां करा दी जाती है। रजपुरा, उसहत और हजरतपुर थाने इसके नमूने हैं। डकैती होती है तो चोरी लिखी जाती है। चोरी डकैती के नामजद रिपोर्ट होती है तो जिनके नाम रपट होती है वह तो छोड़ दिए जाते हैं कुछ लेकर और दूसरों को पकड़ कर बन्द कर दिया जाता है। कहने को यह कहा गया कि करप्शन सभी के अन्दर है। ठीक है बुराइयां जरूर हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती। यह तो ठीक है लेकिन

हमें तो यह ढूंढ़ना है कि वह चरित्र बने कैसे। गीता में आया है कि जिस काम को बड़े आदमी करते हैं छोटे आदमी उसकी नकल किया करते हैं। तो छोटे आदमी ये चौकीदार पटवारी वगैरह हैं। बड़े आदमियों को खुद समझना चाहिए कि हमारा आचरण ऐसा हो जैसा नौशेरवां आदिल का था कि वह कहीं भी जाता था तो नमक की डली के भी दाम देता था। बड़े आदमियों को यह सोचना चाहिए कि वह जहां भी जायं, उनके चरित्र का अच्छा असर पड़े। हमारा मिनिस्टर आया, हमारा फलां बड़ा शख्स आया, देखो उसने दूसरी जगह न किसी की चाय पी, न कुछ खाया, न लिया। बड़े आदमियों की नकल छोटे आदमियों को हमेशा करनी होती है।

अभी मेरे भाई ने कहा कि छोटे आदमियों की तनख्वाह जरूर बढ़ानी चाहिये। चौकीदार, थानेदार, कांस्टेबिल, वगैरह यही छोटे आदमी हैं। इनकी तनख्वाह कम है। जो भूखा होगा वह भड़वाई करेगा ही और जो अघाया होगा वह पंडित बनेगा ही। तो इस लिये उनकी तनख्वाह बढ़ा कर इस हिसाब से कर देनी चाहिये कि इनके बच्चों के खाने कपड़े की सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले ले। एक नमूना गांव में है जिसको मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक किसान जो खेती करता है तो सात आदमी उसके साथ होते हैं, लोहार, बढ़ई, नाऊ, बारी, वगैरह। वह अपनी उपज का एक हिस्सा उन्हें देता है चाहे रुपये का सौ मन बिके चाहे रुपये का रुपये के बराबर बिके उनके इन्तजाम में कोई फर्क नहीं आता है। इसी तरह से मैं तो गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि वह छोटे आदमियों की यह सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। आखिर जो तनख्वाह वह देती है वह उनके खिलाने पिलाने के लिये ही तो देती है। इस लिये सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट अगर ले ले तो वे भी निश्चिन्त हो जायं। फिर वे रिश्वत लेंगे किस लिये? एक बात और है, जितने मुलाजिम हैं उनकी क्या तनख्वाह है, क्या आमदनी है, क्या खर्च है, यह सब देखा जाय क्योंकि डेढ़ सौ रुपये तनख्वाह पाते हैं थानेदार और चार चार गायें भैंसे भी हैं। ऐसा मालूम होता है कि डिप्टी कमिश्नर से भी ज्यादा तनख्वाह थानेदार की है। अगर वह अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं तो लाते कहां से हैं? इस लिये एक जांच कमेटी होनी चाहिये, हर एक एकाउन्ट देखा जाय, लड़के के नाम क्या जमा कर रखा है, बीबी के नाम क्या जमा कर रखा है, उनकी पास बुकें देखी जायं। ये पास बुकें आयीं तो रियाया से ही लूट कर के। एक और सुझाव है मेरा कि जैसे आपने ऐंटी करप्शन डिपार्टमेंट खोल रखा है। अभी मैंने मंत्री जी से सुना कि विभाग के बाहर के आदमी भी रखे गये हैं। तो मैं चाहता हूं कि विभाग के बाहर का ऐसा विचारवान पुरुष जो गांव में मिल जायगा, मुल्क में ढूंढे तो मिलेगा, ऐसे लोगों से रिपोर्टों की मांग की जाय और खुफिया तरीके से उनसे रिपोर्ट मांगी जाय तो आपका विभाग चल सकता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जब अधिकारियों की आमदनी और खर्च पर आप इस तरह की रोक लगा दी और उसकी जांच पड़ताल की और छोटों की तनख्वाह बढ़ाई और उनकी रोटी कपड़े की जिम्मेदारी ली तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो मुफ्त का पाप कमाये। इसलिये मैं अपने भाषण को इतना ही कह कर खत्म करता हूं कि पुलिस में करप्शन है और उसके अन्दर बुराई है, डकैतियां और चोरियां बढ़ रही हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है जिसके अन्दर डाकू न हों, लेकिन उसका सुधार वही है जो मैंने तरकीब बतायी।

श्री राजनारायण––आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी मुझे खबर मिली है, "स्वतंत्र भारत" के संवादादाता ने फोन किया है कि हैदरगढ़, बाराबंकी के जिलों में एक मर्डर अभी आज फिर हो गया है, इसकी कोई खबर माननीय मुख्य मंत्री के पास आयी है।

श्री उपाध्यक्ष––वह तो माननीय मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो उत्तर देंगे।

श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय पुलिस मंत्री और उनके इस विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। वह इस लिये कि प्रदेश में पुलिस का एक महत्वपूर्ण विभाग उनके मातहत है और इस विभाग ने अभी हाल ही में प्रदेश के बड़े-बड़े डकैतों के दलों का सफाया किया और इससे जनता में विश्वास की भावना बढ़ी है, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस लिये वे बधाई के पात्र हैं। इस प्रदेश के पुलिस की प्रशंसा हम ही नहीं करते हैं बल्कि हमारी भारत सरकार के बड़े तथा प्रतिष्ठित अधिकारियों ने भी की है। और हमें वह दिन भूले नहीं हैं जब इस देश का विभाजन हुआ था और उस समय देश द्रोहियों में से बहुत से लोग ऐसा कहते सुने जाते थे कि अब इस प्रदेश में सरकार समाप्त होने वाली है। लेकिन इन बहादुर नौजवान सिपाहियों ने चाहे वह चौकीदार रहे हों या पुलिस इंसपैक्टर रहे हों तो उन्होंने जिस बहादुरी और लगन के साथ इस प्रदेश की मर्यादा को कायम रखा है वह प्रशंसा के ही काबिल नहीं है बल्कि अन्य प्रदेशों के लिये अनुकरणीय है। यह सत्य है कि जनता में पुलिस इतना विश्वास प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी है जितनी कि आवश्यकता है और इसके लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी प्रयत्नशील हैं। उन्होंने निकट भविष्य में एक विभाग की स्थापना की है उससे जनता में काफी विश्वास बढ़ा है। मैं अपने विरोधी मित्रों से यह प्रार्थना करूंगा कि यह विभाग अभी अपनी बाल्यावस्था में है और थोड़ा सा धैर्य रखें और देखें कि इस विभाग के कायम होने से क्या अच्छा असर होता है। आप इसको एक मौका दें ताकि इस विभाग के अच्छे-अच्छे कर्मचारी जनता में इस विभाग के प्रति विश्वास पैदा करें और अशान्ति के प्रति जिसका हम जिक्र करते है एक अच्छा वायुमंडल पैदा कर सकें और इस प्रदेश की जो मर्यादा है उसको ऊंची उठाने में समर्थ हो सकें।

जुर्मों के न लिखे जाने के बारे में हमारे बहुत से दोस्तों ने शिकायतें की हैं और मैं भी मानता हूं कि शिकायतें रहती हैं। मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि जुर्म नहीं लिखे जाते हैं और यह शिकायत धीरे-धीरे मिट रही है। मैं अपने जिले की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। जिले के उच्च अधिकारी से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आपने जो आदेश दिया है सब दरोगाओं को कि एक भी जुर्म की रिपोर्ट लिखने से न छूटे, क्या इससे जुर्म के आंकड़े बढ़ेंगे नहीं। इस पुलिस के उच्च अधिकारी ने फौरन कहा कि मेरी मंशा यह नहीं है और मैं उस दरोगा को सफल नहीं समझता हूं जो जुर्मों को छिपाये और जिसके यहां कोई जुर्म न हो उसी को मैं अच्छा मानूंगा जिसके यहां के हर तरह जुर्मों की रिपोर्ट दर्ज हो और कितने मामलों में वह कामयाबी हासिल कर सका है और जुर्म करने वालों को सजा दिला चुका है। यह एक संकेत है जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी पुलिस के उच्च अधिकारियों के दिमाग में परिवर्तन लाने का सफल प्रयत्न कर रहे हैं और परिवर्तन बराबर आ रहा है।

दूसरी तरफ आज से पहले लोगों की यह शिकायतें थीं कि जमानत बहुत जल्दी हो जाती है। मैं देखता हूं कि अब जो पेशेवर जमानत करने वाले हैं उन पर सख्त निगाह रखी जाने लगी है और उनकी हिम्मत जमानत करने की दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। यह भी एक सुधार का लक्षण है और मैं समझता हूं कि धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते जायेंगे।

पुलिस के छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़नी चाहियें। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन यह कार्य बजट जिस तरह से इजाजत दे उस तरह से किया जाय। अब मैं एक बात अपने क्षेत्र के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर दूं। १९-९-५२ के इस सदन के अधिवेशन में ३६ वें प्रश्न के उत्तर में उस समय के माननीय गृह मंत्री तथा पुलिस मंत्री और अब के मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि सिधौली थाने के अन्तर्गत कुंवरपुर चौकी का निर्माण किया जायगा लेकिन चार साल गुजर जाने के बावजूद भी इस बजट में उसका कहीं संकेत नहीं पाता हूं। इससे मुझे निराशा होती है और मैं यह निवेदन करता हूं कि यह मांग

अभी तक वैसी ही आवश्यक बनी हुई और मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे । अन्त में मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

राज्य पुनर्संगठन रिपोर्ट जबसे पेश हुई है उसके बाद से ही हमारे देश में जो घटनायें घटित हुई हैं उनसे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किस ओर बहे जा रहे हैं । मेरा नम्र निवेदन यह है कि ऐसी हालत में न केवल पुलिस की संख्या में ही बढ़ोत्तरी होनी चाहिए बल्कि उसको आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित किया जाय । मुझे ऐसा लगता है कि सम्भव है अपने प्रदेश की पुलिस की आवश्यकता सारे देश को पड़े इस लिये अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है और यदि हम ऐसा करेंगे तो अपने देश का ही भला नहीं करेंगे बल्कि मानवता की रक्षा कर सकेंगे ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस में भ्रष्टाचार है मैं इस बात को मान कर इस विषय पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं । पुलिस में तरह-तरह का करेप्शन है और उस करेप्शन में कोई कमी नहीं है इस पर हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सदन में रोशनी फेंकी है इसलिये मैं इस पहलू को आपके सामने दोहराना नहीं चाहता । मैं पुलिस के उस पहलू पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं जिसमें कि हम पुलिस के भ्रष्टाचार को जो सिस्टम की खराबी और उच्च अधिकारियों के बर्ताव की खराबी का कारण है-मैं उस पहलू को आपके सामने पेश करना चाहता हूं ।

सब से पहले अगर आप सब-इंस्पेक्टर के पे-ग्रेड को लेकर देखें तो १२ साल के बाद सब–इंस्पेक्टर बेचारे गरीब के सामने कोई चारा नहीं रहता है सिवाय इसके कि वह अपनी तरक्की अपने आप करे इसलिये कि १२ साल के बाद उसकी कानूनी तरक्की बंद हो जाती है और इसलिये वह मजबूर है कि वह अपनी तरक्की जायज और नाजायज हर तरीके से करे । इस पर हमें कुछ विचार करना चाहिये । दूसरे रेक्रूटमेंट की एक बड़ी खराबी है । सेना में आज जो व्यक्ति सेकिंड लेफ्टिनेन्ट के पद पर भरती होता है वह कमांडर इन चीफ हो कर रिटायर हो सकता है । अगर यह बात भारतीय सेना में हो सकती है तो इसी सिस्टम आफ रेक्रूटमेंट को आप यहां की पुलिस में भी क्यों न रखें ताकि सब इंस्पेक्टर तरक्की करते हुये आई०जी० हो कर रिटायर हो सके । ऐसा होने से उसको तरक्की करने का मौका रहेगा और उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि ईमानदारी भी उसके कैरियर में कोई महत्व रखती है । आज सब इंस्पेक्टर के सामने कोई नमूना नहीं है कि ईमानदारी उसके कैरियर में कोई मदद दे सकती है । एक तरफ लाखों रुपये की रिश्वत और दूसरी तरफ कोरा आदर्शवाद । मैं समझता हूं कि अगर हम में से बहुत से सब–इंस्पेक्टर होते तो वह भी ऐसी परिस्थिति में आदर्शवाद की तरफ न रहते और करेप्शन की तरफ बह जाते ।

दूसरी बात श्रीमन्, हमारे एक सदस्य ने बतायी कि जो स्पेशल डकैती पुलिस बनी थी उसने भयंकर डाकुओं को लिक्वीडेट कर दिया, लेकिन उस के लिये बरसों लगे और हजारों लाखों रुपया खर्च हुआ । अगर हमारी पुलिस का इंटेलीजेंस स्टाफ अधिक अच्छा होता तो बहुत कम समय लगता उनको खत्म करने में और इतना समय बर्बाद न होता, इतना रुपया खर्च न होता और पुलिस तथा जनता के इतने आदमी न मारे जाते और इस तरह से जनता की कमाई का लाखों रुपया बच जाता ।

इसके अलावा जनता की कमाई का हजारों रुपया खर्च करके सरकार ने कुछ खास अफसरों को स्टाकलैन्ड यार्ड में ट्रेन्ड कराया और आज हम देखते हैं कि वह कहीं डी०आई०जी० हो कर पड़े हुये हैं या दूसरे प्रदेशों को लोन पर दे दिये गये हैं । अगर हमारी जनता ने उन पर रुपया खर्च किया है और उनको विशेष ट्रेनिंग दिलवाई है तो उनके अध्ययन से यहां के प्रदेश की पुलिस को लाभ उठाना चाहिये, वह ट्रेनिंग इस प्रदेश की जनता की भलाई के काम में आनी चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये क्या किया गया है ?

[श्री भगवान सहाय]

तीसरी बात अगर आप सब-इंस्पेक्टर के सफर एलाउन्स को देखिये तो पता लगेगा । मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय कम है लेकिन आप खास तौर से उस एलाउन्स को देखिये जो कि एक सब-इंस्पेक्टर को अपने थाने से शहर तक आने के लिये मिलता है भत्ते के रूप में, खास कर उन जगहों पर जहां बसें या रेलें नहीं हैं ऐसी जगहों पर भत्ता नहीं मिलता। सिपाहियों का भत्ता देखिये तो पता चलेगा कि ऐसा होता है कि जो मुजरिम है उसको खुराक एलाउन्स ज्यादा मिलता है और जो सिपाही है उसको कम मिलता है। तो यह बातें ऐसी हैं कि जो किसी तरह से भी उनको ईमानदारी की तरफ ले जाने के लिये प्रोत्साहन नहीं प्रदान करतीं ।

इसके अलावा, श्रीमन्, यहां बड़े अफसरों की जो बेईमानी पुलिस फोर्स में होती है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप कपड़े का एलाउन्स देखिये। बड़े अफसरों को कपड़े के एलाउन्स के लिये ज्यादा अच्छे टर्म्स हैं और थानेदारों के लिये खराब हैं। अभी हाल में एस० पीज० को घोड़ा खरीदने के लिये रुपया दिया गया। वह भी ज्यादा दिया गया सब इंस्पेक्टर के मुकाबिले में और उसके अपकीप के लिये और दूसरे ईक्विपमेंट के लिये भी ज्यादा रुपया दिया जाता है। मैंने सैकड़ों सब इंस्पेक्टर्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कि हमारे एस० पीज० के घोड़े क्या जलेबी खाते हैं या क्या करते हैं जो उनको घोड़े के लिये इतना ज्यादा रुपया दिया गया। फिर इसके अलावा वह शहर में रहते हैं और वहां की स्टाफ कार भी इस्तेमाल करते हैं। इतना ज्यादा रुपया और दूसरे शहर में रहने के कारण स्टाफ कार। सभी जानते हैं कि आज के जमाने में ऐसी-ऐसी बातें, बड़े और ऊंचे, ज्यादा तनख्वाह पाने वाले अफसरों को ज्यादा तनख्वाहें और ज्यादा एलाउन्स और कम तनख्वाह पाने वालों को कम एलाउन्स और कम कीमत के घोड़े यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

अब श्रीमन्, जब हम देखते हैं कि हम लोग दारुलसफा में रहते हैं और मैं अपने लिये कहता हूं और ईमानदारी से कहता हूं कि अपनी रोटी ५२ रु० में नहीं चला पाता हूं तो फिर पुलिस का सिपाही ईमानदारी से कैसे अपनी रोटी, मरना जीना, बच्चों का पढ़ाना और सब काम ५२ रु० मासिक में चला सकता है और हम कैसे उससे ईमानदारी के साथ रहने की आशा कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि वह ईमानदारी से अपने काम चलाये और इतनी जिम्मेदारी जबकि पुलिस फोर्स को दी गयी है तो हमें उनके लिये कुछ वेतन बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि वह अपनी जिम्मेदारी को सही रूप में निभा सके और उसको ईमानदारी से रहने का मौका मिल सके।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद इसलिये देता हूं कि जो विभाग आपके सिपुर्द है वह विभाग ही कुछ इस प्रकार का है। गोस्वामी जी ने उसके विषय में कहा है कि "गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम शैल बिशाला।" यह मानना पड़ेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी का लक्ष्य था कि भारतवर्ष में रामराज्य की स्थापना की जाय, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि स्वराज्य मिल गया है लेकिन अभी तक सुराज्य नहीं हुआ है। गोस्वामी जी के शब्दों में यह कहा गया है कि "अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जिमि सुराज्य खल उद्यम गयऊ" लेकिन इसमें दूषण किसका है? हम तो यह कहते हैं कि दोष है पर किसका है यह विचार करने की बात है। मैं बाराबंकी जिले का रहने वाला हूं जिसके विषय में उधर से बहुत बातें कही गयी हैं। क्या वे बातें सत्य मानी जा सकती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नीति यह है कि ठकुर सुहाती कहने से राज्य नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी के शब्दों में 'सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो, प्रिय बोलहिं भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होय बेगहि नास" इसी प्रकार से रावण राज्य में जब यह सब दोष मिल गये तो रावण का राज्य नाश हो गया। रावण से लड़के ने कहा था कि भगवान से विरोध नहीं करना चाहिये लेकिन उसने नहीं माना और उसका विनाश हुआ। लड़के ने रावण

से कहा "सचिव कहे सब ठकुर सुहाती। नाथ न पूर आव यह भांती"। इसको रावण ने नहीं माना और अन्त में उसका नाश हुआ। लेकिन दूषण किसका है। दूषण किसी और का नहीं है दूषण तो अपना ही है। कबीरदास के शब्दों में "बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोय, जो दिल खोजा आपना मुझ सा बुरा न कोय" इसमें तो अपना ही दोष है। मैं तो यह इसके लिये निवेदन करूंगा कि तीनों का इसमें दोष है। सरकार का भी दोष है, पुलिस का भी दोष है और प्रजा का भी दोष है। गोस्वामी जी ने कहा है कि "आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग, लोक वेद मर्याद गयी है। प्रजा पतित पाखंड पापरत अपने-अपने रंग रई है।" इसमें सब का ही दोष है। प्रजा भी दोषी है, पुलिस भी और सरकार भी दोषी है। कोई निर्दोष नहीं है। वहां पर भी दूषित भावना चल रही है। मैं इस मसले को देखते हुये और उसके रवैये को देखते हुये अपने मंत्री महोदय से और अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि कठिन शासन की आवश्यकता है। बाराबंकी में अराजकता फैल रही है। उसके लिये विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। वहां पर शासन कामयाब नहीं हो रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का जो गुप्त विभाग है वह बाराबंकी जिले के उन सब गुन्डों का पता लगाये जो यह सब काम कर रहा है। वे केवल थोड़े से व्यक्ति हैं जिनके कारण जिले का वातावरण इस प्रकार से बिगड़ता जा रहा है। अभी हैदरगढ़ के विषय में एक माननीय सदस्य से खबर मिली है कि कत्ल हो गया है। सुधारने के लिये जब तक शासन कठोर नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी तो इस प्रकार से प्रयास किया जाय कि इस प्रकार से गलत काम करने के लिये लोग उद्यत न हों। जब तक साधन ठीक नहीं होता तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त होती। कहा है कि "सुभग सेज सोवत सपने, वारिधि बाढ़त भय लागे। कोटिहि नाव न पार पाव सो, जब लगि आप न जागे।।" जब तक वह जागता नहीं है तब तक यही सोचता है कि वह डूबा जा रहा है यद्यपि उसके पास नौकायें हैं, जहाज है, सुन्दर खेने वाले हैं लेकिन जब तक वह जागता नहीं है तब तक यही समझता है कि मैं डूबा जा रहा हूं। इसलिये बिना जागे संतोष नहीं होता, जागने पर ही सब दोष दूर होते हैं। इसलिये जो अन्याय का वातावरण फैला हुआ है उसको विचार करके दूर करना चाहिये।

अब मैं अपने जिले के सम्बन्ध में दो एक सुझाव रखना चाहता हूं। बाराबंकी में हैदरगढ़ एक तहसील है। यह मुकाम तहसील का केन्द्र तथा दूसरे सरकारी विभाग भी वहां पर हैं लेकिन वहां पर कोई पुलिस की चौकी नहीं है। एक चार कोस इधर है और दूसरी चार कोस उधर। एक सोनहा में है दूसरा लोनी कटरा में। इसलिये हैदरगढ़ में एक पुलिस चौकी का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार से असंदरा नामक मुकाम पर भी कोई चौकी नहीं है वहां भी होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे जिले के वातावरण को सुधारने के लिये वह प्रयास करें जिससे पूज्य महात्मा गांधी का रामराज्य स्थापित हो सके जिससे हमारी और हमारे बापू जी की कल्पना सत्य हो सके।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रक्खा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज सबेरे से ही पुलिस बजट पर बहस हो रही है और बहुत से लोगों ने अपने विचारों को प्रकट किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में ही नहीं सारे प्रदेश में इस विभाग के बारे में लोगों के बीच पुलिस की भ्रष्टाचार की बड़ी भारी चर्चा है। देहातों में तो लोग कहते हैं कि नून, खून और कानून तीनों बहुत सस्ता हो गया है। खून के बारे में हमारे माननीय सदस्य बाराबंकी वालों ने बताया और माननीय राज नाराण जी ने बताया कि देहातों में थोड़ी थोड़ी बातों पर ही कत्ल हो जाते हैं। पहले जब कभी ऐसी कोई बात घटना होती थी तो फौरन ही उस पर कार्यवाही होती थी। एक जगह अगर कत्ल हो जाता था तो सारे देहात में तहलका मच जाता था और सब जगह सन्नाटा हो जाता था और दुबारा देहात में कोई नुकसान या वारदात नहीं होने पाती थी

[श्री रामसुभग वर्मा]

लेकिन आज यह सस्ता हो गया है। जहां सुनिये वहीं कत्ल और डकैती हो रही है। यह होता क्यों है? हम समझते है कि यह सारी सरकार की लापरवाही है। यह ठीक है कि उन्होंने बहुत से नामी डकैतों को गिरफ्तार किया है लेकिन इस विभाग में जो बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह अभी तक उसी प्रकार से है। भ्रष्टाचार निवारण कमेटी भी बनायी गयी। उसको हुये न जाने कितने दिन हो गये लेकिन अभी तक उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। 'मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की'। ज्यों-ज्यों उपाय किये जाते है त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता हो जाता है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये अलहदा से एक संगठन बनाया जा रहा है लेकिन उस संगठन से क्या लाभ होगा, वह तो बाद में हमारे सामने आयेगा। जहां तक हमारा अनुभव है, किसी विभाग की कोई शिकायत हो, अगर वह उसी विभाग के सुपुर्द कर दी जायगी तो हमें आशा है कि वह कभी भी दूर नहीं हो सकती। मैंने देखा है कि जिस दिभाग की शिकायत आती है उसी विभाग के अधिकारियों को उसकी जांच करने के लिये दे दी जाती है। जब वे देहात में इंक्वायरी करने के लिये जाते हैं तब वह अपने विभाग का पक्षपात करते हैं और सही-सही नक्शा हमारे सामने नहीं आता। तो यह जो विभाग बनाया जा रहा है वह भ्रष्टाचार की जांच करेगा, वह सही-सही रिपोर्ट लिखेगा और उसकी देखरेख करने वाला डी० एस० पी० होगा, वह अंडर होगा एस० पी० के। डी० एस० पी० का क्या काम है इस सम्बन्ध में मैं उपाध्यक्ष महोदय, बतलाऊं कि बहुत लोगों को यह ज्ञात है कि हमारे यहां भी एक मामला छिड़ गया—उस मामले में डी० एस० पी० ने इन्क्वायरी की और डी० एस० पी० ने जाकर जैसा काम किया वह माननीय उपमंत्री जी को भी मालूम है और दूसरे लोगों को भी मालूम है। मैंने अपने भाषण में बतलाया कि इस विभाग में इतना पैसा खर्च न किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर दिलाना चाहता हूं, जब यह भ्रष्टाचार निवारक समितियां नहीं थीं और न कोई विभाग था और जब अपने यहां गुप्तचर विभाग था जो कोई भी काम करता था तो डर कर करता था कि कहीं ऐसा न हो कि कहीं इसकी जानकारी गुप्तचरों को हो जाय और उनका काम करना दूसरों को मालूम हो जाय। आज कल हमारा गुप्तचर विभाग बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है और माननीय मंत्री जी अगर उस पर ध्यान दें तो ज्यादा से ज्यादा काम हो और भ्रष्टाचार का अन्त हो।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कही कि गांव के चौकीदारों को हटा कर ग्राम पुलिस कायम करने जा रहे हैं। चौकीदार जो है वह छोटा सा अधिकारी है और और इस राज्य में सबसे कम वेतन पाने वाला चौकीदार ही है। माननीय पांडेय जी ने बतलाया कि बेचारे उस चौकीदार को थाने में जितनी दफा उसकी जरूरत हो देहात से वहां आना पड़ता है या उसके हल्के में जो शिकायत हो तो उसके लिये थाने आना पड़ता है और आने के बाद थाने में क्या-क्या होता है वह सभी को मालूम है। वह छोटा सा अधिकारी अपने गांव की सारी देखभाल करता है। अगर इसकी जगह पुलिस कांस्टेबिल रख दिये जायेंगे तो जो हालत होगी वह आगे सामने आ जायगी। सिवा इसके कि वह गश्त लगा कर चला जाय कोई दूसरा काम नहीं करेगा और गांव की जानकारी नहीं हो सकेगी और गांव की रक्षा नहीं हो पायेगी।

तीसरी चीज यह है कि डी० एस० पी० के लिये २५० से ५०० का वेतन रक्खा गया है लेकिन नीचे के कर्मचारी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव में काम करते हैं, कांस्टेबिल हैं और चौकीदार हैं उनको बहुत थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है और उसी तनख्वाह के अन्दर रह कर वे काम करते हैं, जिससे उनका भ्रष्टाचार से बचना नामुमकिन होता है। और देहात में जब वे जाते हैं तो अपने उसी थोड़े वेतन में उनको अपने बाल-बच्चों को और अपने को पालना पड़ता है और देहात में जाकर उनको यह कुकर्म करना पड़ता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जिस अनुदान को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है वह अनुदान उस विभाग के लिये है जिसका सम्बन्ध हमारे जीवन की शांति और रक्षा से है और ऐसा प्रमुख स्थान

रखते हुये भी हमेशा से एक बड़े विवाद का प्रश्न वह रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि नीलकंठ की तरह, शिव जी की तरह उन्होंने इस विष को अपने गले में रख रखा है। जाहिर बात है कि यह विभाग उपयोगी है पर है कठिनतर प्रश्नों से बोझिल, लेकिन कौन दूसरा उनके सिवा उसे कुशलतापूर्वक अपने पास रख सकता था जिससे उसके दोषों का हमेशा के लिये अपहरण हो जाय। और उस विभाग से जो लाभ मुमकिन हो सकता है वह हुआ और वह अकेले उन्हीं के द्वारा सम्भव भी था और मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं और मुझे उनको इसलिये भी मुबारकबाद देना चाहिये कि इस भवन में जो हम हमेशा से आदी हैं प्रिय मित्र राजनारायण जी की गृह तथा पुलिस बजट पर नाना प्रकार की बातें सुनने के, लेकिन उन्होंने भी अब की बार केवल एक ढांचे के तबदीली की ही बात कही है। आज हम जिस ढांचे को लेकर चल रहे हैं मेरा जहां तक ज्ञान है कभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसे पूर्ण रूपेण समाजवादी ढांचा नहीं कहा और न कभी उसे ऐसा ढांचा बताया है जिसमें हम सब स्वतंत्र हो कर चल सकते हों क्योंकि आज जो हमारे बुनियादी ढांचे में कमियां और ज्यादतियां हैं वह सब हमारे आज के जीवन से ही प्रेरित व उत्पादित हैं और जो हमारा नैतिक स्तर है उस सब का उस ढांचे पर असर है और अगर उसे आबजेक्टिव ब्यू से देखा जाय तो किसी भी तर्क से उनके आरोप की पुष्टि नहीं होती और इस कारण से भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। सच बात तो यह है कि जो एक बात उन्होंने कही भी वह केवल यह कही कि पुलिस का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये।

हम और आप और जो सदन के माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं वह सब अपने निजी अनुभव से जानते होंगे कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे गांव-गांव में दलबंदियां हैं और तरह तरह की पार्टीबाजियां हैं और एक पुराने अपने ढंग के झगड़े हमारे गवों में चलते चले आते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत झगड़े हों या सम्पत्ति के हों और उन झगड़ों ने गांवों को २ दलों में बांट रखा है और आज के जमाने में भी वह दलगत बटवारे की परम्परा सी वहां चली आती है और उसमें कोई कमी नहीं है। यह कोई अच्छी चीज नहीं है लेकिन अगर इस पर जरा विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि जहां एक गांव से एक आदमी मान लिया जाय कि शिकायत लेकर आता है कि पुलिस ने या फलां थानेदार या अफसर ने ज्यादती की है वहीं दूसरा आदमी दूसरी शिकायत लेकर आता है उसी गांव से और कहता है कि पुलिस ने कोई ज्यादती नहीं की और यह बात गलत है और बात उस तरह से नहीं इस तरह से है। ऐसी हालत में अगर ऐसे ही लोगों को फैसला करने वाला या पुलिस को चलाने वाला बना दिया जाय तो उन गांव पंचायतों का उस हालत में, या देश के रहने वालों का नैतिक स्तर देखकर और विचार कर के देखा जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि उसका क्या असर होगा। कोई भी विचारवान पुरुष आज की हमारी दुनियां में और इस युग में पुलिस के विकेन्द्रीयकरण की बात कह सकता है? यदि कोई ऐसा कहता है कि तो वह अमन और शांति के प्रयास से देश निर्माण का काम हो रहे हैं, उसकी जो कनटिन्युटी है और जो तरीका अपनाया गया है उसको केवल ज्योपरडाइज करने की बात ही कह सकता है। आज इस प्रकार के प्रोग्राम को जिम्मेदारी के साथ कर सकने और निभाने की ताकत किसी में नहीं है। इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस लिये भी धन्यवाद देता हूं जैसा कि इस रिपोर्ट से जो पुलिस विभाग की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में वितरित हुयी है, विदित है कि किस तरह से विलेज डिफेंस सोसाइटीज के द्वारा पुलिस दल में जन सम्पर्क की भावना को बढ़ाया जा रहा है और इस तरह से एक नया कदम उठाया गया है। लेकिन खेद है कि अपने भाषण में हमारे विरोधीदल के भाइयों ने इस चीज को नजरअन्दाज कर दिया। इस तरह से विलेज सोसाइटीज बनाकर गांव रक्षा दल के द्वारा पुलिस के कार्य में गांव वालों को भागीदार बनाया जा रहा है और इस तरह से एक बुनियादी तरीके से हमारी पुलिस का जन-सम्पर्क बढ़ रहा है। इसी तरह से टैटूज प्रदर्शन करके भी जो पुराना गैप पुलिस और जनता के बीच में चला आता था उसको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारी सोसाइटी और पुलिस के बीच की जो खाई थी उसको दूर करने के विचार को एक परछाईं

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

हमारे दिमाग में आने लगी है और जिले जिले में अपने कार्य के द्वारा विभाग ने इस दिशा में उचित समन्वय करने की कोशिश की है, इसलिये भी मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। भ्रष्टाचार का जिक्र हमारे दूसरे वक्ताओं ने किया लेकिन जो हमारा नैतिक और सामाजिक स्तर है उसकी जिम्मेदारी सभी पर है वह केवल किसी भी एक विभाग के अधिकारियों की हो बात नहीं है यह यथार्थवाद हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिये कि विभाग में बुराइयां हैं तो हमारा सब का काम है कि मिल कर उनको दूर करें। लेकिन मैं इतना जरूर अपने उन माननीय मित्रों से कहना चाहूंगा कि हमारे और पुलिस के अन्दर कोई अन्तर नहीं है। हमारे दोस्त जिन्होंने आजादी की जंग में हिस्सा लिया था उनमें से कुछ पुलिस के कप्तान हैं, मैं यहां पर एक विधायक हूं। हमारे कोई दूसरे साथी कहीं और हों, सब इंस्पेक्टर हों तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही ढांचे में ढलने वालों में जो इस भवन में आजायें वह तो ईमानदार और जो बाहर रह जायं, वह चोर और दुनियां से खराब, यह भावना बहुत गलत है। मैं समझता हूं कि हमें यदि अपने देश की पुलिस को अपने प्रान्त की पुलिस सरकारी सेवा में लगे हुये अपने भाइयों के हृदय में इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स नहीं पैदा करना है, अगर उनके आत्मिक बल को नहीं गिराना है तो हम को आम तौर से लांछन लगाने की बात छोड़ देनी चाहिये। अगर कहीं पर निश्चितरूप में हमें मालूम हो कि यहां पर भ्रष्टाचार है तो, उसके लिये हमारे पुलिस मंत्री जी का दफ्तर, और उनका कमरा है। जहां जाकर हमें अपनी जानकारी रखनी चाहिये।

मुझे आशा है कि भविष्य में पुलिस में जितने सुधार की आवश्यकता है उसके साथ पुलिस को अधिक से अधिक जो जनप्रिय बनाने की कार्यवाही चल रही है उसमें मुख्य मंत्री जी को कामयाबी होगी।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत अभारी हूं कि आज जो इस अनुदान पर बहस हुई है वह बहुत संयम से और सुझाव देने वाली हुई है।

बाराबंकी की घटनाओं का उल्लेख हमारे कई माननीय सदस्यों ने किया। श्री रामसेवक जी ने कहा कि उनको बड़ा दुख है। मुझे भी जो बाराबंकी में घटनाएं हुई हैं उन पर बड़ा दुख है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य को दुख होगा। किसी के देश में इस प्रकार की घटनाएं हों वह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। लेकिन जहांतक पुलिस का सम्बन्ध है इन घटनाओं के साथ, उनके सम्बन्ध में उन्होंने जो मुस्तैदी दिखलायी वह भी किसी से छिपी नहीं है। पहली घटना में शुक्ल जी की हत्या हुई। उसने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चल रहा है। दूसरी घटना में श्री वर्मा जी की हत्या हुई उस में भी काफी जल्दी कार्यवाही की गयी। ५५ आदमियों पर मुकदमा चल रहा है। तीसरी घटना का समाचार आज मैं अखबार में यह पढा कि कोई भुल्लू नाम के सज्जन थे उनको रास्ते में से लोग उड़ा ले गये। पुलिस ने इसमें भी बड़ी सतर्कता से काम लिया और भुल्लू को पा लिया गया और सात आदमी गिरफ्तार भी कर लिये हैं। आज अखबार में यह घटना पढी और साथ ही यह समाचार भी हमारे पास आया है। रामसेवक जी ने कुछ बातें बतायीं, हमें भी कुछ उनका ज्ञान है। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि जो भी बातें माननीय रामसेवक जी बतायेंगे उनमें से प्रत्येक की जांच होगी और अगर कोई अपराधी होगा तो उसको दंड दिया जायगा।

एक बात रामसेवक जी ने कही, उस पर मुझे दुख हुआ। उन्होंने बाराबंकी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर राजनीतिक दल के लोगों का घूमना खतरे से खाली नहीं है यानी वह सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं जानता कि कैसे कही। अभी थोड़े दिन हुए पिछला चुनाव हुआ और सब लोग वहां घूमे और हमारे विरोधी

हमारे विरुद्ध कामयाब भी हुए । एक भी घटना बताएं जो वहां हुई हों ? तो यह नहीं कहा जा सकता कि किसी राजनैतिक दल के लोगों को खतरा है। अगर कहीं पर खतरा है तो वहां सभी नागरिकों को खतरा है चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल के हों । किसी राजनैतिक दल के खिलाफ कोई खास खतरा है यह बात नहीं है। जहां तक हमारी पुलिस का सम्बन्ध है और चाहे किसी प्रकार का आक्षेप उस पर लगाया जाय लेकिन यह आक्षेप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कोई नहीं लगा सकता कि उसने किसी मामले में किसी राजनीतिक दल विशेष का समर्थन या विरोध किया हो । तो इस तरह की बात कहना हमारे लिए कुछ अच्छी नहीं।

भाई राजनारायण जी ने एक ऐसी बात पुलिस के सम्बन्ध में कही, वह आई० जी० की नियुक्ति के बारे में कही। मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह की बात कह कर उन्होंने अपना स्तर ऊंचा किया, सदन का स्तर ऊंचा किया या किसी का भी स्तर ऊंचा किया। किसी भी प्रदेश के मुख्य मंत्री पर यह आक्षेप करना कि उस ने पक्षपात किया, ऐसा कहना उन्हीं को शोभा देता है। वही इस बात को समझ सकते हैं कि वह क्या कहते हैं। लेकिन यह बात नितान्त असत्य है कि पुलिस फोर्स में इसके कारण कोई असंतोष है, या ऐसी किसी की धारणा है कि इस मामले में किसी को असंतोष है।

उनको न मालूम कहां से सूचना मिली । वहां की परिस्थितियों को देखें जिन परिस्थितियों में किसी को तरक्की देते हैं या तनज्जुली देते हैं, इस सम्बन्ध में हमारे सामने सारे कागज होते हैं जब कि उनके सामने थोड़े से बाजार की गप्प होती है उनको सुन करके वह अपनी धारणा बना लेते हैं। कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते, न उनके पास जानने के साधन हुआ करते हैं । ऐसी बातों को सदन में न कहा करें तो शायद सदन का इससे ज्यादा अच्छा हित हो सकता है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि हमारे यहां सब के सब पुलिस वाले भ्रष्टाचार से बचे हुए हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री कई बार इस बात को कह चुके हैं और हमसें से कोई भी इस बात का दावा नहीं करता कि भ्रष्टाचार नहीं है । और उसमें कमी करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कमी करने की कोशिश में मैंने एक बार पहले भी कहा था कि अकेले कानून से खराबी दूर नहीं कर सकते । भ्रष्टाचार के लिये हमें भी इस मामले में थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा और उसमें दो बातें आवश्यक है। एक तो यह है कि जो भ्रष्ट लोग हैं, हमारे इलाके में जब कोई भ्रष्टाचार करता है उस समय तो हम उससे नफ़रत करते हैं। लेकिन हमारे कोई साथी, हमारे कोई परिवार वाले या हमारे कोई मित्र जब किसी दूसरे इलाके में भ्रष्टाचार करते हैं, वह जब पैसा लाते हैं उसके भोगने में हम कोई गुरेज नहीं करते तो हम अपने मित्रों से जो किसी दूर इलाके में काम करते हैं, उनसे भी जब हम नफ़रत करना सीखें तब जा करके एक स्थान का असर दूसरे स्थान पर पड़ेगा।

दूसरे मैं आप से निवेदन करूं कि दुनिया के सारे देश में वाकयात का बयान और वाकयात एक पवित्र थाती मानी जाती है और वाकयात के बयान करने में जो जरा भी नमकमिर्च लगाता है उसको एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है । अगर वाक्यात की पवित्रता पर ध्यान दें तो चाहे वह बयान हमारे अनुकूल पड़े या प्रतिकूल पड़े तो बहुत कुछ सुधार आसानी से हो सकता है क्योंकि सारी बुराई की जड़ इस बात से पैदा होती है कि वाक्यात का बयान सही सही नहीं होता और अगर किसी के सम्बन्ध में एक बार यह धारणा हो जाय कि वाक्यात के बयान करने में १० फीसदी या २० फीसदी बढा करके बात कही है, या कुछ दबा गया है या कुछ ज्यादा बढा गया है तो फिर काम करने में कठिनाई होती है । अविश्वास बढ़ता है और जब अविश्वास बढ़ता है तो आपस में वैमनस्य होता है, लोगों में क्रोध भी होता है कि हमारी बात नहीं मानीं गई । मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि, मैं यह नहीं कहता कि वाक्यात के बयान करने में, तोड़ मरोड़ इरादतन होती है या बेईमानी से होती है, लेकिन कुछ हमारी इस प्रकार

[श्री जगन प्रसाद रावत]

आदत बन गई है जिसको हमें सुधारना है और उसके सुधारने का काम हमारे माननीय सदस्यों से अधिक कोई नहीं कर सकता है क्योंकि इन के पास जनसम्पर्क के साधन हैं। यह लोगों का नेतृत्व करते हैं। यह अगर इस परिपाटी के चलाने की कोशिश करें तो हमें अधिक लाभ हो सकता है।

जहां तक जुर्मों का सम्बन्ध है मैं नहीं कहता कि जुर्म घट गये हैं काफी मात्रा में। लेकिन साथ में कोई ऐसी मात्रा में बढे भी नहीं है जिस पर हम शोर कर सके। पुस्तिका जो बांटी गई है उसके देखने से यह मालूम होगा कि जुर्मों की संख्या कहीं घटी है या कहीं थोड़ी बहुत बढी है, लेकिन वह बहुत मामूली ढंग से। एक आंकड़े को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। श्री राम सुन्दर पांडेय जी ने कहा था कि बर्गलरी, सेंध लगाने की तादाद हिन्दी पुस्तिका में १ लाख ६० हजार ५०९ है। असल में १६ हजार ५०९ थी। अंग्रेजी में वह आंकड़े सही दिये हुए हैं। हिन्दी में किसी तरह से वह आंकडा गलत छप गया है। मैं निवेदन करूंगा कि वह उसे सुधार लें तो भ्रम दूर हो जायगा।

और इस बीच में इस बात की कोशिश की गई है और आगे भी की जायगी कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो हमारे पुलिस कप्तान होते हैं वह माननीय सदस्यों के साथ, जो पब्लिक वर्कर्स हैं उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश करें जिससे वहां की स्थिति को समझा जा सके। ऐंटी करप्शन कमेटियों के बारे में भी कहा गया कि कोई फंक्शन उनके नहीं बताये गए। मेरा ख्याल है कि उनके फंक्शन वही हैं जो पहले थे। उसमें एक चेयरमैन का बदला हुआ है और साथ में जहां तक उनके काम करने का सम्बन्ध है वह जो कुछ भी उसमें करप्शन के केसेज पायेंगे, जो उनके सामने आयेंगे, उनकी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेन्ट पुलिस के द्वारा उनकी वह जांच करायेंगे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि समय थोड़ा है और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी अभी कुछ कहना है, इतना ही मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे माननीय सदस्यों का सहयोग रहा तो पुलिस में सुधार जिस रफ़्तार से हो रहा है उससे कई गुनी रफतार से हो सकेगा।

†श्री कल्याण चन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत देर से जो विवाद पुलिस बजट पर हो रहा था उसको सुन रहा था। श्रीमान, मैं आज जो बढ़ती हुई बेकारी इस प्रान्त की है उसको देखते हुए भ्रष्टाचार का बढ़ना नितान्त आवश्यक है। श्रीमन्, जब तक इस बेकारी की समस्या को दूर नहीं किया जायगा यह भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जायगा चाहे उसको किसी रूप में आप रोकने की चेष्टा करें। भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य पुलिस को दिया गया है। उसके लिए विशेष पुलिस, डी० एस० पी० कई जिलों में तैनात किए गए हैं। ठीक है वह डी० एस० पी० महोदय वहां विशेष तरीके पर जांच करेंगे और उससे सम्भव है कि कुछ उसमें सुविधा हो जाय। परन्तु जब तक कि इस छोटे वेतन पाने वाले पुलिसवालों के वेतन को न बढ़ाया जायगा तब तक यह भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ता रहेगा क्योंकि तीस या पचास रुपया वेतन पाने वाला पुलिस का आदमी या १०० रुपया पाने वाला थानेदार किस प्रकार से अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकता है, अथवा दवा दारू का प्रबन्ध कर सकता है।' इसलिये मेरा सुझाव यह है कि अगर इस पर विशेष जोर दिया जाय कि जो छोटे वेतन पाने वाले हों, उनका वेतन बढ़ाया जाय और जो बड़ा वेतन पाने वाले हैं उनको जिस अनुपात में तनख्वाह दी जाती है उसमें कमी की जाय, तो इस समय का कुछ हल निकल सकता है। श्रीमन्, इसके पहले हमारे नगर के एक

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य ने कुछ इलाहाबाद का जिक्र किया । उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से सदन में कह देना चाहता हूं कि मालूम होता है कि माननीय सदस्य इलाहाबाद में ज्यादा समय नहीं देते । उनका व्यवसाय, उनका रोजगार कई तरफ रहता है । इसलिये जिस प्रकार से इलाहाबाद में पार्टीबन्दी का शिकार पुलिस बनायी जा रही है जिस प्रकार से पार्टीबन्दी के नाते वहां लोगों को गिरफतार कराया जाता है मुकदमें चलवाये जाते हैं, श्रीमन्, मैं सदन में उसका जिक्र नहीं करना चाहता । मैं प्राक्स का जिक्र न करके थोड़े से शब्दों में अपने इलाहाबाद का जिक्र करना चाहता हूं । हमारे यहां आप जानते हैं कि छितौनी कांड हुआ और भी वाकये हुये । मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मुकदमे चालान हुये और कितने मुकदमों में सजायें दिलायी गयीं । जिस प्रकार से हमारे यहां रेल से उतरने वाले लाखों यात्रियों को जो नहाने आते हैं उनके साथ रास्ते में टपकेबाजी होती है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है । और इस प्रकार के एक आध थाने बन गये हैं जिन पर केवल पुलिस को सुविधा के लिये यानी पुलिस जिन गवाहों को ले जाना चाहती है अपनी गवाही में उसके लिये उनको जुआ इत्यादि खिलाने में सुविधा देनी पड़ती है । इसलिये क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है । मैं चाहूंगा कि वहां की जांच कराई जाय और जो करप्शन बढ़ रहा है उसको रोका जाय ।

श्री कृष्ण चन्द्र आर्य (जिला रामपुर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । जितने भाषण आज प्रातः काल से अब तक पुलिस के सम्बन्ध में हुये उन सबसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट प्रकट होती है कि शान्ति रक्षा और व्यवस्था के लिये प्रदेश के सभी माननीय सदस्य पुलिस की तरफ देखते हैं । बाराबंकी की घटनायें हों या कहीं और की या डाकुओं के पकड़े जाने और उन पर सफलता प्राप्त करने की बात हो-ये सब चीजें ऐसी हैं जो प्रदेश की शान्ति रक्षा से सम्बन्धित हैं और निर्माण या शिक्षा या खेती या और सब चीजों की उन्नति इसी पर आधारित है । कितनी ही पंचवर्षीय योजनायें बना कर हम देश की उन्नति करना चाहें लेकिन वह सब तभी हो सकती है जब हमारे यहां शान्ति और व्यवस्था पूर्णतः स्थापित रहे । परन्तु बाराबंकी जैसी घटनायें होना और यदि कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि अपराधों की संख्या बढ रही है यद्यपि मैं ऐसा नहीं मानता कि बढ रही है शोभनीय तथा सहनीय कदापि नहीं है अपराधी लोग वे चाहे शराब पीने वाले हों चाहे मनुष्य का खून पीने वाले हों, चाहे जुआ खेलने वाले हों सब आज आप को पहले से अधिक स्वतंत्र क्यों पाते हैं । इसका कारण यह है कि पुलिस का, जो भ्रष्टाचारी वर्ग है, उसके ऊपर आतंक नहीं रहा है । इसी को यदि मैं दूसरे शब्दों में यों कहूं कि पुलिस का जो मान एवं प्रतिष्ठा होती है वह, चाहे पुलिस के माननीय मंत्री से लेकर आई० जी० तक उच्च अधिकारी की हो चाहे एक चौकीदार और एक सिपाही की हो जनता के मन तथा मस्तिष्क से उठ गई है और इसका कारण यह है कि पुलिस के खिलाफ जो आन्दोलन जन–स्वातंत्रय के सम्बन्ध में हम लोगों ने चलाया वही विचारधारा आज भी विरोधी वर्ग के लोगों में है और उसी के अनुसार वे अपनी राजनीतिक पार्टियों की सफलता इसी में समझते हैं कि वे आम जलसों में या विधान सभा की बैठकों में पुलिस वालों को गाली देकर उनकी बुराई कर जनता में अपने लिये जनप्रियता प्राप्त करें । वे यह भूल जाते हैं कि यदि पुलिस वालों को हतोत्साहित करके वे गुन्डे लोगों की प्रवृत्तियों को बढावा देंगे तो उससे जो नुकसान होता है वह न केवल उनकी विरोधी पार्टी को बल्कि सारे देश में होता है । अभी राज्य पुनसंगठन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में बम्बई में जो दुघटनायें हुई हैं जो बुरी हालत है उसमें कोई नहीं कह सकता कि वहां पर जो गुंडापन हुआ उसमें शासक पार्टी के लोग बचे रहे या वह सताये नहीं गये

[श्री कृष्णचन्द्र आर्य]

इसलिये मैं इस संबंध में सभी माननीय सदस्यों से, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, निवेदन करूंगा कि जहां वह यह समझते हों कि पुलिस की निन्दा करना या उसकी आलोचना करना उनका अधिकार है वहां उनको यह भी कर्त्तव्य है कि पुलिस का जो मान या प्रतिष्ठा है उसको स्थापित करने में अपना पूरा-पूरा सहयोग दें।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, यह पुस्तिका हमें पुलिस विभाग की ओर से मिली है, इसको देखने से मालूम होता है कि विभाग इसके लिये प्रयत्नशील है कि भ्रष्टाचार के संबंध में चाहे वह चौकीदार हो या सिपाही हो या गजटेड आफिसर हो उसको उचित दंड दिया जाय। लेकिन जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि हम अभी तक इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इसका कारण यही है कि अकेला विभाग कुछ नहीं कर सकता है, हम लोगों को भी इसमें सहयोग देना चाहिये। मैं समझता हूं कि विभाग के अन्दर जो उन्नतिकरण और अवनतिकरण की बात होती है उसमें नान-आफीशियल्स की बात न मानी जाय तथा इस इंटरफीयरेन्स की आदतों को हतोत्साहित किया जाय तो यह बहुत हद तक कम हो सकती है। जो ऐसे अपराध हैं जो काग्नीजेबिल आफेंसेज हैं जैसे हरिजनों को अधिकार प्राप्त कराना, शराबकशी और जुआ का पकड़ना आदि उनके संबंध में पुलिस का ध्यान दिलाया जाय कि वह स्वयं अपना कर्त्तव्य समझ कर कार्य करे तो जनता में पुलिस के प्रति अधिक श्रद्धा और सुहानुभूति पैदा हो सकती है।

श्रीमती विद्यावती राठौर (जिला एटा)---डिप्टी स्पीकर महोदय, अनुदान जो पेश होते हैं उनके स्वीकृत होने की जरूरत है और स्वीकार करना भी चाहिये। लेकिन साथ ही साथ देखना यह है कि हम जो अनुदान दे रहे हैं वह किस प्रकार से प्रयोग में आ रहा है और उससे अपने प्रदेश की क्या भलाई होने वाली है। पुलिस के लिये जो इस सदन में अनुदान रखा गया है वह ठीक है और उचित है हम लोग यहां पर इसीलिये इकट्ठा होते हैं कि हमने जो अनुदान दिये हैं और जो पैसा खर्च हुआ है उसका उपयोग कैसे हुआ है, उससे क्या क्या काम हुये हैं, उससे क्या परिणाम हुआ है जिससे हम नसीहत लें कि आगे चलकर हमें किस तरह से काम करना है।

पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और मेरा विश्वास यह है कि अगर पुलिस वर्ग अच्छी तरह से काम करे और अपनी जिम्मेदारी तथा कर्त्तव्यनिष्ठा को समझ ले और उसके अनुकूल चले तो सारी बुराइयां एक साल में दूर हो सकती हैं। लेकिन कुछ कठिनाइयां है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ हमारे मानसिक प्रश्न हैं और हमारे मानसिक विकार हैं जिन पर हम काबू नहीं पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाना चाहती हूं कि हमारे राज्य का उद्देश्य है कि गांव-गांव में हर एक आदमी प्रेमपूर्वक और बिलकुल मिलजुल कर रहे। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है उससे मेरा निश्चय यह है कि आज जो गांवों में पार्टीबंदी और व्यक्तिगत झंझट तथा झगड़े होते हैं उनमें ज्यादा पुलिस एक पार्टी का पक्ष लेकर दूसरी पार्टी के खिलाफ काम करती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं लेकिन उसके लिये समय नहीं है और उनका वर्णन करना ठीक भी नहीं है।

मैं एक बात यह बतलाना चाहती हूं कि किसी की ज्यादा तारीफ करना भी अच्छी चीज नहीं होती है और किसी की बुराई करना या उसके प्रति दुर्भावना भी अच्छी चीज नहीं है। अगर बुराई किसी के प्रति इसलिये की जाय कि बुराई दूर हो तो उसका वर्णन किया जाना चाहिये। भ्रष्टाचार के लिये यहां पर बहुत कहा गया है इसलिये इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। भ्रष्टाचार के साथ-साथ पुलिस में अनाचार भी बहुत बढ़ा हुआ है।

इसके लिये दो तीन उदाहरण अपने जिले के, जिनका मुझे अनुभव है और मैंने स्वयं जांच की है, सदन के सामने रखना चाहती हूं। एक गांव की एक दुर्घटना है कि पुलिस एक नोटिस लेकर उस गांव में गई थी और वहां गांव सभा के प्रधान घर से बाहर निकल कर नहीं आये। इसी बात पर घर में घुसकर थानेदार ने उनको पकड़ गांव में घुमा-घुमा कर उनको बुरी तरह से मारा। मैंने इस सम्बन्ध में जांच की है और मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उल्टे प्रधान के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है यह कहकर कि प्रधान ने थानेदार को मारा। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैंने अपने सत्य भावों के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा और मैं कहती हूं कि उस थानेदार को प्रधान ने कतई नहीं मारा, लेकिन पुलिस उस गांव की आपसी लड़ाई में एक पार्टी की हो गयी इसलिये उसने उस प्रधान के साथ ऐसा किया।

दूसरी घटना है कि हमारे शहर के एक लब्धप्रतिष्ठि पुराने कांग्रेसी वयोवृद्ध हैं भगवान दास जी बेरी, जो आगरा के रहने वाले हैं और जिनकी दूकान है। उनको पुलिस ने मारा लेकिन उस कांस्टेबिल का उस थाने से तबादला तक नहीं हुआ।

तीसरी घटना टूंडले के पास की है। दो गांवों में आपस में झगड़ा था। एक दिन एक गांव के लोग दूसरे गांव में आये लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई और वह लौट गये। इस बात पर थानेदार ने दूसरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और ले जाकर उस गांव को लुटवाया और आखिर में दबाव डाल कर उनमें समझौता करा दिया। यानी मामला दबा दिया। मैं आपको यह भी बतलाती हूं कि जब पुलिस खिलाफ हो जाती है तो उन दूसरे आदमियों को गवाहियों का मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आप लोग कहते हैं कि मुकदमा लड़ो और गवाही दे कर मुकदमा झूठा करार दिलवा दो और छूट जाओ, लेकिन क्या यह संभव है। जहां पुलिस के आदमी गांव के लोगों को बुरी तरह मार सकते हैं, पिटवा सकते हैं, लुटवा सकते हैं वहां उनके खिलाफ कौन गवाही देने जायगा? ऐसे आदमी कहां से लाये जायं? पुलिस के पास तो मुफ्त का पैसा होता है जिससे वह मुकदमा लड़ते हैं। सरकार उसके लिये उनको खर्च देती है। मेरा यहां एक सुझाव है कि इस तरह के मामलों में गांव के पंचायत के प्रधानों और दूसरे ऐसे आदमियों को भी सरकार को सहायता व पैसा देना चाहिये ताकि वह ऐसे मामलों में मुकदमा लड़ सकें। इसके लिये उन्हें कुछ सुविधा मिलनी चाहिये।

चौथी घटना, जिसकी जांच मैंने खुद की है। कुछ पत्रकार व बहिनें भी गयी थीं उन्होंने भी जांच की है और सब ने जांच के बाद यह विश्वास प्रकट किया है कि मैं जो कह रही हूं वह सत्य है। ११ गांवों में पुलिस ने ८ साल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को पिटवाया, किसी को बख्शा नहीं। स्त्रियों तक को पिटवाया। आदमियों के कपड़े यानी लंगोट तक उतार कर पीटा गया और नंगा ही पेट के बल खेतों में चलाया गया। मैंने उन खेतों को देखा है। तो इस तरह की चीजें अनाचार है और इन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। इन बातों को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और अगर की जायंगी तो उससे दुर्भावना फैलेगी।

मैं एक बात और बतला दूं कि जो बुरे आदमी हैं, दुष्ट हैं उनको अगर सजा दी जाय, उनको मारा पीटा जाय तो उससे उनके दिल में भय पैदा होता है। देखने वाले भी भय पाते हैं कि ऐसा काम न किया जाय नहीं तो यही हालत होगी। लेकिन अगर निर्दोष और भले आदमी को सताया जाता है तो सच मानिये कि वहां विद्रोह पैदा हो जाता है। वहां यही भावना पैदा हो जाती है कि बुराई न करने पर भी हमारी यही हालत होती है, हमें भी मार पड़ेगी, बेइज्जत होंगे तो क्यों न उसी तरह चलें यानी फरार हो जायं और यदि मैं अतिशयोक्ति नहीं करती हूं तो मैं बतलाना चाहती हूं कि आज जो डकैतियां पड़ रही हैं और डकैत बढ़ रहे हैं उनका एक कारण यही है। पुलिस का व्यवहार जनता के साथ अच्छा नहीं है। एक और बात यह कि पुलिस के लोग किसी की इज्जत नहीं करते हैं और इसलिये उनके पास भले आदमी नहीं जाते और जो लोग उनके पास जाते हैं उनसे वह अपनी दलाली करवाते हैं। इसका एक सबूत मैं देती हूं।

[श्रीमती विद्यावती राठौर]

हमारे कांग्रेस के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता श्री रामसहाय जी हैं। आज भी वह उसी तरह से बने हुये हैं। लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने जब वहां मानसिंह के नाती को पकड़ा तो उन से कहा कि आप इसकी गवाही (शिनाख्त) कर दें। उन्होंने कहा कि मैंने तो इसे छोटेपन में देखा था। जब से वह बड़ा हुआ मैंने देखा नहीं, क्योंकि वह फरार हो गया था। तो मैं उसकी शिनाख्त नहीं कर सकता हूं। इस बात से वहां की पुलिस उनके खिलाफ हो गई। यह घटना का विवरण मैं केवल इसलिये नहीं दे रही हूं कि मुझे किसी प्रकार लाभ उठाना या झंझट बढ़ाना है बल्कि इसलिये कि इस तरह की घटनायें होती हैं यह सिद्ध करने के लिये और मैं चुनौती देती हूं कि कोई मेरी इस घटना को झूठा सिद्ध कर दे या इसका एक शब्द भी झूठा हो। यह तो दूसरी बात है कि तर्क के अन्दर सचाई छिप जाय। जांच में सही बात साबित न हो सके और कभी २ तो जो कातिल होते हैं वह बच जाते हैं और जो निर्दोष होते हैं और जिनका कोई दोष नहीं होता है वह बेचारे फंस जाते हैं। इस प्रकार की बातें प्रति दिन हो रही हैं पुलिस किसी से भी डरती नहीं है निरंकुश हो रही है। हमारा तो यह निश्चय है कि अगर उचित निराकरण न किया जायगा तो जो प्रकृति और ईश्वर को नहीं मानते हैं उनसे प्रकृति तो स्वयं मनवा ही लेगी। आजकल यह दशा है कि लोग पथभ्रष्ट से हो रहे हैं। जिन घटनाओं का मैंने आपके सामने वर्णन किया है वह बिलकुल सत्य हैं और उनमें एक शब्द का भी अन्तर नहीं है। आज इन घटनाओं का जिक्र इस अवसर पर मैंने इसलिये किया है कि यहां पुलिस के बड़े अफसर उपस्थित हैं और वास्तविकता जान लें।

†डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, कुछ निवेदन करने के पहले मैं एक अपनी गलती का जिक्र कर देना चाहता हूं। आज सवेरे बोलते समय जब मैं बाराबंकी की घटना का जिक्र कर रहा था और वहां की पार्टीबन्दी की चर्चा कर रहा था तो और बात तो जो कुछ मैंने कही थी वह सब सही थी जहां तक कि मैं जानता हूं लेकिन एक गलत बात मेरे मुंह से निकल गयी। मैंने यह कहा कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें जो नये सरपंच चुने गये हैं वह कुर्मी हैं। बाद को बाराबंकी के एक सदस्य ने मुझको यह बतलाया कि वह कुर्मी नहीं हैं लोहार हैं। मुझको भी ऐसा मालूम हुआ कि वह कुर्मी नहीं है लोहार है। यह बात गलती से निकल गयी थी। इसके लिये अफसोस है और आशा है मुझे सदन इस बात के लिये क्षमा करेगा।

यहां स्वभावतः पुलिस के सम्बन्ध में जो कुछ चर्चा हुआ उसमें मुख्य स्थान भ्रष्टाचार को दिया गया। जहां तक मेरा ताल्लुक है, गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। हमने कभी भी यह नहीं कहा कि हम इस बात को नहीं मानते कि पुलिस की तरफ से ज्यादतियां नहीं होती हैं। अगर हमारी यह धारणा होती कि पुलिस में इस किस्म की कोई खराबी नहीं है या अगर हमारी यह जिद्द होती कि नहीं हम इस बात को नहीं मानते कि पुलिस में कोई खराबी है तो फिर हमने इधर जो कुछ काम किया है मसलन अन्टीकरेप्शन कमेटी को कायम करना, हर जिले के अन्दर डी० एस० पी० को कायम करना और जो दूसरे काम किये हैं वह क्यों करते। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा मन इस बात से खुला हुआ है और यह स्पष्ट विज्ञापन है और खुले दिल से इस बात की घोषणा है और हम समझते हैं कि इस विभाग में खराबियां हैं। यों तो इस विभाग के जिम्मे सारे विभागों की देखभाल करना, सारे विभागों का भ्रष्टाचार देखने की जिम्मेदारी है और जब पुलिस के सिपुर्द यह काम हो कि दूसरों को वह ठीक रास्ते पर चलाये और उनके भ्रष्टाचार पर नजर रखे तो जरूरी है कि पुलिस पहले अपने यहां के भ्रष्टाचार को रोके। इस बात का ख्याल विभाग को रखना होगा। जिलों के अन्दर जो मुकर्रर किये गये हैं उनको तीन काम सौंपे गये हैं। पहला काम तो उनको भ्रष्टाचार को रोकना है। दूसरा काम मुकदमों की तफ्तीस किसी स्टेज पर हो तो उसके किसी स्टेज पर भी किसी आदमी के साथ जुल्म

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्यादती या मारपीट किसी किस्म की नहीं होनी चाहिये। मैंने कहा था कि कभी-कभी ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि लोगों के साथ वैन्डेहा बरती जाती है जैसे वे गवाही नहीं दी तो उसे पुलिस वाले तंग करते हैं। ये तीनों काम इन लोगों के सुपुर्द किये गये हैं। यह देखने के लिये कि विभागीय आफिसर शिकायतों पर कार्यवाही करते हैं या नहीं, एक डी०आई०जी० रखे गये हैं। सुबह अपना कटमोशन पेश करते हुये, अगर मैं ठीक समझा, तो माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ने कहा था कि इस काम में कई सर्किल इन्सपेक्टर रखे गये हैं। उन्होंने कुछ इस बात की भी चर्चा की कि पुलिस की स्टैन्डिग कमेटी में बराबर इस बात की राय रही कि सर्किल इन्सपेक्टर का पद तोड़ दिया जाय। सही बात है। सदन को मालूम है कि कुछ ज़िलों में हमने इस प्रकार का एक्सपेरीमेंट शुरू कर दिया है और देख रहे हैं कि उनकी जगह पर दूसरे अफसर रखने से कैसा काम चलता है। अगर यह बात सफल हुयी तो हम सर्किल इन्सपेक्टर के पद तोड़ देंगे। स्टैन्डिग कमेटी की तमाम बातों का यहां जिक्र न करते हुये मैं रामसुन्दर जी को एक बात बतलाना चाहता हूं कि यद्यपि सर्किल इन्सपेक्टर की जगह तोड़ने का स्टैंडिग कमेटी में जिक्र आया लेकिन वहां किसी ने कभी यह नहीं कहा कि हर सर्किल इन्सपेक्टर बेईमान है उनमें अच्छे भी हैं। मैं बतलाता हूं। इस समय तक डी०वाई०एस० पी०४७ नियुक्त हुये हैं, एकाध जिले में नहीं हुये हैं। ४७ में १५ सी० आई० डी० इन्सपेक्टर, ७ रिजर्व इन्सपेक्टर, ११ सर्किल इन्सपेक्टर और १४ डी० एस० पी० हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा और मेरा विश्वास है कि माननीय रामसुन्दर जी भी नहीं कहेंगे कि १५० सर्किल इन्सपेक्टर में ११ आदमी भी ईमानदार नहीं हैं। जहां तक हो सका सबका रेकार्ड देखकर और जानकारी प्राप्त करके और ठोक बजाकर आदमी रखे गये हैं। एक नई जिम्मेदारी इन लोगों पर पड़ी है चाहे वे कहीं भी आये हों। हमें विश्वास है कि वे इस काम को अच्छी तरह से करेंगे। अभी उनको काम करने का ज्यादा मौका तो नहीं मिला है लेकिन मेरे पास पहली फरवरी से १५ फरवरी तक के काम की खबर है। ३७० शिकायतें उनके पास पहुंचीं। पूलिस के मुहकमे के लोगों के खिलाफ ये थीं और इनमें ८ दूसरे लोगों के विरुद्ध थीं। उनमें से ७५ केसेज में इन्क्वायरी करके ४१ सही पाई गयी। उनमें से ७ सब-इन्सपेक्टर, ३ हेड कांस्टेबिल, १४ कांस्टेबिलों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गयी और २ सब-इंस्पेक्टर, १ हेड कांस्टेबिल, ६ कांस्टेब्रिलों और १ सैनीटरी इन्सपेक्टर, १ सेल्स टैक्स के आदमी, १ अमीन और १ लेखपाल के विरुद्ध प्रीवेन्शन करप्शन ऐक्ट में मुकदमे अदालतों में चलने वाले हैं। शुरू में उनको कुछ कठिनाई है लेकिन शुरुआत तो अच्छी है और यदि हम लोगों को आशीर्वाद उन्हें प्राप्त रहा तो आशा करनी चाहिये कि उनका काम अच्छा रहेगा। अगर शुरू ही से यह कहा जायगा कि ये लोग काम नहीं कर सकेंगे, इनसे काम होगा ही नहीं, तो चाहे कितना भी अच्छा कोई काम करने वाला हो, वह भी सफल नहीं होता, उसके सामने कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और उसका साहस टूट जाता है। इस प्रकार तो अच्छे-अच्छों की हिम्मत हार जाती है। इसी सिलसिले में ऐन्टीकरप्शन कमेटियों और उनके अधिकारों की भी बात है। यह कोई नयी चीज नहीं है। इनके अधिकार माननीय सदस्यों को पहले ही मालूम हैं। एक परिवर्तन की बात यह है कि इसका चेयरमैन बदल दिया जाय। वह बदला गया और भी परिवर्तन हुये हैं। एक परिवर्तन यह है कि किसी की रिपोर्ट पर ३ महीने के अन्दर यह रिपोर्ट आ जानी चाहिये कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी। जो कुछ कार्यवाही ऐन्टीकरप्शन कमेटी में हो उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आनी चाहिये ताकि गवर्नमेंट को मालूम होता रहे कि क्या कार्यवाही की गयी। तो यह भी एक नया कदम है जिससे हम समझते हैं कि काफी सुधार होगा। मैं इत्तिफाक से परसों बिजनौर में था। वहां बरेली के भी दो एक आदमी आ गये थे और बिजनौर की एन्टी करप्शन कमेटी के कुछ सदस्य थे। यों ही उन्होंने जिक्र किया कि हमें बड़ी आशा है कि बहुत काम होगा बरेली में और बिजनौर में भी बुकलैट्स छपवाकर बांटने का इरादा रखते हैं कि इनका क्या-क्या काम होगा ताकि यह लोगों को मालूम हो जाय जिससे सब उसमें सहयोग दे सकें।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि सरकारी अफसरों की आमदनी और खर्चा देखा जाय। जैसी मिसाल दी कि १०० रुपये के वेतन वाला इन्सपेक्टर मोटर रखता है, होगा, क्योंकि वह कहते हैं तो उन्होंने देखा होगा। लेकिन सदन के सामने इस बात की चर्चा आ चुकी है कि सरकारी आज्ञा जा चुकी है और फार्म भी जा चुके हैं जिनसे यह मालूम होगा कि किसी भी अधिकारी की शुरू में क्या जायदाद या कितनी आमदनी या जमीन थी और अब कितनी है और कैसे बढ़ी। नजदीकी रिश्तेदारों का भी उसमें जिक्र है जैसे स्त्री इत्यादि। इससे भी हम समझते हैं कि करप्शन में रोकथाम होनी चाहिये। यहीं बोलते हुये एक दिन माननीय गैंडासिंह जी ने कहा था कि जो उन्होंने शब्द कहे उनका यह अर्थ होता है कि जब तक समाजवादी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक करप्शन नहीं उठ सकता है। मैं मानता हूं। लेकिन पुलिस विभाग का बजट पेश करते हुये मैं समाजवादी व्यवस्था कायम नहीं कर सकता हूं। अभी इलाहाबाद के हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब तक वेतनों का फर्क रहेगा तब तक करप्शन की जड़ कुछ न कुछ बनी रहेगी। चाहे हम नीचे वालों की तनख्वाह बढ़ा दें परन्तु ऊपर-वालों को हम कम करने से मजबूर हैं क्योंकि वे आल-इंडिया सर्विसेज के आदमी हैं, जैसे आई० ए०एस० और आई०पी० एस०। यद्यपि मैं १६ आने घटवाने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन हम इसे कर भी नहीं सकते हैं। यह हमारी कठिनाई है। मैं यह मान सकता हूं कि जब तक आयों में, आमदनी में डिसपैरिटी रहेगी तब तक दुनिया में कुछ न कुछ खराबी रहेगी। लेकिन जहां तक उन खराबियों को दूर करना हमारे लिये सम्भव है वहां तक हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही हम दावा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।

यहां जिक्र हुआ विरोधी पक्ष जो कहलाते हैं हालांकि पुलिस के मामले में मैं किसी विरोधी पक्ष को मानने के लिये तैयार नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये शब्द चले आ रहे हैं। श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा, वह यहां मौजूद नहीं हैं कि पुलिस में बहुत भ्रष्टाचार है, और वह जुल्म करती है, होगा, लेकिन जिस समय वह बोल रहे थे उनके सामने केवल पुलिस की ही सूरत नहीं थी बल्कि कुछ और दूसरी तस्वीर भी थी। कुछ ऐसे लोगों की जिनके प्रयास से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया तस्वीरें उनके सामने थीं। उनके आत्मसंयम की मैं तारीफ करता हूं कि उनके मुंह से ऐसी बात निकल ही गयी कि कुछ लोग टोपियों की आड़ में चीजों को कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। किनकी ओर उनका इशारा था हम सब इसे समझ सकते हैं अगर वे ठंडे दिल से सोचें और सुझाव दें तो जरूर वह सुझाव विचार करने योग्य होगा।

माननीय राजनारायण जी ने भी बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने पुलिस के डेमोक्रेटाइजेशन का जिक्र किया। यह सही है कि जिस प्रकार के डेमोक्रेटाइजेशन या विकेन्द्रीयकरण जिसका कि उन्होंने जिक्र किया, किसी भी स्टेट में नहीं है। लेकिन फिर भी किसी देश में न होते हुये भी हमने अहिंसा के जरिये स्वराज्य प्राप्त किया और बहुत से काम भी किये, और यह भी कर सकते हैं लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुये, बहुत आगे की बात तो नहीं कह सकता लेकिन अगले १०–१५ साल की बात कहता हूं कि यह चीज संभव नहीं है। जहां तक इस प्रदेश के शासन से मेरा सम्बन्ध है इस किस्म का डेमोक्रेटाइजेशन अथवा विकेन्द्रीयकरण यहां नहीं हो सकता। मैंने उत्तर प्रदेश की सेवा अपनी बुद्धि और शक्ति से की है और हो सकता है कि उस सेवा करने में कुछ कमी भी रह गयी हो लेकिन उत्तर प्रदेश की तबाही करने का बीड़ा मैंने कभी नहीं उठाया, इसलिये मैं किसी भी ऐसी सलाह को नहीं मान सकता जिससे उत्तर प्रदेश की तबाही हो जाय और हमारे प्रदेश के साथ हमारे देश में भी तबाही हो। (एक आवाज–कुछ बचा है क्या ?) अपनी-अपनी आंख।

उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया। मैं तो उस चीज का जिक्र करना अपनी शान के खिलाफ समझता, लेकिन मेरे भाई रावत जी ने उसका जिक्र कर दिया। वह बात आई०जी० पी० की नियुक्ति के बारे में थी। पहले तो इस प्रकार की सरकारी नियुक्तियों के बाबत जिक्र आमतौर पर इस सदन में न आने चाहिये। जो डेमोक्रेसी के अर्थ को भलीभांति समझते हैं वे ऐसी

चीजों का जिक्र नहीं करते। पुलिस विभाग में इस वजह से या और किन वजहों से कितनी अशांति है यह तो उनके मुकाबिले में मैं अधिक जानता हूं। एक बात उन्होंने और कही कि सम्पूर्णानन्द जी चाहे कितनी ही सफाई दें लेकिन वे इस बात को मान नहीं सकते। तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अगर उनका ऐसा ख्याल है कि मैं उनकी किसी बात की सफाई दूंगा, तो उन्होंने मुझे समझा ही नहीं है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं।

एक बात को सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और वह यह कि माननीय मोहिले जी ने ऐसा कहा कि इलाहाबाद में पुलिस किसी पोलीटिकल पार्टी के काम में लगायी जाती है। अगर ऐसा है तो बड़े अफसोस की बात है और बड़े शर्म की बात है। जैसा कि अभी किसी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की बाबत चाहे जो शिकायत भले ही हो, किसी व्यक्ति की बाबत मैं नहीं कहता क्योंकि इसमें ६० हजार के करीब लोग हैं कि किसी में कोई ऐब ही नहीं है, अपने बाबत भी मैं दावा नहीं कर सकता कि मुझमें कोई ऐब नहीं है तो फिर ६० हजार की बाबत कैसे कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है कि वह किसी पार्टी का पक्षपात करती है। उत्तर प्रदेश में सब लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि पुलिस को पार्टीबंदी से हमेशा अलहदा रहना होगा। अगर हमें अपने राज्य को डेमोक्रेटिक राज्य रखना है तो पुलिस अथवा दूसरी सर्विसेज को, चाहे उनके निजी विचार कैसे भी हों, पोलिटिक्स से अलहदा ही रखना होगा। हमारी यह कोशिश है कि चाहे आज हमारे हाथ में गवर्नमेंट है और कल को किसी दूसरे के हाथ में चली जाय वह ईमानदारी से अपना कार्य करती रहे और उस मशीनरी के ऊपर उस गवर्नमेंट को भी उतना ही भरोसा हो जितना कि हमें है। आज फ्रांस को देखिये वहां की गवर्नमेंट लड़ाई के बाद कितनी ही बार बदली है लेकिन शासन का काम किस खूबसूरती से साथ चला है और उसका श्रेय फ्रांस की सर्विसेज को है। चाहे गवर्नमेंट बदलती रहे, कभी-कभी तो एक साल में चार-चार पार्टीज बदलती हैं वहां क्या कहा जाय। सर्विसेज हैं, उनके ग्रेडीशंस हैं, वे अपने को पोलिटिकल बातों से अलग रखते हैं और अपनी ड्यूटीज का पालन करते हैं। उनका कहना है कि बड़ी-बड़ी पालिसीज का सम्बन्ध पार्टीज से है। हमारे लिये यह अफसोस की बात है अगर हम पुलिस वालों को किसी तरह से कांग्रेस में खींचना चाहते हों, कांग्रेस के काम के लिये इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हों तो यह पुलिस को चौपट करना होगा। अगर कहीं ऐसा हुआ तो अफसोस की बात है। लेकिन मेरा विश्वास है कि आमतौर से उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे दोषों से मुक्त है। उसे हर तरफ से बौछार सुननी पड़ती है, दोनों तरफ से शिकायतें सुननी पड़ती हैं इसलिये भरोसा होता है कि इन दोषों से वह बहुत कुछ मुक्त है। रावत जी ने इस बात का विश्वास दिलाया बाराबंकी की बाबत, लेकिन मैं इतना फिर दोहरा सकता हूं कि मुझे भी दुख है। मार-पीट और घटनायें हुआ करती हैं लेकिन किसी जिले में बार-बार ऐसी घटनाओं का होना अच्छी बात नहीं है और जो साधारण मशीनरी पुलिस को है उसे हम देख रहे हैं अगर कोई जरूरत हुयी तो हम जरूर उस ओर ध्यान देंगे।

एक माननीय सदस्य ने आगरे की कुछ घटनाओं का जिक्र किया। ऐसी हालत में मैं बड़ी दिक्कत में पड़ जाता हूं अगर कोई माननीय सदस्य इस हाउस का यह कहे कि यह चीज मैं अपने अनुभव और अपनी जानकारी से कहता हूं कि मैं उस समय यह नहीं कहता कि आपकी जानकारी व आपका अनुभव गलत है। यह बड़ी गुस्ताखी और सभ्यता के विरुद्ध होगा। जो मामले अदालत में हैं, वे झूठे चले या सच्चे चले इसका फैसला अदालत ही करेगी, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो उनका अनुभव और तजुर्बा है वह ठीक ही होगा लेकिन कोई मामला यहां की जांच-पड़ताल से ठीक हो सकता है या नहीं। एक-आध मामले में रावत जी गये हैं और किस तरह के बयान हुये उनके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता। मेरे लिये कुछ उचित नहीं होगा कि मैं किसी मसले पर कुछ कहूं। इतना ही कहूंगा कि पुलिस अकेले गवर्नमेंट के चलाने की चीज नहीं है। हम सुधार करने की कोशिश करेंगे लेकिन वह सफलता तभी हासिल होगी जबकि सदन

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

के सभी माननीय सदस्यों का आशीर्वाद और सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सहयोग प्राप्त होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऊपर और उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश में कहीं भी जरूरत होती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ ध्यान दिया जाता है और अगर उसकी कार्यकुशलता, एफिशियेंसी और ईमानदारी में फर्क होता है तो देश के प्रति जो उसका कर्त्तव्य है उसके पालन में कमी रहती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे और मेरी इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कटौती के प्रस्ताव पर मैं समझता हूं कि इस सदन में जो लगभग १५ सदस्यों के भाषण हुए हैं, उनमें से दो-तीन माननीय सदस्यों को छोड़ कर लगभग १३ माननीय सदस्यों ने हमारी बातों का समर्थन किया है। मैं आपके जरिये से माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने बाराबंकी के सम्बन्ध में जो सूचना दी कि वह प्रधान कुरमी नहीं था, लोहार था तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सूचना माननीय सदस्यों ने दी उनके आधार पर यह स्पष्टीकरण हुआ है या जिले से जो सूचना आयी है, उसके आधार पर है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसी में लिखा हुआ है। मैंने पहले गलती से कह दिया था।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय परिपूर्णानन्द जी एक नयी बात सदन में प्रथम बार लाये और उन्होंने कहा कि उनके भेजे हुए सम्मन को भी पुलिस तामील नहीं करा पायी। मैं कहना चाहता हूं माननीय परिपूर्णानन्द जी से उनका ही सम्मन नहीं है इस प्रदेश में हजारों सम्मन रोजाना कांस्टेबिल ले जाते हैं और वापस ले आते हैं। कैसे कोई सम्मन भेजा जाता है और कैसे सम्मन की तामील करायी जाती है और श्रीमन्, जिसके पास सम्मन जाता है, वह कैसे वापस कराता है मेरे ख्याल में परिपूर्णानन्द जी को उसकी बाबत पूरी जानकारी नहीं है। मेरा विश्वास है कि जब वह जानकारी करके चलेंगे तो उनका सम्मन तामील हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—आप श्री राजनारायण पर तो रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया। श्री काटजू ने अभी कहा था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा होने के बाद हमारे सूबे में पुलिस के अनुभवी अफसर नहीं रहे। मैं नहीं समझता कि यह रोना काटजू साहब कब तक रोयेंगे कि हमारे यहां अनुभवी अफसरों की कमी है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारे अफसर काफी अनुभवी हैं और दूसरी तरफ श्री काटजू कहें कि अनुभवी अफसरों की कमी है। यह कमी उनकी कब तक रहेगी। माननीय भगवान सहाय जी ने कहा है कि सरकार बड़े अफसरों की ओर अधिक ध्यान देती है और गरीब जो छोटे अफसर हैं उनका ख्याल नहीं करती है। यह सही है और मैं समझता हूं कि इसका निराकरण कभी यह सरकार कर पायेगी, यह जरा मुश्किल मालूम होता है। श्री उमाशंकर जी मिश्र जो जिला बाराबंकी के रहने वाले हैं उन्होंने एक तरफ तो माननीय मुख्य मन्त्री को धन्यवाद दिया और दूसरी तरफ अपने भाषण में बाराबंकी के सम्बन्ध में "अराजकता" शब्द का प्रयोग भी किया। मैं नहीं समझ सका कि धन्यवाद और अराजकता में क्या मेल है। उन्हें एक ही तरह की बात कहनी चाहिए और श्रीमती विद्यावती राठौर के शब्दों में दो तरफ की नीति नहीं अपनानी चाहिए।

माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने कहा कि पुलिस के लोग दलों में विभक्त नहीं होते और गांवों में आज ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूं कि आज जरूर हमारी पुलिस दलबन्दियों मे फंसती है, राजनैतिक दल में भले हो वह न फंसती हो, लेकिन गांवों की पार्टीबन्दी में पुलिस फंस जाती है और मजबूत दल की तरफ जाती है, जो बलशाली होता है, पुलिस उसी की मदद करती है, और गरीब को गिराने में ही समर्थ होती है। एक नहीं मैं इस तरह के सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि पुलिस हमेशा बड़े लोगों का साथ देती है, और गरीब आदमी को जो हर तरह से फटे हाल है, परेशान करती है। इसके कई कारण हैं और सदन के माननीय सदस्य और मन्त्री जी जानते हैं और अधिक इस सम्बन्ध मे मैं कहने की आवश्यकता नहीं समझता।

माननीय कृष्ण शरण आर्य जी ने बहुत उपदेश दिया, वह कहां तक सार्थक होगा सूबे की जनता के लिए और पुलिस के लोगों के लिए । माननीय सदस्यों के लिए यह मैं नहीं जानता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको पुलिस की रिपोर्ट पर बड़ा गर्व है और वह कहते हैं कि जो जनता चाहती है, वह पुलिस करती है, लेकिन जो आंकड़े अपराधियों के इसी रिपोर्ट में दिये गये हैं, अगर वह सही हैं, तो आर्य जी के कहने के अनुसार ही दोनों में से केवल एक ही बात सही हो सकती है।

मैं एक निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी से करूंगा। मोहि ने जी ने कहा और श्री काटजू साहब ने भी लक्ष्य किया था कि इलाहाबाद शहर में राजनैतिक पार्टी के लोग पुलिस को बदनाम करने के लिए जलूस निकालते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता। हम सब लोग एक मुद्दत तक एक ही फौज के सिपाही रहे और सैकड़ों बर्ष बदनाम करने के बाद देश एक नतीजे पर पहुंचकर आजाद हुआ। कोई भी राजनैतिक दल जलूस निकाल कर किसी भी दल विशेष को, संस्था को या किसी भी ऐसे जन-सेवकों को बदनाम कर सके यह बात सही हो या गलत, लेकिन मैं एक बात अवश्य निवेदन करूंगा कि पुलिस के सम्बन्ध में जो धारणा जनता में होनी चाहिए कि पुलिस लोगों की रक्षा करने वाली है, वह अगर आ जाय, तो मैं समझ सकता हूं कि पुलिस अपने काम में सफल हो सकती है। पर आज ऐसी दशा है नहीं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह धारणा उनमें नहीं आ रही है, बल्कि उनकी धारणा इसके विरुद्ध है। इसलिए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं?

श्री राजनारायण—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो उसी तक सीमित रहियेगा। अगर आप हमला शुरू कर देंगे तो दूसरी तरफ से भी हमला होने लगेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यहां कुछ सम्मन की बात कही गयी है। अगर मुझ से उसका ताल्लुक है, तो मैं आपके द्वारा इस सदन में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से कभी प्रयत्न नहीं होगा कि मैं सम्मन न लूं। क्योंकि मेरा कोई कार्यक्रम छिपा नहीं रहता। मैं कानपुर में जाता हूं तो अखबारों में निकल जाता है। लखनऊ रहता हूं तो सब लोगों को मालूम रहता है। इसलिए मैं काहे को न लूंगा। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो जिक्र किया, मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन कर दूं कि यदि कोई तारीख उनको मालूम हो, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने कोई डिफेनेशन का मुकदमा मुझ पर चलाया है, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मुकदमा खत्म हो, क्योंकि उस मुकदमे में इतने रहस्य खुलेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप मुकदमे की मेरिट्स में मत जाइये।

श्री राजनारायण—मैं चाहता हूं कि वह जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि उसमें इस सरकार के तमाम मंत्रिगण आयेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप फिर मेरिट्स में जाने लगे।

श्री राजनारायण——शायद माननीय परिपूर्णानन्द जी अपने किसी तिकड़म से वह सम्मन मेरे पास आने नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन कर दूं कि जब भी कोई तारीख पड़े और माननीय परिपूर्णानन्द जी को मालूम हो जाय, तो वह मेरा फोन नं० नोट कर लें, दारुलशफा—१३। वह बता दें, मैं बिना सम्मन ही चला चलूंगा।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमन्, मैं भी परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। माननीय रामसुन्दर पांडेय ने अभी यह कहा कि मैंने अपने भाषण में यह कहा था कि पुलिस के अनुभवी अफसरों की कमी इसलिए हो गयी है कि देश का बटवारा हो गया। मैंने देश के बटवारे के साथ-साथ यह भी कहा था कि आजकल के वातावरण को देखते हुए, अंग्रेजों के यहां से जाने के बाद पुलिस में वैकुअम सा हो गया है।

दूसरे मेरे ऊपर मोहिले जी ने लांछन लगाया, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है और मुझे और बहुत सारे काम रहते हैं। वह तो अलग सी चीज है। यह कहना कि मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जानकारी है या नहीं है, किसने कहा?

श्री शिवनाथ काटजू—आप यहां थे नहीं। उन्होंने अपने भाषण में कहा।

श्री अध्यक्ष—यह तो ठीक है। लेकिन उन की राय के बारे में परसनल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। उनकी राय है कि आपकी जानकारी नहीं है।

श्री शिवनाथ काटजू—उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है और यह भी कहा कि मैंने कुछ बातें गलत कहीं।

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब आप नहीं दे सकते।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—श्रीमन्, मुझे वैयक्तिक स्पष्टीकरण में केवल यह कहना है आपके द्वारा कि मैंने किसी प्रकार से मुकदमें के विषय में कोई बात नहीं कही यहां पर। और माननीय राजनारायण जी ने इसका जिक्र किया तो इसका मतलब यह है कि उनको जानकारी है।

श्री अध्यक्ष—यह तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मैं परसनल सम्मन के विषय में बताऊं कि मैं अदालत को तलबाना दे देकर परेशान हो गया हूं। पता नहीं उनकी पुलिस वालों से क्या दोस्ती है कि सम्मन तामील नहीं करते। इस रहस्य का बाद में पता चलेगा।

श्री कृष्णशरण आर्य—श्रीमन्, माननीय रामसुन्दर जी ने मेरे सम्बन्ध में यह कहा था कि मैंने रिपोर्ट लिखने की स्थिति पर सन्तोष प्रकट किया है जब कि मैंने यह कहा था कि अपराध की स्थिति में सुधार हो रहा है, न कि रिपोर्ट लिखने में।

(इस समय श्री अध्यक्ष ने माननीय मुख्य मन्त्री का नाम पुकारा)।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं निवेदन कर चुका हूं अब क्या उत्तर दूं?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—पुलिस (लेखा शीर्षक २९—पुलिस) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—पुलिस (लेखा शीर्षक २९—पुलिस) के अन्तर्गत, ८,१९,९१,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियां

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—जेल (लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियां) के अन्तर्गत १,३०,८७,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि आधा घंटा समय है अब इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कुछ कह कर, माननीय सदस्यों के अगर कुछ सुझाव होंगे और आवश्यक हुआ तो मैं बाद में कह लूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान में मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। जेल की जितनी भी कार्यवाहियां हुई हैं यह मैं मानता हूं कि बहुत से कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। लेकिन जहां तक आम जेलों का सवाल है मुझे दो-चार दफ़ा इस सरकार की हूकूमत में भी कैदी की हैसियत से जेल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। जहां तक आम जेलों का सवाल है अभी तक परिवर्तन जो कुछ भी हुआ है, नहीं के बराबर है। अब जैसे जो यह कैम्प खोले जा रहे हैं, और नहरें कैदियों से बनवाई जा रही हैं यह अच्छा काम है, इससे मैं समझता हूं कि जो अपव्यय होता है उनकी शक्ति का, जेल में रख कर वह दूर होगा और निर्माण का कार्य होगा। तो मेरी राय है इसमें और बढ़ोत्तरी करनी चाहिये। ज्यादा से ज्यादा कैम्प खोलने चाहिये और एक चीज यह भी देखनी चाहिये कि उन कैम्पों में जो कैदी काम करते हैं काम करने के बाद जब वे घर जाते हैं तो उनका क्या रवैया रहता है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिये ताकि हम समझ सकें कि हमारी कहां त्रुटियां हैं। और जो जेलों का सवाल है जैसे डिस्ट्रिक्ट जेल और सेंट्रल जेलों का उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त में जैसी परिस्थिति थी उस से बहुत ही कम फ़र्क हुआ है। जैसे श्रीमन्, हम सभी लोग जानते हैं कि उस वक्त भी जो बढ़िया बढ़िया तरकारियां जेल में उगाई जाती थीं वह तो जेलर महोदय और उनके स्टाफ़ के लोग खा जाते हैं और इत्तफाक से हम लोग पहुंच जाते हैं तो हमें भी मिलती हैं, लेकिन जो आम कैदी हैं उनको वह सब्जी नहीं मिलती। उसी तरह की सारी व्यवस्था है। जहां तक रोटी का सवाल है वह भी बिल्कुल उसी तरह से, उस में भी कोई परिवर्तन नहीं है। जो चक्की की मशक्कत थी वह बनी हुई है। मैं तो चाहता हूं कि चक्की की मशक्कत जो कैदियों से करायी जाती है वह हटाई जाय और मशीनों से काम लिया जाय और इस तरह से जो मैनपावर खाली होती है उससे उद्योग-धंधों का काम लिया जाय। यह भी मैं चाहूंगा कि जब आप बाहर कैदियों से काम कराते हैं तो गर्मियों के दिनों में बैरकों में जिस तरह की तकलीफ होती है उसको भी बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं, तो उनको भी यह इजाजत होनी चाहिये कि वे भी बाहर सो सकें, आम कैदी।

दूसरी चीज, मैंने पिछले भी बजट के समय कही थी, और उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उसका क्या नतीजा हुआ यह भी मैं आप के सामने रख देना चाहता हूं। मैंने पिछले बजट के दौरान में इसी जेल पर बोलते हुये यह कहा था कि यह जो डायरेक्टर आप रख रहे हैं जेल इंडस्ट्रीज के लिये, यह बिल्कुल बेकार है। इस पर गवर्नमेंट का रुपया अपव्यय होगा क्योंकि ९ हजार तक तो अफसरों की तनख्वाह आती है और उनके स्टाफ़ की मुझे जानकारी नहीं कितनी है, फिर भी यह अपव्यय है। और अपव्यय क्यों है वह आंकड़ों के द्वारा सिद्ध है, पिछले बजट में तखमीना किया गया था कि इंडस्ट्रीज वाले मामले में इतना खर्च होगा, वह था १३ लाख ८१ हजार ६०० रु०। लेकिन आज बढ़ कर के बजट १४ लाख ५८ हजार ६०० रु० है। इसमें तो बढ़ोत्तरी हुई श्रीमन्, लेकिन जो यह तखमीना किया गया था कि ११ लाख ८७ हजार ४ सौ १० रुपये का इससे फायदा होगा वह हो गया,

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

श्रीमन्, १० लाख ७७ हजार ४ सौ रुपया। तो जहां पर खर्चे का सवाल है वह तो बढ़ा और जहां आमदनी का सवाल है वह एक दम से नीचे आ गया। तो मैं नहीं जानता कि यह दो जो डाइरेक्टर साहब रखे गये हैं, यह लोग करते क्या हैं? डाइरेक्टर तो इसलिये रखे गए कि इंडस्ट्री वहां की बढ़े, लेकिन अगर बढ़े न तो कम से कम घाटे में तो न चले जब कि आप के पास मैन पावर एक तरह से मुफ्त ही में मिल रहा है तब तो आप अपने उद्योग को बढ़ाइये, लेकिन बजाय बढ़ने के ४ लाख का घाटा है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। मैं तो चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री के डाइरेक्टर साहब हैं इनको कहीं और काम में लगा दिया जाय और जनरल जो इंडस्ट्री है उसके डाइरेक्टर के सिपुर्द इसे कीजिये तो इतना रुपया आप का बच जायगा। जब कुछ उसमें फायदा हो ही नहीं रहा है तो मैं नहीं समझ सकता कि इस तरह से फालतू सरकार का रुपया खर्च हो और काम इस तरह का हो। यह रुपया किसी और काम में लगाया जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि जहां तक इस जेल डिपो का सवाल है पिछले वर्ष भी मैंने कहा था कि इस जैल डिपो को तोड़ दीजिये और यह जो हजरतगंज में यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट और अमीनाबाद में हैं, उससे इसको अटैच कर दीजिये। क्या जरूरत है दस हजार रुपया आप इसके ऊपर फिजूल में खर्च करें। यह कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट में क्या जेल का सामान नहीं आ सकता? जेल का भी सामान तो हैंडीक्रैफ्ट का ही है। इसलिये इसे अलग रखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से साढ़े दस हजार रुपये की बचत हो सकती है अगर सरकार चाहे तो। और भी ऐसी चीजें हैं जो जेल में की जायें, उनका जिक्र है उस किताब में कि खद्दर वगैरह का काम वहां हो रहा है। तो चरखों का ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाय, ज्यादा से ज्यादा बुनाई का काम कराया जाय और भी बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनको आप वहां चला सकते हैं। इसलिये इन उद्योग-धन्धों को वहां चलाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि हम अपनी जेलों में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेंगे और इस तरह से तरक्की कर के जो जनता के ऊपर कर का बोझ बढ़ा है उसको कम कर सकेंगे और वह जो लोग जेल में जाते हैं उनको एक उद्योग भी सिखा सकेंगे; उन कैदियों को हम यह मौका दे सकेंगे कि जब वह जेल से छूटें तो बाहर आकर उन उद्योग-धंधों को करें और मैं तो सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो कैदी छूटें, उनको भी जो उद्योग वह सीखे हुये हों, उनमें बढ़ावा दिया जाय, उसके साधन मुहैया कराये जायं। उस मुहैया करने से वह क्राइम की तरफ नहीं जायेंगे और फिर वह और चीज नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री राजवंशी राय (जिला देवरिया)---मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने साल इस हुकूमत को चलते हुए हो गए, कसिया एक हवालात है जहां कैदियों का नारकीय जीवन है। दिन भर में दो बार या तीन बार कैदी बाहर निकाले जाते हैं और एक घंटे के लिये पाखाना होने के लिये और फिर वह बन्द कर दिये जाते हैं। तीन चार कोठरियां हैं जिनमें से एक ही कोठरी में पाखाना है। बकिया में कैदी जो बन्द होते हैं अगर बीमार हो जाते हैं या उनको पाखाना लगे तो बाहर पाखाने का भी सुभीता नहीं है। हर तरह से उनका वहां नारकीय जीवन है। मुझको उस हवालात में रहने का मौका मिला है। वहां की हालत अब तक वही है। गवर्नमेंट उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती है। गवर्नमेंट को चाहिये कि उस हवालात को जल्द से जल्द खत्म करें। इसके बाद जेल के अधिकारियों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जेल में नायब जेलर और असिस्टेंट जेलर दो होते हैं। दोनों का काम एक ही है लेकिन दोनों की तनख्वाहों में अन्तर है। असिस्टेंट जेलर कहीं जाता है तो उस को मिलता है चार्ज, मगर नायब जेलर को नहीं मिलता है। तो जब दोनों की ड्यूटी एक है तो यह सब अन्तर क्यों है। गवर्नमेंट को इस बारे में विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने जेल के अन्दर जो रिफार्म्स किये हैं और जो एनर्जी जेलों के अन्दर सड़ा करती थी और ह्यूमैनिटी जिस तरह जेलों के अन्दर क्रश की जाती थी उसमें जो सुधार हुये उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। कैदी, जो कि जिन्दगी भर जेलों के अन्दर सड़ाये जाते थे उनको एनर्जी को उत्पादन में लगा कर हमारे मंत्री जी ने एक नया रास्ता अख्तियार किया है और मैं समझता हूं मानवता के नाते और समाज के उस दृष्टिकोण को देखते हुये जिस सामाजिक अत्याचार के कारण हमारे सैकड़ों और हजारों भाइयों को जेल की यातनायें सहनी पड़ती हैं और हमारी अव्यवस्था के कारण जुर्म करने के लिये मजबूर होते हैं जिसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं बल्कि उस समाज और मुल्क के ऊपर है जो उनको उचित व्यवस्था नहीं करता है। उन लोगों को जेल के अन्दर सड़ाना, उनको पागल बना कर रखना यह मानवता का धर्म नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित कदम उठाया गया है कि उनको अनेक प्रकार के कार्यों में जुटा कर उन्हें एक यूजफुल सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

इसके साथ-साथ जो कि अभी मेरे भाई ने कहा कि जेल के अन्दर इन्डस्ट्रीज नहीं खोलनी चाहिये, यह तो एक बहुत संकुचित दृष्टिकोण है। मैं कहता हूं कि जिसके पास उत्पादन का जरिया नहीं है, जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है वे अगर जेलों के अन्दर बन्द होकर कोई ट्रेनिंग लेकर आते हैं....

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, यह मैंने नहीं कहा कि वहां इंडस्ट्रीज न खोली जायं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---तो मैं समझता हूं कि यह तो भारतवर्ष की संस्कृति को ऊंचा उठाना है। परन्तु इसके साथ-साथ मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब विदेशी शासन में हम लोग जेलों के अन्दर बन्द थे और जेल की जिस दफा ५२ को जो कि मानवता के स्रोत को सुखाने के लिये विदेशी हुकूमत ने रखा था वह दफा आज भी कायम है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उस दफा को जेल मैनुअल से हटा दिया जाय तो मानवता के लिये एक बड़ा भारी आशीर्वाद होगा। यह बड़ी लज्जा की बात है, हमारी भारतीय संस्कृति पर एक बड़ा धब्बा होगा अगर हम मानवता के स्रोतों को सुखा कर इंसानों को जानवर बनाकर उनको खुशी नहीं मनाने देते और उनको अपने दुख में दुख नहीं मनाने देते। इस तरह की दफा नहीं रहनी चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं समझता हूं कि आज समय बहुत आगे बढ़ गया है और हमें जरूरत है अपने दृष्टिकोण को बदलने की। जब लोग जेलखाने के अन्दर जाते हैं, जुर्म करते हैं तो लोग यह नहीं देखते कि उन जुर्म करने वालों को क्या जरूरत पड़ी। हम दवा करते हैं सिस्टम आफ डिजीज की लेकिन डिजीज़ को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते। हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जो-जो बीमारियां, जो-जो खराबियां इस मुल्क के अन्दर हैं जो लोगों को जुर्म करने के लिये प्रेरित करती हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। अगर वे भूख से मर जायं तो वे इंसान कहलाने लायक नहीं, यह भारतीय संस्कृति के विरुद्ध होगा। किसी भी कीमत पर उन्हें अपने को जीवित रखना है। यह मानवता का धर्म है और हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे देश पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है और अपनी आर्थिक अव्यवस्था के कारण जो हमारे इतने लोग जुर्म करते हैं और जुर्मों की तादाद बढ़ रही है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसका असली कारण कुछ बीमारियां हैं और वे हमारी आर्थिक असमानता हैं जिनको दूर करने का प्रयास होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि बेदिली से ही सही लेकिन हमारे दोस्त जगन्नाथ मल्ल जी ने इतना तो तस्लीम किया है कि जेलों में कुछ फर्क हुआ है। मैं समझता हूं कि एक जेल के अन्दर जितनी तब्दीलियां हुयी हैं वह ऐसी हैं कि पिछली दफा इसी सदन में कुछ लोगों ने यह शक जाहिर किया था कि जो सहूलियत आप जेलों में देते चले जा रहे हैं उनसे जरायम बढ़ सकते हैं और कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि वह जेलों की तरफ ज्यादा जायं। बहरहाल उन्होंने कुछ न कुछ तब्दीली तो मानी है हालांकि यह कहा है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा कैम्पों को खोला जाना चाहिये। इस तरफ बजट में कई जगह पर कैम्पों के सिलसिले में तजवीज भी रखी गयी है। अभी जो बुद्ध जयन्ती के सिलसिले में सड़क बनाने और पुल बनाने का काम हो रहा है उसका भी जिक्र बजट में मौजूद है। इसके अलावा नैनीताल जिले में एक दूसरा कैम्प कायम करने की चर्चा भी इसी बजट में है। साथ ही साथ चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में भी काफी कैदियों को इस खुली जगह में लगाने की तजवीज है और वह चीज सामने आ चुकी है।

चक्की की मशक्कत के बारे में उन्होंने कहा कि वह अभी तक जेलों में मौजूद है और मैं इसको मानता हूं कि हम सब जगह बिजली की चक्की रुपये की कमी की वजह से नहीं लगा सके हैं। लेकिन फिर भी काफी जेलों में हमने बिजली की चक्की लगा दी हैं और इस दशा में हमने प्राविजन किया है। बाहर सोने की जो बात उन्होंने कही तो जिन कैदियों का जेलों में रुख अच्छा रहा है उनको थोड़े पैमाने पर हम यह सहूलियत दे रहे हैं।

डायरेक्टर आफ जेल इंडस्ट्रीज के बारे में जो उन्होंने कहा उसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि इस सिलसिले में जो एक जेल इंडस्ट्रीज इंक्वायरी कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट एक दो दिन में आने वाली है। उसका जब आप मुलाहिजा करेंगे तो देखेंगे कि जब से वह डायरेक्टर के ओहदे पर मुकर्रर हुये उस जमाने से जेल इंडस्ट्रीज में काफी तरक्की हुई है और हम चाहते हैं कि और भी मुनज्जम तरीके से उसका काम आगे बढ़ना चाहिये और कैदियों की ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाय।

इसी के साथ साथ जेल डिपो का भी जिक्र किया गया है उसके बारे में मैं जाती तजुर्बे से कह रहा हूं कि उसमें पूरी कामयाबी नहीं हुयी। लेकिन हमारे जेल डिपो से बहुत बड़ी तादाद में जेल की बनी हुयी चीजें जिनसे हमको बहुत बड़ी रकम का फायदा हुआ है। जहां तक मुझे याद पड़ता है कोई ७०,००० रुपये का सामान गुजिश्ता साल में हम जेल डिपो से लोगों तक पहुंचा सके हैं। तो हम तो इसको और बढ़ाना चाहते हैं और जो तजवीज आ रही है उसमें सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि हमने तजवीज की है कि और जगहों में भी ऐसी सहूलियतें दी जायं और जेल की इंडस्ट्रीज के काम को बढ़ाया जाय।

एक साहब ने कसिया के बारे में कहा और वहां की तकलीफ का जिक्र किया। यह सही है कि कसिया में बहुत दिनों से कुछ थोड़ी तामीर की तजवीज चली आ रही थी लेकिन इसी बीच में, क्योंकि गोरखपुर जिला दो हिस्सों में बंट गया और हम एक बड़ा जेल देवरिया में बना चुके हैं इसलिये वह काम थोड़ा पिछड़ गया है। लेकिन वह चीज हमारे दिमाग में है और हम इस पर विचार करेंगे।

रावत जी ने दफा ५२ को हटाने का जिक्र किया। मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने और दफाओं को हटाने का जिक्र क्यों नहीं किया कि जिनकी वजह से लोग जेल जाते हैं। यह तो अजीब बात है कि जो लोग जेल में डिसिप्लिन तोड़ें उनके बारे में कोई कार्यवाही न हो। यह तो ऐसा ही है कि जैसे यह कह दिया जाय कि ताजीरात हिन्द को खत्म कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि उस को बहुत माकूल और बहुत सम्हाल क इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही थोड़े मौके ऐसे आते हैं कि जिनमें उस दफा के मातहत मुकदमे चलें। आम तौर से तो हम जेल में ही अपने काम चला लेते हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ ज्यादा कहना नहीं है।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल के सम्बंध में बहुत जल्दी-जल्दी हमें चलना है। तो पहले जो बात माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने कह दी हैं उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेसी सरकार के शासन काल में ७ बार जेल काट चुका हूं कि सरकार जेल के अन्दर भी सत्ताधारी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करती है, समाचार-पत्रों के जरिये। जेल में श्रीमन्, जो समाचार-पत्र दिये जाते हैं उनके लिये अब भी वही पुराना तरीका है और जो कांग्रेस पार्टी के या सरकार के प्रचार-पत्र होते हैं वही जाने पाते हैं और सोशलिस्ट पार्टी या और कोई दूसरी प्रगतिशील पार्टी के समाचार-पत्र नहीं जाने पाते। क्यों ?

इसके अलावा श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे खाने का इंतजाम ले लीजिये, चाहे कपड़े का इंतजाम ले लीजिये या दवाओं को या पानी का या सोने का इंतजाम ले लीजिये, किसी में भी सही मानों में कोई तरक्की नहीं हुयी है। माननीय डिप्टी मिनिस्टर जेल, श्री मुजफ्फर हसन साहब का एक बार, जब मैं जेल में था तो गये थे। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि वह भी इस बात को इन्कार नहीं करेंगे कि जो तकिया हम लोगों को लगाने के लिये मिला था अगर उसको देखा जाता, तो मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का जैसा दिमाग है वह तो उतनी दूर से ही कहेंगे कि हमारे पास मत लाओ और उसे बाहर फेंक दो। तो मैंने वह तकिया उनको दिखाया और उसको बड़े यत्न से रखा था कि इसको हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को दिखा दीजिये। तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जेल में पत्रों पर से रोक उठा लेनी चाहिये। जितनी विरोधी पार्टियां हैं या तो वे गैर-कानूनी करार दी जायं और जब तक उनको गैर-कानूनी करार नहीं दिया जाता तब तक उनके समाचार-पत्रों को वहां जाने देना चाहिये। उस तरह की विचार-धारा के लोग भी वहां हैं। एक बात उन्होंने और कही जिसको कि मैं आखीरी वाक्य में कहूंगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह कहा कि अच्छाई के लिये यह है, ठीक है। वह अपनी समझ में अच्छाई के लिये करते होंगे, मगर जहां भी जनतंत्र है उन सब जगहों में यदि सरकार अपने दिमाग में या वहां के व्यक्ति अपनी समझ से एक ही व्यक्ति को अच्छाई का ठेकेदार मान लें, मानने लगें तो वहां पर ही जनतंत्र को खतरा है। वहां फौरन ही तानाशाही आ जायगी। किस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह कहा कि हम फलां फलां व्यक्ति को सफाई नहीं देना चाहते और न उसके ऐसे विचार वालों को सफाई देना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को जितना अपने मस्तिष्क पर और अपनी तानाशाही पर गर्व है, अपनी जगह पर हमें भी अपनी जनतांत्रिक पद्धति के मानने पर गर्व है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमको भी गर्व है और जनतांत्रिक मस्तिष्क पर गर्व है तो फिर हम माननीय मुख्य मंत्री से जवाब लेकर ही रहेंगे। आप यहां पर जवाब न दें और सरकार की इसी प्रकार से तानाशाही रहे लेकिन जनता यदि हमारे साथ है तो हम जवाब लेकर रहेंगे। यह कहा जाय कि हम जवाब नहीं देंगे तो आप जवाब देते कब हैं ? जवाब लेने की ताकत चाहिये और जिस दिन जनता के अन्दर जवाब लेने की ताकत आजायेगी उस दिन न जाने कितने मंत्री जवाब देने के लिये आगे आयेंगे। इसलिये मैं आपके द्वारा उनसे यह कहना चाहता हूं कि जरा मस्तिष्क को संतुलित रखकर जनतांत्रिक प्रणाली के अनुसार ही जवाब देने के लिये सरकार को हर तरह से तैयार रहना चाहिये।

यहां पर बराबर रामराज्य की चर्चा रहा करती है तो क्या रामराज्य इस प्रकार से यहां पर कायम किया जायगा जिसमें किसी को उत्तर देने के लिये इस प्रकार से कहा जाय कि उत्तर नहीं दिया जायगा क्या इसी को रामराज्य की कल्पना कह सकते हैं कि जिस राज्य के मुख्य मंत्री यह कहते हों कि सफाई नहीं देते। आपके सामने तथ्य रखा गया है उसको तर्क से काटिये। मैं जानना चाहता हूं कि जेल की आबादी बढ़ी है या घटी है। मैं कानपुर की जेल में था वहां के एकोमोडेशन को तिगुना बढ़ाया गया है और भी सब जगह जेलों में एकोमोडेशन बढ़ाया गया है। रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि अब दूसरे मैजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने की आवश्यकता यों है कि बहुत मुकदमे पड़े हुये हैं और फैसले नहीं होते हैं। इसलिये इससे यह बात साबित

[श्री राजनारायण]

हुयी कि अपराध बढ़ रहे हैं। तो तथ्य सामने रखकर बहस होनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री के सामने अगर कोई बात रखी जाती है तो उसका सही उत्तर होना चाहिये। मजाक के तरीके से बहस नहीं होनी चाहिये। यद सही तरीके से माननीय मुख्य मंत्री काम करते हैं तो हम सब उमका साथ देने के लिये तैयार हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, अभी रावत जी ने बोलते हुए यह कहा है कि जेल की इन्डस्ट्री को खत्म कर दिया जाय। अब रावत जी के लिए क्या कहा जाय जो कुछ उन्होंने कहा वह सब माफ है, इसलिए कि शायद उन्होंने सुनने की कोशिश नहीं की या जैसा कि वह जोश में आकर कुछ कहा करते हैं, उसकी धारा में बह गये। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि धारा ५२ हटा दी जाय तो फिर अगर कैदी जेल में शरारत करें, तो क्या किया जाय। रावत जी ने इसके विषय में कोई सुझाव नहीं दिया। अभी माननीय उप-मन्त्री जी ने बोलते हुए यह कहा कि जो कुछ सुधार हुए हैं, उनको भी नहीं माना गया है। तो क्या वह आदमी है जो इस बात को न माने। जिसका मस्तिष्क फिरा होगा, वही इस बात को कहेगा और जो काम हुआ है, उसको नहीं देखेगा। अगरचे अच्छा काम हुआ है, तो हर आदमी उसको मानेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जिस तरफ इशारा नहीं है, उस तरफ आप इशारा न करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—तो मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि जो काम अच्छे हुए हैं, वह तो सब हमने इस बुकलेट में देखे हैं और उन सब का जिक्र इसमें किया गया है। माननीय सदस्य उनको जानते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि माननीय मन्त्री जी को इस पर ही सन्तोष करना चाहिए। जितने अभी तक खुले हैं, उससे ज्यादा खोलने का प्रयास करना चाहिए।

जहां तक जेल डिपो का सवाल है, उस के पास काफी रुपया आया है, लेकिन हैन्डीक्राफ्ट की आय को भी बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके पास भी माल दिया जाय। जहां पर हैन्डीक्राफ्ट की दुकान नहीं हैं, वहां पर आम दुकान खोलिये, उसके लिए हमको प्रसन्नता होगी, ताकि उस सामान को दूसरे लोग भी खरीदें, लेकिन जहां पर सरकारी दुकान है, वहां पर दोबारा खर्च करना फायदेमन्द नहीं होगा। और न यह कोई दलील है कि जेल डिपो की बिक्री से हमें आमदनी नहीं है। सामान बिकेगा, तो आमदनी तो होगी चाहे वह यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट में हो। आपके सामान का प्रचार भी अधिक होगा और बचत भी होगी। दूसरी बात आपने डाइरेक्टर महोदय की कही। मैं उन से नाराज नहीं हूं और मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं हूं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना खर्चा रखा जाय, उससे अधिक हो जाय और सामान कम बने। अगर्चे उन्होंने खर्चा बढ़ाकर भी दुगुना चारगुना काम किया होता, तो मैं यहां उनकी तारीफ करता। लेकिन हम जानते हैं कि यह सरकार कहने से तो मानेगी नहीं, डाइरेक्टर साहब को दूसरी जगह भेजेगी नहीं तो मैं कहूंगा कि सरकार उन से कहे कि सरकारी रुपया बर्बाद नहीं होना चाहिए। बल्कि अधिक सामान बनना चाहिए। आपको लेबर मुफ्त में मिल रही है। यदि सरकार उन्हें हिदायत करेगी और उन्होंने काम अधिक किया तो अगले बजट में मैं उनकी खूब-खूब तारीफ करूंगा। उद्योग की उन्नति हो, इसमें कोई एतराज नहीं हो सकता। रावत साहेब नाराज थे कि हम उद्योग को खत्म करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जेल में खूब उद्योग बढ़े।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं कहना है। एक तो माननीय जगन्नाथमल्ल जी ने कैम्प्स के बारे में कहा कि अधिक खुलने चाहियें। लेकिन यह हमारे ही विभाग के हाथ की बात नहीं है। दूसरे विभाग चाहते हैं, जैसे इर्रिगेशन, तब यह हो सकता है। जेल के पास अपना कैम्प नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि कैदियों से अधिक काम कराके उन्हें उसका फायदा दिया जाय। दूसरी बात यह है कि जेल डाइरेक्टर कोई रहे या न

रहे और कैसी इन्डस्ट्रीज वहां पर हों। इसके बारे में हमारे लिए अधिक कहना सम्भव नहीं है। कल ही हमारी जेल कमेटी की रिपोर्ट पर दस्तखत हुये हैं और मैंने उसे अभी नहीं देखा है, और सरकार ने उस पर अभी विचार भी नहीं किया है। मेम्बरों ने जरूर देखा होगा। काफी समझदार लोग, उसमें थे और आशा है कि अवश्य उन्होंने हर पहलू पर गौर किया होगा। वे लोग दूसरे प्रान्त में भी गये और वहां जाकर देखा। हम उसे देखेंगे और जो कुछ हो सकेगा, उसे करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी से निवेदन करूंगा कि अगर वह हमारे पास एक रुपया और रहने दें, तो हम ज्यादा काम कर सकेंगे। इसलिए मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जब माननीय मुख्य मन्त्री जी एक रुपया मांग ही रहे हैं, तो उनको एक रुपया दे दिया जाय।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापिस लिया गया)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—जेल (लेखा शीर्षक—"२८—जेल और बन्दी बस्तियां") के अन्तर्गत, १,३०,८७,२०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, इस से पहले, कि माननीय मुख्य मन्त्री जी कुछ कहें, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय ताकि इस पर बहस करने के लिए हमें आधा घंटा मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४-क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनों तथा ५४-ख—भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते

***डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४-क—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते, लेखा शीर्षक "५४-क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें" तथा "५४—ख—भारतीय शासकों को निजी खर्चा तथा भत्ते," के अन्तर्गत ९,८५,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इसमें असलियत में दो मांगें हैं। जहां तक भारतीय शासकों की बात है, हमारे प्रदेश में ३-४ स्टेट्स मर्ज हुई हैं। उनके रूलर्स की जो पेंशनें हैं उनको तो गवर्नमेंट आफ इन्डिया देती है लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं वे लोग पेंशनें दिया करते थे, वह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं। उनको कम करना हमारे हाथ में नहीं है। यह जरूर है कि उनकी रकम कम होती जायगी। जैसे-जैसे वे लोग जिनको पेंशन मिलती है, फरलों पर जाते जायेंगे, यह रकम कम होती जायगी।

दूसरे उन लोगों को पेंशनें दी जाती हैं जो राजनैतिक पीड़ित कहलाते हैं, हालांकि यह शब्द ठीक नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पोलीटिकल आन्दोलन में हिस्सा लिया था लेकिन २-३ ऐसे भी लोग हैं जिनका हमारे राजनैतिक आन्दोलन से कोई संबंध नहीं है। एक तो इनमें झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के पोते हैं। इनको तीन-चार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बरस से ५० रुपया पेंशन दी जा रही है उनको ७५ रुपया कर दिया गया है। दूसरे तांतिया टोपे के भतीजे हैं जिनको इस वर्ष से ५० रुपया दिया जा रहा है। बाकी ऐसे ही लोग हैं जो हमारे आन्दोलन से संबंध रखने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि यह आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले इसके लिये एक तारीख मुकर्रर की गयी थी और जब तारीख खत्म हो गयी तो तीन साढ़े तीन सौ आदमियों को पेंशन दी गयी। बाद को ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किन्हीं कारणों से दरख्वास्त नहीं दी। वे लोग कष्ट में थे इसलिये फिर पेंशनें देना स्वीकार किया गया। इसमें ज्यादातर पेंशनें हैं। कुछ लोगों को लड़कियों की शादी के लिये भी एकमुश्त रुपया दिया गया है। जब से नया कानून लागू हुआ है ६९१ आदमियों को पेंशनें और ११० आदमियों को एकमुश्त रुपया दिया गया है। इस मद में बढ़ोत्तरी इसी से ज्ञात हो जाती है कि पहले २,७५,००० रुपये का अनुदान मांगा गया है लेकिन इस वर्ष ५ लाख का अनुदान मांगा जा रहा है। यदि फिर भी अधिक आवश्यकता हुई तो सप्लीमेंटरी डिमांड के जरिये से और रुपया मांग लिया जायगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण उसको भी मंजूर करेंगे।

इस सदन में एक बात कहना और जरूरी है कि कभी-कभी यह शिकायत होती है कि पेंशनें मंजूर करने में देर हो जाती है। बात यह है कि बहुत सी दरख्वास्तें आती हैं दूसरे बहुत सी जगहों से पूरी तरह से खानापूरी होकर दरख्वास्तें नहीं भी आती, पूरी छानबीन होकर नहीं आतीं, मैं यह नहीं कहता कि जानबूझ कर ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार ऐसे लोगों का नाम भी आ जाता है जिनको नहीं मिलना चाहिये। इसलिये उसमें छानबीन करनी होती है, इसमें थोड़ा समय लग जाता है। एक सन्देह शायद किसी के मन में होता हो तो उसको दूर करना चाहता हूं। हाल में अपनी एक स्पीच के सिलसिले में माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने कहा था कि ऐसा न होना चाहिये कि पेंशन के देने में किसी प्रकार के पार्टी कंसीडरेशन को ध्यान में रक्खा जाय। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जितना हम से बन पाता है हम इस बात को बराबर ध्यान में रखते हैं कि अगर किसी आदमी को पेंशन दी जाती है तो वह इसलिये नहीं दी जाती कि वह कांग्रेस पार्टी का मेम्बर बना रहे बल्कि इसलिये दी जाती है कि पहले उसने देश की सेवा की है और इस वक्त उसके पोलिटिकल विचार चाहे कुछ हों इसमें हमें कोई मतलब नहीं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें भी आजादी होती है पेंशन पाने के बाद। हमने लिहाजा कोई कोशिश नहीं की कि पेंशन पाने के बाद उनके पोलिटिकल विचार क्या हैं इसकी कोई सूची रक्खी जाय। एक केस याद है कि एक कोई कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर थे उनको भी पेंशन दी गई। मैं माननीय उपाध्याय जी से कहता हूं कि वे अपनी पार्टी के ही दो सदस्यों श्री नारायणदत्त तिवारी और रामसुन्दर पांडेय से दरियाफ्त करें कि कुछ लोगों के सिलसिले में वे मेरे आये पास आए पेंशन और एक मुश्त रकम देने के लिये और जो उन्होंने सिफारिश की उसे मैंने स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि वे स्वयं इस बात को कहेंगे कि मैंने एक बार भी यह पूछा नहीं कि वे जिस आदमी की बाबत सिफारिश करते हैं वह किस पोलिटिकल पार्टी का है। जब कोई इस सदन का माननीय सदस्य सिफारिश करता है तो मेरे लिये वही काफी है। उसकी पोलिटिकल राय कुछ भी हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इतना निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने पहले काम किया, जो अब तकलीफ में हैं और जिनकी उम्र ५० से ऊपर है या जिनके हाथ-पैर टूट गये हों उनकी नमक रोटी का प्रबन्ध होता रहे इससे ज्यादा करने की हम हिम्मत नहीं करते और इसमें कोई पक्षपात नहीं करना चाहते। इतना ही निवेदन करना है और मैं आशा करता हूं कि इस अनुदान को यह सदन स्वीकार करेगा।

श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान संख्या ३५ है उसका प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनों से संबंध है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया से बहुत कुछ संबंध रखता है और उसकी रकम इस साल भी उतनी ही है जितनी कि पारसाल

भी लेकिन जो ५ लाख की रकम राजनैतिक पेंशनों के लिये रक्खी गई है उसमें इस हाउस को खास तौर से दिलचस्पी है। अब स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कांग्रेस की सरकार से जो व्यापक कदम इस ओर उठाया गया वह पहले ही उठाना चाहिये था। इसके पहले श्री लालबहादुर शास्त्री ने कुछ मोटर ट्रक के परमिट्स दिये और कुछ थोड़ी सी पेंशनें माननीय पंत जी के वक्त में दी गईं लेकिन उस वक्त इस पर ज्यादा ख्याल नहीं किया गया। लेकिन इस बार यह जरूर हम लोगों से और देश की सभी राजनैतिक पार्टीज से इस प्रांत में व्यापक तरीके से कहा गया कि लोग पेंशनों के लिये दरख्वास्त दें और जिस तरह से दरख्वास्तें मांगी गईं उससे यह मालूम हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को सहायता दी जायगी। यह अच्छा हुआ कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संग्राम के सैनिकों की खबर ली गई और उनकी सहायता के लिये आयोजन किया गया लेकिन मुझे यही कहना है कि जिस तरह से हम राष्ट्रीय स्वाधीनता के संग्राम में एक हो कर लड़े थे उसी तरह से इस सहायता में भी सरकार को चाहिये कि बिना किसी भेदभाव के सरकार सहायता दे। जो प्रणाली चल रही है मुझे मालूम हुआ कि जो जिले के एम० एल० एज० हैं उनसे राय ले ली जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनसे नारायण दत्त जी और रामसुन्दर पांडेय जी दो आदमी मिले। मैंने बिना भेदभाव के उनकी सिफारिश को माना। लेकिन सबेरे नारायण दत्त जी कह रहे थे कि जो कुछ माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया वह अच्छा किया लेकिन उन्होंने कुछ आदमियों के नाम पेश किये। ५ आदमियों के नाम बता रहे थे जिनको उन्होंने पेश किया लेकिन जब कमेटी बैठी और रामेश्वर सहाय जी ने जैसा कहा उससे ऐसा मालूम होता है शायद उनको पेंशन न मिले और इसके अलावा जो हमारे दलों से संबंध रखते हैं बहुत से ऐसे लोग छूट गये हैं जिन्होंने दरख्वास्तें नही दी हैं, तो जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उसकी मियाद बढ़ाना चाहिये और उनको भी मदद देना चाहिये और इस सहायता के बारे में निश्चित सिद्धांत होना चाहिये कि किसको यह पेंशन दी जाय। जो अंधे हैं या विधवा हैं उनको जरूर देना चाहिये और उम्र का लिहाज भी किया जाना चाहिये या अगर सरकार दे सके तो उन सभी को देना चाहिये। जहां तक एकमुश्त सहायता का संबंध है अब तक वह ज्यादातर शादी-विवाह के लिये ही दी गई है। एकमुश्त सहायता के विषय में जनता का ख्याल था कि वह पोलिटिकल और स्वतंत्रता संग्राम में कष्ट उठाये हैं उनको काफी सहायता मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बरबाद हो गये हैं और आज किसी राजनैतिक दल से भी कोई संबंध नहीं रखते या वह बहुत-सी पार्टियों में अब बट गये हैं या वह किसी कारण से आगे नहीं आते। हम जो यहां एम० एल० एज० हैं वह तो उन्हीं में से चुन सकते हैं जो हमारे सामने हैं और बहुत से भाइयों को छोड़ देते हैं जो डिजर्विंग हैं। हमें उनकी भी खैर-खबर लेना चाहिये और जो रकम इस सहायता के लिये रखी गई है वह कम है। मैं समझता हूं उनकी मदद पूरे तौर पर होना चाहिये और कोई भेदभाव की नीति उसमें नहीं आनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बलिया के श्री विश्वनाथ मरदाना की पेंशन बीच में रोक दी गई थी लेकिन अब फिर वह शुरू कर दी गई है, इस पर जरा खेद होता है। इस तरह से बन्द वह न करनी चाहिये थी ऐसी नीति न होनी चाहिये कि कोई पेंशन किसी राजनैतिक भेदभाव के कारण बन्द कर दी जाय। क्यों वह बन्द की गई और क्यों फिर शुरू की गई यह हमें मालूम नहीं। जिन राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन दी जा रही है उनकी पेंशन न रोकना चाहिये यह मेरी इस्तदुआ है। अभी और लोग अपने विचार प्रकट करेंगे, इसलिये मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें शक नहीं कि ईश्वर की असीम कृपा और पूज्य महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से हमारा देश अल्प-काल व थोड़े से संघर्ष के बाद ही स्वतंत्र हो गया। ईश्वर की असीम कृपा और महात्मा जी के आशीर्वाद के साथ ही साथ इसका कुछ श्रेय हमारे उन स्वतंत्रता प्रेमी और देशभक्त भाइयों को है कि जो कि आजादी के खातिर फांसी के फंदों पर झूल गये और जिन्होंने वर्षों अनेक प्रकार के कष्ट जेलों में भोगे। ऐसी दशा में जब देश में राष्ट्रीय सरकार हो गई तो

[श्री लक्ष्मणराव कदम]

उसका यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसे लोगों की तथा उनके आश्रितों की सहायता करे। यह हर्ष और संतोष की बात है कि जिस वक्त से हमारी सरकार के हाथ में यहां का शासनसूत्र आया है उसी वक्त से बराबर ऐसे लोगों की तथा उनके आश्रितों की सहायता की जा रही है, उनको मासिक पेंशनें और जमीन व लड़कियों की शादियों आदि के लिये बराबर सहायता दी जा रही है। लड़कियों व लड़कों को पढ़ाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय पंत जी की बहुत उदार नीति रही और उसी तरह से हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी भी उनके साथ उदारता का व्यवहार कर के सहायता कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो उदारतापूर्वक इतनी अधिक सहायता की है कि उससे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं एक बात की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि आज बहुत से लोगों को केवल १३–१४ रुपया मासिक वेतन पेंशन मिल रही है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इतनी थोड़ी रकम में आजकल लोगों का निर्वाह नहीं हो सकता। वह कम से कम उनको ३० रुपया मासिक देने की कृपा करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ इस बात की चर्चा की कि मैंने एक पिछले भाषण में शायद यह कहा हो कि यह पोलिटिकल पेंशनें, पोलिटिकल पार्टीज एक्सप्लायट कर रही हैं। मेरा ऐसा मंशा नहीं था और मैं यह जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मामले में जो कुछ उनके विचार हैं, या जो उनका फैसला है वह बहुत पक्का है और मैं कभी इस बात का ख्याल भी नहीं कर सकता हूं कि वह इस सम्बन्ध में किसी पोलिटिकल पार्टी का खयाल करेंगे। पहली मरतबा मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि अगर ऐसी पोलिटिकल पेंशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो हम यह ठीक समझेंगे कि जिले के एम० एल० एज० इस बात की जिले से जानकारी हासिल कर लिया करें कि उचित पात्र को पेंशन मिली है या नहीं। जहां तक पोलिटिकल पेंशन का सवाल है मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि हमारी इच्छा यही है कि जो देश की आजादी की लड़ाई में लड़े हैं, जिनके पास आज कोई रोजगार न हो, या असमर्थ हों, हर एक को मिल सके तो मिल जाना चाहिए। इसमें पोलिटिकल कोई सवाल नहीं है। लेकिन हर एक को यह चीज मिल नहीं सकती क्योंकि प्रदेश के पास इतना पैसा नहीं है। तो इस बात का विचार किया जाना चाहिए, एक सिद्धांत रखा जाय जैसा विश्रामराय जी ने कहा कि जो आदमी काम कर सकता हो, उसके मुकाबले में जो आदमी काम करने से मजबूर है उसको पेंशन न दी जाय तो उस वक्त दुख होता है। मैं यह नहीं कहता कि वह माननीय मुख्य मंत्री के पास केस ले जायं तो वह नहीं सुनेंगे। मैं अब तक एक केस को भी रेंकमेंड नहीं कर पाया, इस खयाल से मैं यह सोचता था कि हमारे जिले की या दूसरे जिलों की कभी कोई लिस्ट हमारे सामने जानकारी के लिये आये तो हम देख सकें कि ऐसे लोग कौन हैं जिनको पहले प्रिफरेंस मिलना चाहिए। यह हमारी मंशा है, मैं इसको कोई पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन भी नहीं कहना चाहता हूं।

एक बात जो महत्व की है वह यह है कि लोगों को जो पहले पेंशने मिली थीं किसी को पंद्रह किसी को २० उसका पैसा ज्यादा नहीं था। आज जो पेंशने दी जा रही हैं किसी को ७५, किसी को ५० रु०। तो गांवों में इस सम्बन्ध में आपस में बिटरनेस होती जा रही है कि मुझको इतना ही मिल रहा है और इनको इतना मिलने लगा है। उसको दूर करने का तरीका एक हो सकता है। अभी कदम जी ने कहा है कि एक स्टैंडर्ड रखा जाय कि इतने पैसे से गुजर हो सकती है, तीस, पैंतीस रु० जिससे उनका खर्च चल सके ताकि आपस में पोलिटिकल वर्कर्स में बिहरनेस न हो। हमने अपनी पार्टी वालों से यह कह दिया है कि आप कोई गलत केस माननीय मुख्य मंत्री जी के पास मत भेजिये, क्योंकि हमारी स्थिति बड़ी गलत हो जाती है। जब हम किसी चीज की आलोचना करते हैं तो हमें सुनने का मौका न मिले आपके लोगों ने भी तो फलां चीज दस्तखत करके

दे दी। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी और रामसुन्दर पांडेय उनसे मिलते रहते हैं और जिन केसेज को उन्होंने रखा उन्होंने मान लिया। मुझे विश्वास है कि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के सामने जो केसेज रखे होंगे वह जायज होंगे। हम सब जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं, सब पालिटिकल वर्कर्स हैं और हम सब की परेशानियां जानते हैं। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक विधवाओं का सवाल है, या अपंगु का सवाल है, उनको न अर्जी देने का समय था, न उनको खबर थी। अगर किसी जिले में ऐसी विधवाएं हों जिनके पति राष्ट्रीय आन्दोलन में खत्म हो चुके हैं, अगर उनका प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जायगा तो उनके केस में माननीय मुख्य मंत्री जी टाइम लिमिट वेव कर देंगे।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान रखा है मैं उसका अनुमोदन करता हूं कटौती के प्रस्ताव का विरोध। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बारे जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजनीतिक पीड़ितों के लिये पेंशन देने का ए अवसर दिया है इससे बहुत भलाई हुई है। पिछली बार जो घोषणा हुई थी, ऐसी स्थिति थी कि बहुतों ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिये तो जब इस बार मौका दिया गया तो लोग सुन पाये और काफी तादाद में प्रार्थना-पत्र आये और जो आये हैं, मैं अपने जिले की जानता हूं, अधिकांश सही आये हैं। हो सकता है कुछ गलत हों, लेकिन अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में मिलना चाहिये। फिर भी इसमें एक कठिनाई पैदा हुई है, मैंने भी विशेष पदाधिकारी से बात किया तो उन्होंने बताया कि रुपये की कमी है। इसलिये प्रार्थना-पत्रों को देखते हुए वे सब लोगों को नहीं दे पाते हैं। उन्होंने यह नियम लगा दिया है कि हर जिले में १०,१५ लोगों को मोटे तौर पर सहायता या पेंशन दे दी जाय और अगली बार यह प्रयत्न किया जाय कि अधिक रुपया मिले तो काम चले। जब यह हालत है तो थोड़े से लोगों को ही सहायता दी जायगी जिससे कई लोग नाराज होंगे, उलाहना भी देंगे, इस तरह की शिकायत माननीय मुख्य मंत्री को भी सुननी पड़ेगी, विशेष पदाधिकारी को भी परेशानी होती होगी और जो यहां पर हम लोग हैं उनको भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि इस मद में अधिक से अधिक रुपया दिया जाय और वे लोग जो बूढ़े हो गये हैं या जिनके हाथ-पैर काम करने लायक नहीं हैं या जो राजनीतिक पीड़ितों की विधवायें हैं उन लोगों को बिना काट-छांट किये सबको दे देने की कृपा की जाय।

श्री विश्राम राय—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही कहा कि पेंशन बिना किसी भेद-भाव के दी जायं। जैसे सब स्वतंत्रता संग्राम में लड़े, उसी तरह पेंशन दी जायं और किसी तरह की दिक्कत पैदा न हो और माननीय सदस्यों ने जो बाते कही हैं उन पर भी माननीय मुख्य मंत्री ध्यान रखें। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्राम राय जी ने इस बात का जिक्र किया कि कुछ ऐसे भी राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं जिनका इस वक्त किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्ध नहीं है, उनका नाम नहीं आया। मैं भी समझता हूं कि ऐसे कुछ लोग होंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं। माननीय सदस्य अगर किसी को जानते हैं तो उनका नाम हमारें पास भेज दें। लेकिन अगर किसी भी आदमी का नाम.....

श्री राजनारायण—जिले में हर पोलिटिकल पार्टी को इजाजत दे दी जाय वह नाम भेज दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुश्किल यह है कि पोलिटिकल पार्टी कितनी है और किस को पोलिटिकल पार्टी मानना चाहिये। बहरहाल अगर सचमुच कोई ऐसा होगा जो कष्ट में होगा अगर कोई साहब दिलचस्पी रखते हों तो मैं समझता हूं कि जरूर उनका

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

नाम भेज देंगे और जरूर हम इसका खयाल करेंगे चाहे किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्ध हो या न हो। जो विश्रामराय जी ने कहा है कि एक मुश्त रकम दे दी जाय। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी आदमी को एक मुश्त रकम, जिसको रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट आप कह सकते हैं, दे दी जाय तो आज कल के जमाने में २,४ हजार से कम में कुछ होता नहीं। तो अगर २,४ हजार देने लगे तो वाकई बात यह है कि हमारी शक्ति के बाहर है। इसलिए उसका ख्याल हमने छोड़ दिया और मैं यह बतलाता चाहता हूं आपकोकि पहले कुछ लोगोंको ऋण के रूप में भी दिया गया लेकिन सच बात यह है कि राजनीतिक सफरर जो हमारे हैं वह चाहे उसे ले लें लेकिन मैं यह जानता हूं उनमें से अधिकांश की हालत ऐसी है कि वह उसे वापस नहीं कर सकते और फिर यह एक बड़ी बेहूदा बात होगी कि यदि कोई न दे सके तो उसके ऊपर हम मुकदमा दायर करें वसूल करने के लिए, तो इस खयाल से हमने उसको छोड़ दिया। इस वक्त हम यही करते हैं कि जैसे किसी की लड़की की शादी है, यह चीज ऐसी है कि रुक नहीं सकती तो इसके लिए जहां हमें खबर मिली लगती है, हम उसकी मदद करते हैं। इसके अलावा अभी हाल में केचेज के लिए, बैशाखी जिसे शायद कहते हैं हिन्दी में, उसके लिए हमने एक साहब को रुपया दिया है। फिर प्रिंसिपुल हमने यह रखा कि सबको हम दे सकें और उसके लिए यह किया कि ५० वर्ष से ऊपर जिसकी उम्र हो, उसको पहले दें या अगर ५० वर्ष से कुछ कम ही है मगर अपाहिज हो गया, लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, या टी० बी० है उसको, एग्जिमा है, वह आदमी कुछ नहीं कर सकता तो दरख्वास्तों में से छांटकर ऐसे लोगों को पहले देते हैं। ऐसे लोगों के देने के बाद और बचेंगे तो बाकी के लिए देखेंगे। इसके बाद जिक्र किया गया कि पहले १५ रुपया जो मिलता था वह कम है। पहले तो मैंने यह सोचा कि यह कर दिया जाय कि ३० रुपये से कम किसी को न मिले। लेकिन फिर हमने यह देखा कि इस तरह से बहुत रुपया हो जाता है। तो फिर यह निश्चय किया कि २० रुपये से कम किसी को न मिले। अगर पहले के लोगों ने दरख्वास्त दी है तो हम २० रुपया कर रहे हैं। हिसाब मोटे तौर से लगा कर देख लिया है कि दस आने ग्यारह आने रोज का हो जायगा। यह काफी है, यह हम नहीं कहते। लेकिन अपनी कमजोरी को देखते हुए. अपनी असमर्थता को देखते हुए यह हमने किया है। यह मोटे तौर से मुझे निवेदन करना है और मैं आशा करता हूं कि इस मांग को सदन स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्चे तथा भत्ते (लेखा शीर्षक : ५४—क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशने तथा ५४—ख—भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते) के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशने तथा भारतीय शासकों को निजी खर्चे तथा भत्ते (लेखा शीर्षक : ५४—क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशने तथा ५४—ख—भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते) के अन्तर्गत ९,८५,३०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
६ मार्च, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२ पर)

प्रश्न संख्या ६३—फैजाबाद जिले की चारों तहसीलों में सिंचाई के लिये मार्च, १९५६ तक निम्नलिखित योजनायें की गई हैं:

		राजकीय नलकूपों की व्यवस्था		घाघरा नहर की व्यवस्था		टांडा नहर की व्यवस्था	
जिला	तहसील	नलकूपों की संख्या	चालू	मी०	फ०	मी०	फ०
फैजाबाद	फैजाबाद	२७	२७	१६२	३	..	..
	अकबरपुर	५३	२५	५९	४	२७	६
	बीकापुर	१५५	१३३	..	..	..	..
	टांडा	..	..	३६	१	१९	३

विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२५६ एल० ए०—१९५६—७९६ ।